एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड

fo"k;&l|ph

i"B l-

1.	निदेशक–मंडल	1
2.	निदेशकों की रिपोर्ट	2
3.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	8
4.	सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	9
5.	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र	24
6.	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि विवरण	25
7.	नकदी प्रवाह विवरण	26
8.	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का भाग निर्मित करने वाली टिप्पणियां	27

funs'kd&eMy ¼rkjh[k 23-12-2013 dks½

श्री रोहित नन्दन
डॉ. शेफाली जुनेजा
श्रीमती पूजा जिंदल
एसीएम (सेवानिवृत्त) फली एच. मेजर
श्री एस. वेंकट

vè;{k

dEiuh lfpo
श्रीमती अदिती खांडेकर

ys[kk ijh{kd
मैसर्स सिंघवी, ओतुरकर एण्ड केळकर
सनदी लेखाकार
मुंबई.

fofèk lykgdkj
मैसर्स किणी एण्ड कंपनी

cSadlZ
आईसीआईसीआई बैंक
एचडीएफसी बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
देना बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
इंडियन ओवरसीज़ बैंक

iathÑr dk;kZy;
21वीं मंज़िल, एअर इंडिया बिल्डिंग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई – 400 021.

fun'kdk dh fjikVl

कंपनी की 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ बयालीसवीं वार्षिक रिपोर्ट निदेशक सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

ukxj foekuu ifjn';

सीएपीए द्वारा प्रकाशित एरिया पैसिफिक आउटलुक 2014 के अनुसार एशिया पैसिफिक क्षेत्र में इस समय 47 कम लागत वाले वाहक प्रचालन कर रहे हैं, जिनमें दक्षिण पूर्व एशिया में 23, उत्तर एशिया में 16, दक्षिण एशिया में 6 तथा ऑस्ट्रेलिया में 2 वाहक शामिल हैं। वर्ष 2013 के अंत तक इन 47 वाहकों के पास 992 विमानों का संयुक्त सेवारत बेड़ा था। जनवरी 2014 में 1000वां विमान आना अपेक्षित है, जो एक मील का पत्थर साबित होगा। विमानों की संख्या के संदर्भ में 21 विमानों के साथ 'एअर इंडिया एक्सप्रेस' का स्थान 16वां है।

इस रिपोर्ट में सीएपीए का अनुमान है कि तकरीबन 10 कम लागत वाले वाहकों के प्रचालन आरंभ करने से वर्ष 2014 में स्टार्ट–अप गतिविधि का रिकॉर्ड स्तर हासिल किया जा सकेगा। इसी क्रम में क्षेत्र के विद्यमान 47 कम लागत वाले वाहकों में से अधिकतर वाहकों की वर्ष 2014 में उल्लेखनीय संवृद्धि की योजना है। इस क्षेत्र में 1500 से अधिक ऑर्डर के साथ एशिया के एलसीसी सेक्टर का विस्तार होगा। पिछले दशक में एशिया में कम लागत वाले वाहकों द्वारा निरंतर बनाया गया संवेग भविष्य में इन वाहकों को और आगे ले जाएगा। इस समय कम लागत वाले वाहकों के पास क्षेत्र के कुल बेड़े का केवल 15% बेड़ा है तथा सीटों की क्षमता 20% से मामूली अधिक है, जबकि ऑर्डर लगभग 50% है। दस वर्ष पूर्व एशिया–पैसिफिक क्षेत्र में कम लागत वाले वाहकों के पास कुल सीट क्षमता केवल 2% थी।

कम लागत वाले वाहकों का भारतीय अंतर्देशीय बाज़ार पर भी प्रभाव बढ़ रहा है, जो इस समय बाज़ार का 70% है। यद्यपि ये वाहक भारत को/भारत से अंतरराष्ट्रीय हवाई बाज़ार में प्रमुख स्टेशनों के लिए प्रचालन कर रहे है। कम लागत वाले विशाल वाहकों के बाज़ार को देखते हुए आपकी कंपनी की निकट भविष्य में विमान बेड़े तथा नेटवर्क के विस्तार की योजना है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हमारी होल्डिंग कंपनी एअर इंडिया के टर्न अराउंड प्लान के अनुसार 'एअर इंडिया एक्सप्रेस' द्वारा वर्ष 2016 तक अपने बेड़े को 36 विमानों तक बढ़ाने की आशा है।

fu"iknu dh leh{kk

वर्ष 2011–12 की तुलना में कंपनी के वर्ष 2012–13 के वास्तविक और वित्तीय निष्पादन की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं :

होल्डिंग कंपनी, एअर इंडिया लिमिटेड (एआई) के साथ राजस्व की हिस्सेदारी से पहले अनुसूचित सेवा राजस्व 2011–12 में रु.1,810.43 करोड़ से मामूली रूप से घटकर वर्ष 2012–13 में रु.1,775.09 करोड़ हो गया। हालांकि, राजस्व में कमी मुख्यतः पायलटों की हड़ताल के कारण हुई, परंतु प्रतिफल में 4.1% की वृद्धि तथा भार घटक में 4% की वृद्धि से इसे न्यूनतम किया जा सका।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, एअर इंडिया लिमिटेड के साथ राजस्व की हिस्सेदारी के बाद, कंपनी का अनुसूचित सेवाओं से राजस्व वर्ष 2011–12 में रु.1,357.82 करोड़ की तुलना में रु.1,553.20 करोड़ था। एअर इंडिया की राजस्व हिस्सेदारी में 25% से 12.5% की कमी के कारण ऐसा हुआ, जिससे कुल राजस्व में लगभग 14.33% की वृद्धि हुई है। कंपनी का कुल खर्च वर्ष 2011–12 में रु.1,983.43 करोड़ की तुलना में रु.1,945.21 करोड़ था, जिसमें लगभग 1.88% की कमी देखी गई।

कराधान से पहले निवल हानि वर्ष 2011–12 में रु. 602.50 करोड़ की तुलना में वर्ष 2012–13 में रु.351.16 करोड़ थी ।

foRrh; fu"iknu dk lkjka'k %

	#i, djkM+ e
कुल राजस्व	1,561.04
कुल व्यय	1,945.21
कराधान से पहले हानि एवं अपवादात्मक मदें	384.17
घटाएं : अपवादात्मक मदें	33.01
कराधान के लिए प्रावधान	–
निवल हानि	351.16
जोड़ें : पिछले वर्षों से अग्रेनीत शेष	1,708.42
अग्रानीत निवल हानि	2,059.58

okLrfod fu"iknu dk lkjka'k%

	#i, djkM+ esa
ए एस के एम (मिलियन)	6,915.6
आर पी के एम (मिलियन)	5,208.4
यात्री भार घटक	75.31%
राजस्व यात्री संख्या (मिलियन)	2.1
प्रति आर पी के एम प्रतिफल (रु.)	3.36
एकल उड़ानें	18,472
राजस्व उड़ान घंटे	58,237

'ks;j iwath

31 मार्च, 2013 को, प्रत्येक रु.100/– के 30 लाख इक्विटी शेयरों में विभाजित कंपनी की प्राधिकृत पूंजी रु.30 करोड़ थी।

foeku dk foÙkiks"k.k

31 मार्च, 2013 को विमान के लिए विदेशी मुद्रा ऋण की स्थिति निम्न है :

	#i, djkM+ esa
1 अप्रैल, 2012 को कुल देय ऋण	2,370.83
घटाएं : अप्रैल, 2012 से मार्च 2013 में वापस की गई राशि	(335.89)
जोड़ें : मुद्राओं की दरों में परिशोधन के कारण विनिमय समायोजन	152.27
31 मार्च, 2013 को शेष	2,187.21

,vj bafM;k ,Dlçsl çpkyu

foeku&cM+s dk vkdkj

31 मार्च, 2012 को कंपनी के बेड़े में 21 बी737–800 विमान थे (4 ड्राई लीज़ विमानों सहित)। ये वर्ष 2012–13 में भी थे। ड्राई लीज़ के 4 विमानों की लीज़ 2014 में समाप्त होगी।

çpkyu

एअर इंडिया एक्सप्रेस ने 1 अप्रैल 2012 से मैसर्स रैडिक्स इंटरनेशनल की नई आरक्षण प्रणाली को अपनाया। इस प्रणाली का चयन निविदा प्रक्रिया द्वारा किया गया। रैडिक्स आरक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली अन्य एअरलाइनों में फ्लायदुबई, गो एअर तथा एअर आईसलैंड शामिल हैं। यह प्रणाली किरायों तथा इन्वेंटरी नियंत्रण के मामलों में अधिक अनुकूल है। अनुषंगिक राजस्व अर्जन के लिए इस प्रणाली को बीमा वेंडरों जैसे अन्य साझेदारों के साथ कनेक्ट किया जा सकता है तथा इसका रिपोर्टिंग मॉड्यूल व्यापक है। यद्यपि शुरू में कुछ छोटी–मोटी समस्याएं थी, जिन्हें शीघ्र ही सुलझा लिया गया। प्रणालीगत से जुड़े कुछ मुद्दे हैं, जिन्हें वेंडर के समक्ष रखा गया है।

एअर इंडिया एक्सप्रेस ने 2011–12 में प्रति सप्ताह 124 उड़ानें प्रचालित कीं। ग्रीष्मकाल 2012 प्रति सप्ताह 134 उड़ानों से आरंभ हुआ, जिसमें 115 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शामिल थीं। इस समय–सारणी में कॉकपिट क्रू की निरंतर कमी तथा 15 फरवरी, 2012 से कार्यान्वित किए गए नागर विमानन महानिदेशालय के परिशोधित नागर विमानन विनियमों के कारण कांट–छांट की गई थी। कॉकपिट क्रू की कमी के कारण इन उड़ानों में से नौ उड़ानों को एअर इंडिया के ए320 विमान से प्रचालित किया गया।

इंडियन पायलट्स गिल्ड के पायलटों का आंदोलन 07 मई, 2012 से आरंभ हुआ, जिसके परिणामस्वरूप एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों को रद्द किया गया। अधिकांश सेक्टरों पर प्रचालन जारी रखने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। उपलब्ध क्रू से अधिक से अधिक उड़ानों के प्रचालन के लिए मार्ग तथा समय में परिवर्तन करके उड़ानों को क्विक टर्न अराउंड (क्यूटीए) उड़ानों में परिवर्तित किया गया। आंदोलन अवधि के दौरान, एअर इंडिया एक्सप्रेस ने 92 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रचालित कीं, जो निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का 80 प्रतिशत है।

जुलाई, 2012 के अंत में आंदोलन समाप्त होने के बावजूद पायलट उड़ान ड्यूटी के लिए तत्काल उपलब्ध नहीं हो सके, क्योंकि उन्हें प्रशिक्षण तथा चिकित्सा जांच पूरी करनी थी। भारत से गल्फ की यात्रा के लिए अगस्त तथा सितम्बर माह पीक सीज़न होने के कारण अधिकांश उड़ानों पर भारी बुकिंग हुई थी। मांग तथा बुक किए गए भार के अनुसार अतिरिक्त उड़ानों की योजना बनाई गई, क्योंकि सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद अधिक से अधिक संख्या में पायलट उड़ान ड्यूटी के लिए उपलब्ध होने लगे थे। 01 अगस्त, 2012 तथा 16 सितम्बर, 2012 के बीच 81 अतिरिक्त उड़ानें प्रचालित की गईं।

एअर इंडिया एक्सप्रेस की पूर्ण समय–सारणी 17 सितम्बर, 2012 से पुनः बहाल की गई। प्रति सप्ताह कुल 143 उड़ानें प्रचालित की गईं, जिसमें ए320 विमान से प्रचालित 9 उड़ानें शामिल हैं। इनमें से 128 अंतरराष्ट्रीय तथा 15 अंतर्देशीय उड़ानें थीं।

शीतकालीन 2012–13 की समय–सारणी प्रति सप्ताह 203 उड़ानों के साथ शुरू हुई तथा औसत विमान उपयोगिता प्रति दिन 10.1 घंटे थी। तथापि, दिसम्बर, 2012 से कॉकपिट क्रू की कमी के कारण उड़ानों को घटाकर प्रति सप्ताह 189 उड़ाने कर दिया गया। कॉकपिट क्रू की निरंतर कमी को देखते हुए तथा फरवरी–मार्च के लीन सीज़न को देखते हुए 2 और उड़ानों को 15 जनवरी, 2013 से कम किया गया, जिससे प्रति सप्ताह उड़ानों की संख्या 187 तक घट गई अर्थात् 160 अंतरराष्ट्रीय तथा 27 अंतर्देशीय।

इस प्रकार एअर इंडिया एक्सप्रेस ने शीतकाल 2012–13 की समय–सारणी में प्रति सप्ताह 187 उड़ानें प्रचालित कीं और औसत विमान उपयोगिता 9.36 प्रति घंटा थी। इन उड़ानों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :

Ø- l-	lDVj	mMkuksa@çfr lIrkg
1.	भारत / दुबई	61
2.	भारत / आबू धाबी	21
3.	भारत / शारजा	14
4.	भारत / आबू धाबी / मस्कट	03
5.	भारत / मस्कट	13
6.	भारत / दमाम	04
7.	भारत / दोहा / बहरीन	07
8.	भारत / दोहा	05
9.	भारत / बहरीन	02
10.	भारत / अल एन	01
11.	भारत / सलाला	04
12.	भारत / कुवैत	06
13.	भारत / सिंगापुर	07
14.	भारत / क्वालालम्पुर	05
15.	भारत / कोलंबो	07
16.	अंतर्देशीय	27
dqy		187

एअर इंडिया एक्सप्रेस ने वर्ष 2011–12 में 2.4 मिलियन यात्रियों की तुलना में 2012–13 में लगभग 2.1 मिलियन यात्रियों का वहन किया जिससे मुख्य रूप से प्रचालन क्रू की कमी और कॉकपिट क्रू के लंबे आंदोलन के कारण क्षमता में 14% की कमी की तुलना में केवल 8% की कमी हुई।

वर्तमान वर्ष 2013–14 के ग्रीष्मकालीन शैड्यूल में एअर इंडिया एक्सप्रेस को कॉकपिट क्रू की कमी के कारण अपने प्रचालनों को प्रति सप्ताह 171 उड़ानों तक सीमित रखने के लिए बाध्य होना पड़ा। तथापि, 2013–14 के शीतकालीन शैड्यूल में हमने प्रचालनों को प्रति सप्ताह 188 उड़ानों तक बढ़ाया है और प्रतिदिन औसत विमान उपयोगिता 9.4 घंटे है।

इस वर्ष अक्तूबर, 2013 तक 1.5 मिलियन यात्रियों के वहन के साथ एअर इंडिया एक्सप्रेस के निष्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की 41% क्षमता वृद्धि की तुलना में यह वृद्धि लगभग 50% है। समग्र आरएएसके में 4% वृद्धि हुई है तथा राजस्व 47% तक बढ़ा है।

foeku çs"k.k fo'oluh;rk

वर्ष के लिए विमान प्रेषण विश्वसनीयता 99.05% थी।

vkuykbu LVs'ku

31 मार्च, 2013 को निम्न ऑनलाइन स्टेशन थे।

भारत : कोषिक्कोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, मंगलुरू, चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, मुंबई, पुणे, अमृतसर, लखनऊ, जयपुर।
विदेश : दुबई, आबू धाबी, शारजा, अल एन, मस्कट, सलाला, बहरीन, दोहा, कुवैत, दमाम, सिंगापुर, क्वालालम्पुर, कोलंबो।

ekuo lalk/ku

deZpkfj;ksa dh la[;k

31 मार्च, 2013 को कर्मचारियों की संख्या निम्न थीं :

अनुसूचित जाति	230
अनुसूचित जनजाति	96
अन्य पिछड़े वर्ग	242
सामान्य	730
dqy	1298

उपर्युक्त के अलावा, होल्डिंग कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड के 402 कर्मचारी (पायलट तथा इंजीनियर) प्रतिनियुक्ति पर थे।

jkt Hkk"kk dk dk;kUo;u

राजभाषा अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों का कार्यान्वयन करने के लिए कंपनी प्रभावी कदम उठा रही है।

lrdrk

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी में कोई सतर्कता मामला नहीं था।

depkfj;ksa dk fooj.k çdV djuk

कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 यथासंशोधित के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के प्रावधानों के अनुसरण में सूचना निदेशकों की रिपोर्ट के संलग्नक में दी गई है।

funs'kd

31 मार्च, 2013 को कंपनी के निदेशक–मंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

श्री रोहित नन्दन — अध्यक्ष
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया लिमिटेड

डॉ. शेफाली जुनेजा
निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय

श्रीमती पूजा जिंदल
निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय

श्री एस. वेंकट
निदेशक–वित्त, एअर इंडिया लिमिटेड

एअर चीफ मार्शल फली एच. मेजर (सेवानिवृत्त) पूर्व वायु सेनाध्यक्ष

श्री एल. राजा शेखर रेड्डी के स्थान पर डॉ. शेफाली जुनेजा, निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय को 18 दिसम्बर, 2012 से निदेशक के रूप में कंपनी के बोर्ड पर नियुक्त किया गया।

श्री सैयद नासिर अली के स्थान पर श्रीमती पूजा जिंदल, निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय को 22 मार्च, 2013 से निदेशक के रूप में कंपनी के बोर्ड पर नियुक्त किया गया।

महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए वर्ष के दौरान बोर्ड की 4 बैठकें हुई, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ एपीयू को पट्टे पर देना, कार्यशील पूंजी उधार लेना, तिरुवनंतपुरम हैंगर परियोजना, 4 आईएलएफसी विमानों के पट्टे को बढ़ाना, विदेशी पायलटों की भरती, पायलटों की परिलब्धियों में परिशोधन, प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन आदि मामले शामिल हैं।

ys[kkijh{kk lfefr

31 मार्च, 2013 को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में निम्न सदस्य थे :

डॉ. शेफाली जुनेजा — अध्यक्ष
श्री रोहित नन्दन
श्री एस. वेंकट

fopkjkFkZ fo"k;

1. बाह्य लेखापरीक्षक की नियुक्ति, लेखापरीक्षा शुल्क और लेखापरीक्षक के त्याग–पत्र या बरख़ास्तगी से संबंधित सभी मामलों पर विचार करना;
2. लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले, बाह्य लेखापरीक्षक के साथ लेखापरीक्षा के स्वरूप और दायरे के बारे में चर्चा करना और जहां एक से अधिक लेखापरीक्षा फर्म शामिल हैं, वहां समन्वयन का सुनिश्चय करना;
3. बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले, अर्ध–वार्षिक और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना;
4. अंतरिम और अंतिम लेखापरीक्षा से निर्मित समस्याओं और शर्तों पर चर्चा करना और कोई ऐसा मामला, जिसके बारे में प्रबंधन की अनुपस्थिति में लेखापरीक्षक चर्चा करना आवश्यक समझें;

5. सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर प्रबंधन के उत्तर की समीक्षा करना और सांविधिक लेखापरीक्षकों की सिफारिशों के कार्यान्वयन का सुनिश्चय करने के लिए उपाय करना;
6. बोर्ड के पृष्ठांकन से पहले आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों पर कंपनी के कथन की समीक्षा करना;
7. आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम की समीक्षा करना, आंतरिक और बाह्य लेखापरीक्षकों के बीच समन्वय का सुनिश्चय करना और आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य का एअरलाइन के कारोबार के आकार और स्वरूप के अनुरूप होने और पर्याप्त संसाधनों और कंपनी में प्रतिनिधित्व प्रदान करने का भी सुनिश्चय करना;
8. आंतरिक जांच के मुख्य जांच–परिणामों और उन पर प्रबंधन के प्रत्युत्तर पर विचार करना;
9. कंपनी में आंतरिक नियंत्रणों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं की सतत आधार पर समीक्षा करना और इन नियंत्रणों आदि को सुदृढ़ करने के सुझाव देना; और
10. बोर्ड द्वारा यथा परिभाषित अन्य मामलों पर विचार करना ।

y[kkijh{kd

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मैसर्स सिंघवी ओतुरकर एण्ड केळकर को वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

fu;=d ,o egky[kkijh{kd dh fVIif.k;k

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

fun'kdk dk mRrjnkf;Ro dFku

(i) वार्षिक लेखों को तैयार करने में, वास्तविक विचलन के संबंध में उपयुक्त स्पष्टीकरणों के साथ प्रयोज्य लेखाकरण मानक अपनाए गए हैं;

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार प्रयुक्त किया है तथा ऐसे निर्णय और आकलन किए हैं, जो औचित्यपूर्ण एवं सही हैं, ताकि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के क्रियाकलापों तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ अथवा हानि लेखे की सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शा सकें;

(iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उसका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के रखरखाव हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;

(iv) निदेशकों ने ''सतत सरोकार'' के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं।

vkHkkj

बोर्ड, एअर इंडिया एक्सप्रेस की सेवाओं का प्रयोग करने के लिए भारत तथा विदेश में स्थित कंपनी के महत्वपूर्ण ग्राहकों की सराहना करता है और उनके सतत सहयोग और विश्वास को बनाए रखने की आशा करता है।

बोर्ड, मूल कंपनी यथा एअर इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विशेष रूप से नागर विमानन मंत्रालय से कंपनी के प्रचालनों और विकास योजनाओं में प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन के प्रति भी आभार व्यक्त करता है। बोर्ड, नागर विमानन महानिदेशालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, सांविधिक लेखापरीक्षकों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अन्य सरकारी विभागों, एअरलाइनों, एजेंटों, भारतीय वित्तीय संस्थानों और अमेरीका की एक्ज़िम बैंक सहित अन्य बैंकों के प्रति भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता है।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता. /–
jkfgr uUnu
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 10 मार्च 2014

vuqyXud

dsiu ¼deZpkfj;ks dk fooj.k½ fu;e] 1975 ds lkFk ifBr dsiu vf/kfu;e] 1956 dh /kkjk 217 ¼2&d½ ds vuqlj.k esa vkj 31 ekpZ] 2013 dks lekIr vof/k ds fy, funs'kdksa dh fjiksVZ dk fgLlk cuus okyh tkudkjhA ifrekg #-5]00]000@& ;k okf"kZd #-60]00]000@& ls vf/kd osru ikus okys deZpkfj;ksa dh lwph

Ø- l-	deZpkjh dk uke	inuke	vk;q	vuqHko o"kZ	ikfjJfed ¼#i,½	;kX;rk	fu;kstu 'kq: gksus dh rkjh[k	fiNyk fu;kDrk
1	कैप्टन सन्नी आसलडेकर	अनुदेशक	29	9	5579302	बी.कॉम.	24/11/2004	नई नियुक्ति
2	कैप्टन सजनीश शर्मा	चैक पायलट	35	9	5320252	एच.एस.सी.	24/11/2004	नई नियुक्ति
3	कैप्टन बृजेश रामा राठौड़	कैप्टन	28	9	4689652	एच.एस.सी.	24/11/2004	नई नियुक्ति
4	कैप्टन सिंह निर्मल जीत	चैक पायलट	49	26	5383752	एम.एससी.	14/12/2004	इंडियन नेवी
5	कैप्टन गुप्ता धीरज राय	अनुदेशक	51	30	6440902	एम.एससी.	14/12/2004	एअर फोर्स
6	कैप्टन ओम कुमार सिंह	कैप्टन	28	7	5037398	एच.एस.सी.	14/12/2005	नई नियुक्ति
7	कैप्टन सैयद अबु थेहेर	कैप्टन	35	7	4976652	बी.एससी.	01/01/2006	नई नियुक्ति
8	कैप्टन हरीश गुप्ता	कैप्टन	39	17	4832911	एच.एस.सी.	21/02/2006	एलाइंस एअर
9	कैप्टन आशिश गांगुर्डे	कैप्टन	50	19	4960048	एस.एस.सी.	13/04/2006	बीएसएफ
10	कैप्टन सतिन्दर जीत सिंह	कैप्टन	50	19	4832034	एस.एस.सी.	13/04/2006	बीएसएफ
11	कैप्टन कौशल असाल्डेकर	चैक पायलट	27	9	5510052	बी.कॉम.	09/01/2006	नई नियुक्ति
12	कैप्टन अरुण कोचर	कैप्टन	45	21	5083752	बी.टेक.	11/04/2005	एअर सहारा
13	कैप्टन शरद डोगरा	अनुदेशक	38	21	5960677	एच.एस.सी.	12/04/2005	एअर सहारा
14	कैप्टन समीर डोगरा	अनुदेशक	36	16	6121852	एच.एस.सी.	01/03/2006	एअर सहारा
15	कैप्टन आनंद कुमार	चैक पायलट	41	20	5327732	बी.एससी.	07/12/2006	एअर सहारा
16	कैप्टन जी. सिद्धू	चैक पायलट	53	33	5083752	एस.एस.सी.	13/07/2006	एलाइंस एअर
17	कैप्टन आर.पी. सिंह	अनुदेशक	48	29	5696152	एम.एससी.	10/03/2006	इंडियन नेवी
18	कैप्टन आलोक नायक	कैप्टन	48	28	5196087	बी.ए.	07/01/2007	इंडियन नेवी
19	कैप्टन अजु चेरियन	कैप्टन	50	24	6343965	बी.एससी.	16/07/2007	एअर इंडिगो
20	कैप्टन सुश्री बिंदु सेबस्टियन	कैप्टन	40	20	5881002	एचआर	08/06/2009	एअर फोर्स
21	कैप्टन विवेक कुलकर्णी	उड़ान संरक्षा प्रमुख	58	26	6377723	बीएससी	03/02/2012	एअर इंडिया

,vj bfM;k pkVlZ fyfeVM ds 31 ekpZ 2013 dks lekIr o"kZ ds ys[kk ij dEiuh vfèkfu;e] 1956 dh èkkjk 619 ¼4½ ds varxZr Hkkjr ds fu;a=d ,oa egkys[kkijh{kd dh fVIif.k;k

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए ,vj bfM;k pkVlZ fyfeVM के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अपने व्यावसायिक निकाय, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा विहित लेखापरीक्षण संबंधी मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उनकी तारीख 17 फरवरी 2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार किया हुआ बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3)(ख) के अधीन 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए ,vj bfM;k pkVlZ fyfeVM के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। मेरे द्वारा की गई लेखापरीक्षा में मेरी जानकारी में कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण नहीं आया है, जिस पर या लेखापरीक्षकों की अनुपूरक रिपोर्ट पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन कोई टिप्पणी की जा सके।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
ijek lsu
प्रधान निदेशक–वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–II, मुंबई

स्थान : मुंबई
तारीख : 24 मार्च 2014

,vj bf.M;k pkVZlZ fyfeVsM ds lnL;ksa ds fy, Lora= ys[kkijh{kdksa dh fjiksVZ

foÙkh; fooj.kksa ij fjiksVZ

हमने ,vj bf.M;k pkVZlZ fyfeVsM ¼,vkbZlh,y½ (''कंपनी'') के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 ekpZ] 2013 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र और उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश एवं अन्य स्पष्टीकरणात्मक जानकारी शामिल है।

foRrh; fooj.kksa ds fy, izcaèku dh ftEenkjh %

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की ज़िम्मेदारी प्रबंधन की है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के संबंध में निगमित कार्य मंत्रालय के तारीख 13 सितम्बर, 2013 के सामान्य परिपत्र 15/2013 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 (''अधिनियम'') की धारा 211 की उप–धारा (3ग) में संदर्भित लेखाकरण मानकों के अनुसरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण दर्शाते हैं। इन दायित्वों में वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की डिज़ाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण शामिल है, जो सही और निष्पक्ष विवरण दर्शाते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण तथ्यपरक गलत विवरण नहीं है।

ys[kkijh{kdksa dh ftEenkjh %

इन वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर राय प्रकट करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुसरण में की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा इस प्रकार योजनाबद्ध और कार्यबद्ध करें कि इस आशय का उचित आश्वासन मिल जाए कि वित्तीय विवरणों में कोई तथ्यपरक गलत विवरण नहीं है।

लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और खुलासों के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय विवरणों के तथ्यपरक गलत विवरण की जोख़िमों के निर्धारण सहित चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर हैं, चाहे वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हैं। ऐसे जोख़िम मूल्यांकन में लेखापरीक्षक उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा सही प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के बारे में विचार करता है, न कि एंटिटी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता पर राय व्यक्त करता है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण आकलनों की युक्तिसंगतता के साथ–साथ प्रस्तुत समग्र वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है।

हमें विश्वास है कि हमारी ;kX; ys[kkijh{kk esa O;Dr jk; के लिए आधार उपलब्ध कराने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण पर्याप्त तथा उपयुक्त है।

;kX; jk; dk vkèkkj %

1- ukV l- 49 % vpy ifjlEifRr;ksa ij eY;gkl ds lacèk esa & ,vjØk¶V rFkk ,vjÝse midj.kks ,oa flE;qysVjks ij eY;gkl ds Ákoèkku dh i)fr o"kZ 2007&08 esa foeku dh vuqekfur vk;q dks fiNys o"kksZa esa 17 o"kZ ekuus dh rqyuk esa 20 o"kZ rd ekudj ifjofrZr dh xbZ gSA dEiuh fofèk ckMZ dh vuqefr Árhf{kr gSA blds ifj.kkeLo:i ifjlEifRr;ksa dh vuqekfur vk;q mPprj gbZ vkSj blds QyLo:i o"kZ dk eY;gkl dk Ákoèkku #-377-76 fefy;u ¼fiNys o"kZ #-357-98 fefy;u½ derj gqvkA o"kZ dh gkfu ml lhek rd de crkbZ xbZA lfpr gkfu #-1737-97 fefy;u ¼fiNys o"kZ #-1366-14 fefy;u½ dh lhek rd de crkbZ xbZA ifj.kkeLo:i] vpy ifjlEifRr;ksa dk Hkh #-1751-38 fefy;u ¼fiNys o"kZ #-1375-86 fefy;u½ rd dh lhek rd vfèkd crk;k x;k rFkk vkjf{kr iwath dks #-13-41 fefy;u ¼fiNys o"kZ #-9-72 fefy;u½ rd dh lhek rd vfèkd crk;k x;kA

2- ukV l- 26] 33 ¼³½ rFkk 33 ¼p½ % ejEer ;kX; iqtksZ ¼Á;kT; rFkk vuqÁ;kT; ejEer iwrh{kkjr½ dh ys[kkdj.k uhfr esa ifjorZu ds lacèk esa] ftldk [kpZ LØSit ds le; n'kkZ;k tk,xk rFkk ftls ;gka tkjh djus ds le; [kir ds fy, ÁHkkfjr fd;k x;k Fkk] ds ckjs esa ykHk vkSj gkfu ys[ks ds fooj.k esa #-137-9 fefy;u dh jkf'k ØfMV dh xbZ g] tks okil bUosVjh esa ykbZ xbZ g] ftls igys [kir ds fy, ÁHkkfjr fd;k Fkk] ftlds ifj.kkeLo:i ml lhek rd gkfu dks de n'kkZ;k x;k gSA ;g jkf'k uohure Hkkfjr vkSlr nj ds vkèkkj ij fudkyh xbZ g] tks ys[kkdj.k ekud&2 ds vuqlkj ugha g vkSj blds dkj.k vk, vrj dk irk ugha yxk;k tk ldk gSA

3- ukV l- 33 ¼N½ ,o 33 ¼M½ % #-349-4 fefy;u dh jkf'k d lcèk e] iqjkuh bUoVjh Á.kkyh l ubl bUoVjh Á.kkyh e LFkkukrj.k d le; ek=k vkj eY; lèkkj d dkj.k bUoVjh e okil ykuk l #-183-4 fefy;u fuoy #-166-0 fefy;u dk Ákoèkku ?kVk;k x;k g] ftlls ml gn rd gkfu dk de djd n'kk;k x;k gA bu enk dk eY;kdu v|ru Hkkfjr vkSlr ij rFkk bUoVfj;k ij y[kkdj.k ekud&2 dk Ákoèkku Hkh diuh }kjk viukbl xbl y[kkdu uhfr d vuqlkj ugh g] ftld vuqlkj bUoVfj;k dk eY;kdu U;wure ykxr ;k ÁkIr gku okyh fuoy eY; ij fd;k tkrk gA bu bUoVfj;k d vfre eY; ij bud Li"V ÁHkko dk irk ugh yxk;k x;k gA diuh u ukV e ;FkkmfYyf[kr y[kk e bud fy, #-183-4 fefy;u dk rnFk Ákoèkku fd;k gA ge i;kIrrk ;k ,sl eY; lèkkj d fy, y[kk e fd, x, vU;Fkk Ákoèkku d fy, dkbl jk; ugh cuk ik, gA

4- ukV l- 33 ¼>½ % [kky dk;l vkn'kk d lcèk e ejEer d fy, tkjh [kpl ;kX;@[kir ;kX; dh bUoVjh ij #-78-5 fefy;u d rnFk Ákoèkku d lcèk e] ,sl [kky dk;l vkn'kk d fy, i;kIrrk vFkok y[kk e fd, x, Ákoèkku d fy, ge jk; ugh cuk ik, gA

5- ukV l- 33 ¼V½ % bUoVjh ij #-53-9 fefy;u d vÁpyu Ákoèkku d lcèk e bu enk d yfcr lekèkku rFkk igpku dh nf"V l ,sl vÁpyu d fy, i;kIrrk vFkok y[kk e fd, x, Ákoèkku d fy, ge jk; ugh cuk ik, gA

6- ukV l- 68 % fcy miyCèk u gku d dkj.k dfri; [kpk e #-10-00 fefy;u d rnFk Ákoèkku d lcèk e& vi;kIr tkudkjh d ennut j] i;kIrrk vFkok vU;Fkk y[kk e fd, x, Ákoèkku d fy, ge dkbl jk; ugh cuk ik,A y[kk@foRrh; fooj.kk ij Li"V foRrh; ÁHkko dk irk ugh yxk;k tk ldrk gA

7- ukV l- 66 % vkj{k.k Á.kkyh e dfri; cXl rFkk i.kkyh@LFkkukrj.k y[kkijh{kk d cxj MkVk ubl vkj{k.k Á.kkyh e LFkkukrfjr fd;k x;k] ftld ifj.kkeLo:i jktLo lxg.k] l0;ogkj 'kYd lxg.k rFkk ,tV vkfn }kjk ØfMV dh lhek l vfèkd mi;kfxrk vkfn e deh gbA ge nh xbl lpuk d vuqlkj fjikVl dh rkjh[k rd rFkk Nkuchu d yfcr jgr cx vc Hkh cuk gvk g] tk i.kkyh =fV g vkj foRrh; fooj.kk ij mld Li"V ÁHkko dk irk ugh yxk;k tk ldrk gA gkykfd] #-121-0 fefy;u dh vfHkfuèkkfjr gkfu d fy, Ákoèkku fd;k x;k@dh olyh fjdkM dh xbA vr% ge ,slh vfpfUgr enk] ;fn dkbl gk] d fy, y[kk e fd, x, Ákoèkkuk dh i;kIrrk vFkok olyh d ckj e dkbl jk; ugh cuk ik,A

;kX; jk; %

;kX; jk; iijkxkQ d fy, vkèkkj e of.kr ekey d ÁHkko dk NkM+dj] gekjh jk; e vkj gekjh lokRre tkudkjh rFkk ge fn, x, Li"Vhdj.kk d vuqlkj foRrh; fooj.k vfèkfu;e e ;Fkk vif{kr rjhd l vko';d lpuk nh xbl g vkj Hkkjr e lkekU;r% Lohdk;l y[kkdj.k fl)kUrk d vu:i lgh vkj Li"V tkudkjh ÁLrqr dh xbl g %

¼d½ rqyu&i= d ekey e] 31 ekpl] 2013 dk diuh d fØ;kdykik dh fLFkfr dk(
¼[k½ ykHk vkj gkfu fooj.k d ekey e] mlh rkjh[k dk lekIr o"kl d fy, gkfu dk(vkj
¼x½ udnh Áokg fooj.k d ekey e] mlh rkjh[k dk lekIr o"kl d fy, udnh Áokg dkA

Ekkey ij cy nuk %

हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं –

1. नोट सं. 40 : वर्ष के दौरान क्रियान्वित नई लेखाकरण प्रणाली सैप के आधार पर इस रिपोर्ट में दर्शाए गए वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। स्थानांतरण लेखापरीक्षा की प्रक्रिया नहीं की गई है और लेखापरीक्षा के लंबित रहते सैप आंकड़ा आधार में यथासमाविष्ट अधिशेषों पर विश्वास किया गया है। लेखों/वित्तीय विवरणों पर स्पष्ट वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।

2. नोट सं. 39 : नकद आधार पर लेखांकन की गई कतिपय मदों के संबंध में लेखों/वित्तीय विवरणों पर स्पष्ट वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।

3. नोट सं. 38 : अपने विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रों/स्थानों/स्टेशनों पर आंतरिक नियंत्रणों के कार्यान्वयन की आवश्यकता तथा लंबित प्रणाली/स्थानांतरण लेखापरीक्षा के संबंध में लेखों/वित्तीय विवरणों पर स्पष्ट वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।

4. नोट सं. 37 : जोख़िम आधारित नाजुक क्षेत्रों, प्रमुख प्रचालनात्मक विभागों, व्यवसाय क्षेत्रों/स्थानों/स्टेशनों तथा अन्य विभागों, समय पर रिपोर्टिंग और रिपोर्टों के शीघ्रता से अनुपालन के दायरे का विस्तार करके आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य को और सुदृढ़ बनाने, जिससे प्रकार्यों को और अधिक प्रभावी तथा कंपनी के आकार और उसके कारोबार के स्वरूप के अनुरूप बनाने संबंधी लेखों/वित्तीय विवरणों पर स्पष्ट वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।

5. नोट सं. 42, 43, 44 तथा 54 में सूचित किए गए अनुसार कतिपय स्टेशनों पर अंतर–कंपनी/अन्य परिसंपत्तियों/देयता खातों में विभिन्न अधिशेषों में डेबिट/क्रेडिट को अनुरूप बनाने सहित पुष्टिकरण एवं समाधान तथा मध्यवर्ती खातों के लंबित समाधान के संबंध में वित्तीय विवरणों पर ऐसे अधिशेषों के समाधान/पुष्टिकरण से उत्पन्न होने वाले समायोजन के प्रभाव पर टिप्पणी करने में हम असमर्थ हैं। लेखों/वित्तीय विवरणों पर स्पष्ट वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।

6. नोट सं. 45–विदेशी स्टेशनों के बारे में : विदेशी स्टेशनों/कंपनी की शाखाओं के दौरे नहीं किए जा सके। ये दौरे इन स्टेशनों/शाखाओं में रखे गए मूल रिकॉर्डों की लेखापरीक्षा करने तथा आंतरिक नियंत्रणों की जांच करने की दृष्टि से किए जाते हैं। अतः लेखों की हमारी लेखापरीक्षा कथित परिसीमा के अधीन तथा कतिपय विदेशी स्टेशनों के बारे में है, जिनके स्थानिक रूप से कुछ रिकॉर्ड प्रस्तुत किए गए थे, जो हमारे समक्ष प्रस्तुत रिकॉर्डों की जांच तक प्रतिबंधित थे। हमारे द्वारा जिन अन्य विदेशी स्टेशनों का दौरा नहीं किया गया है, उनकी लेखापरीक्षा अभी बाकी है।

7. नोट सं. 50 : परिसंपत्तियों की हानि का गैर–मूल्यांकन, यदि कोई है, के बारे में है।

8. नोट सं. 62 : इस वास्तविकता के न रहते हुए कि कंपनी का निवल मूल्य पूर्णतः समाप्त हो गया है, कंपनी के वित्तीय विवरण सतत सरोकार के आधार पर तैयार किए गए हैं। इस विषयगत आधार की उपयुक्तता कंपनी की प्रचालनात्मक और वित्तीय निष्पादन में सुधार की क्षमता पर आधारित है।

9. नोट सं. 24 तथा 67, जिसमें सेवा कर, स्रोत पर काटे गए कर के रूप में बकाया देय, यदि कोई हों, के लिए ब्याज और दंड का प्रावधान न करने के संबंध में अनिश्चितता का विवरण है।

10. नोट सं. 28 : सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग का बकाया, जिसकी पहचान की जानी है तथा देय ब्याज, यदि कोई है, के बारे में है।

11. नोट सं. 34, 35 तथा 51 तथा अन्य मामलों में, जहां कहीं कंपनी ने होल्डिंग कंपनी के साथ संव्यवहार किया है तथा ऐसे संव्यवहार, जहां घनिष्ठ संबंध को निर्धारित नहीं किया गया है।

12. नोट सं. 65 : आरक्षण प्रणाली से रिपोर्ट समय पर न आने के संबंध में, राजस्व मिलान का कार्य जिस एजेंसी को दिया गया था, उसने सही एवं पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, जिससे कंपनी प्रमुख लेखा–बहियों में अपेक्षित लेखाकरण प्रविष्टियां; कुल राजस्व बुकिंग विक्रय तथा प्राप्य लेखा, वेब विक्रय का लेखाकरण, विभिन्न बैंक संग्रहण लेखों में प्रविष्टियां आदि नहीं कर सकी।

13. नोट 33 (ध) : पुनःवर्गीकरण के संबंध में, वर्ष के दौरान इन्वेंटरी में शामिल कतिपय मदों के रैम्को में स्थानांतरण के अनुसरण में पिछले वर्ष तक रोटेबल्स तथा इसके विपरीत माना गया है। तदनुसार, इन्वेंटरी से रोटेबल्स के लिए रु.44.4 मिलियन की राशि चिन्हित की गई है तथा रु.11.5 मिलियन की राशि के रोटेबल्स को इन्वेंटरी के रूप में चिन्हित किया गया है। क्रय लागत/डबल्यूडीवी का मदवार स्पष्ट विवरण उपलब्ध न होने के कारण, इस प्रकार की लेखाकरण कार्रवाई के लिए मूल्यों को अनुमान पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर लिया गया है। तथापि, उक्त मदों को चिन्हित किया गया है और वर्ष के दौरान आवश्यक लेखाकरण प्रभाव नहीं दिए गए हैं।

इन मामलों के बारे में हमारी राय योग्य नहीं है।

vU; fofèkd rFkk fofu;ked vko';drkvksa ij fjikVZ &

1. हमारी राय में, अधिनियम की धारा 227 की उप–धारा (4क) के अधीन भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (''आदेश'' के साथ) द्वारा यथापेक्षित तथा कंपनी की बहियों एवं रिकॉर्डों की ऐसी जांच, जैसाकि हमने उचित समझा है, के आधार पर तथा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हम कंपनी पर लागू प्रयोज्यसीमा तक आदेश के पैरा 4 तथा 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण अनुलग्नक में इसके साथ संलग्न कर रहे हैं।

2. अधिनियम की धारा 227(3) की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :

¼d½ ;kX; jk; ijk rFkk ekey ij cy nuk ijkxkQ d fy, vkèkkj e mfYyf[kr ekey e] tlkfd lfpr fd;k x;k g] dk NkM dj] geu o lHkh lpuk, vkj Li"Vhdj.k ÁkIr dj fy, g] tk gekjh lokRre tkudkjh vkj fo'okl d vuqlkj y[kkijh{kk d Á;ktu d fy, vko';d Fk(

¼[k½ ;kX; jk; ijk rFkk ekey ij cy nuk ijkxkQ d fy, vkèkkj e mfYyf[kr ekey e] tlkfd lfpr fd;k x;k g] dk NkM dj] gekjh jk; e tgk rd bu cfg;k dh gekjh tkp l Árhr gkrk g] diuh u fofèk }kjk ;Fkkif{kr y[kk&cfg;k j[kh g rFkk gekjh y[kkijh{kk d Á;ktu d fy, mu LFkkuk lfgr] tgk dk geu nkjk ugh fd;k g] 0;olk; {k=k@LV'kuk@LFkkuk l mfpr lpuk@i;kIr fooj.k ÁkIr g, gA

¼x½ इस रिपोर्ट में शामिल तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा–बहियों तथा हमारे द्वारा दौरा न किए गए व्यवसाय क्षेत्रों/स्टेशनों से प्राप्त पर्याप्त विवरण से मेल खाते हैं।

¼?k½ ;kX; jk; ijk rFkk ekey ij cy nuk ijkxkQ d fy, vkèkkj e mfYyf[kr ekey e lfpr fd, x, vuqlkj] dk NkM dj] gekjh jk; e] rqyu&i=] ykHk vkj gkfu fooj.k rFkk udnh Áokg fooj.k diuh vfèkfu;e 2013 dh èkkjk 133 d lcèk e fuxfer dk;l e=ky; d rkjh[k 13 flrEcj 2013 d lkekU; ifji= l- 15@2013 d lkFk ifBr diuh vfèkfu;e] 1956 dh èkkjk 211 dh mi&èkkjk ¼3x½ e lnfHkr y[kkdj.k ekudk dk vuqikyu djr gA

¼3½ अधिनियम की धारा 617 में यथापरिभाषित कंपनी को सरकारी कंपनी होने के कारण, विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी तारीख 22 मार्च, 2002 के परिपत्र सं. 2/5/2001/सीवी.वी सामान्य परिपत्र सं. 8/2002 द्वारा जारी उक्त अधिनियम की धारा 274(1)(छ) के प्रावधान को लागू करने से उसे छूट प्राप्त है।

¼p½ चूंकि केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441क के अधीन भुगतान की जाने वाली उपकर की दर के बारे में न तो कोई अधिसूचना जारी की है और न ही ऐसे उपकर का किस प्रकार से भुगतान किया जाना है, के बारे में कथित धारा के अंतर्गत कोई नियम जारी किए हैं, अतः कंपनी द्वारा कोई उपकर देय नहीं है।

flÄoh] vkrjdj ,.M dGdj
के लिए और उनकी ओर से
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.–110265डबल्यू

हस्ता./–
lgkl 'kkg
भागीदार
सदस्यता सं. एफ–040872

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 17 फरवरी 2014

Lor= y[kkijh{kdksa dh fjiksVZ dk vuqyXud

¼31 ekp] 2013 dks lekIr o"kZ ds foÙkh; fooj.kksa ij gekjh le fnukad dh fjiksVZ ds iSjkxkQ 3 esa lanfHkZr½

(i) (क) dEiuh }kjk vuqjf{kr jkVcYl lfgr LFkk;h ifjlEifRr;ksa ls lacaf/kr fjdkMZ dks iw.kZ fooj.k] ifjek.kkRed fooj.k rFkk mudh LFkku ds ckjs esa v|ru djus dh Áfø;k py jgh gSA dEiuh us LFkk;h ifjlEifRr;ksa ds jftLVj esa dfri; LFkkuksa ij ifjlEifÙk;ksa ds mfpr eY; dks vHkh rd v|ru ugha fd;k gS rFkk ;g lfpr fd;k x;k gS fd ;g dk;Z Áfø;kèkhu gSA foeku jkVcYl ds LFkk;h ifjlEifÙk jftLVj rFkk foÙkh; fjdkMksa lfgr vU; LFkk;h ifjlEifRr;ksa dk lekèkku Áfø;kèkhu crk;k x;k gSA

(ख) कंपनी की अचल परिसंपत्तियों का बारी–बारी से वास्तविक सत्यापन करने का कार्यक्रम है, ताकि हर परिसंपत्ति का दो वर्ष में एक बार सत्यापन किया जा सके, जो हमारी राय में पर्याप्त है। ,slk n'kkZ;k x;k gS fd o"kZ ds nkSjku dksbZ okLrfod lR;kiu ugha fd;k x;k gSA vr% ge bldk irk yxkus esa vleFkZ gSa fd okLrfod lR;kiu esa dksbZ egRoiw.kZ folaxfr gSA

(ग) वर्ष के दौरान, कंपनी ने कतिपय वाहनों का निपटान किया है। हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी यह राय है कि वाहनों की बिक्री का परिणाम कंपनी की सतत सरोकार स्थिति को प्रभावित नहीं करता है।

(ii) (क) होल्डिंग कंपनी (एअर इंडिया लिमिटेड) द्वारा इन्वेंटरी का स्टॉक रखा गया है और उसे उनके द्वारा प्रमाणित किया जाता है तथा बिना सत्यापन के सही माना जाता है।

(ख) होल्डिंग कंपनी (एअर इंडिया लिमिटेड) द्वारा यथाप्रमाणित, प्रबंधन द्वारा अपनाई गई इन्वेंटरी के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रक्रिया कंपनी के आकार और इसके कारोबार के स्वरूप के संबंध में युक्तिसंगत एवं पर्याप्त है। हमने एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा दिए गए प्रमाण–पत्र पर विश्वास किया है।

(ग) होल्डिंग कंपनी (एअर इंडिया लिमिटेड) द्वारा यथाप्रमाणित तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इन्वेंटरी का रिकॉर्ड एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा रखा जाता है और इसे एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रमाणित भी किया गया है, सत्यापन करने पर प्रत्यक्ष स्टॉक एवं बही रिकॉर्डों में पाई गई विसंगतियों की जांच होल्डिंग कंपनी द्वारा की गई है। हमने एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा दिए गए प्रमाण–पत्र पर विश्वास किया है।

(iii) (क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को कंपनी ने कोई रक्षित या अरक्षित ऋण नहीं दिए हैं। तदनुसार, उपखंड (ख), (ग) तथा (घ) लागू नहीं होते हैं।

(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कंपनी ने कोई रक्षित या अरक्षित ऋण नहीं लिए हैं। तदनुसार, उपखंड (च) एवं (छ) लागू नहीं होते हैं।

(ग) कंपनी ने होल्डिंग कंपनी मैसर्स एअर इंडिया लिमिटेड में चालू खाता अनुरक्षित किया है, जिसमें वर्ष के दौरान अंतर कंपनी संव्यवहार के लिए नियमित रूप से निधि अदा की जाती है और प्राप्त की जाती है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यह चालू खाता ऋण स्वरूप नहीं है, जैसाकि नोट सं. 31 में उल्लेख किया गया है। वर्ष के अंत में इस खाते में जमा शेष रु.14,071.70 मिलियन है (पिछले वर्ष का जमा शेष रु.9,302.8 मिलियन है)। वर्ष के दौरान अधिकतम शेष रु.14,071.7 मिलियन है (पिछले वर्ष का जमा शेष रु.9,302.8 मिलियन है)।

(iv) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, अचल परिसंपत्तियों एवं सामग्री और सेवाओं की बिक्री के लिए कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय के स्वरूप के अनुसार आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया का निर्धारण, उसे अपनाना और उसे सुदृढ़ करना आवश्यक है।

tgka rd bUoasVjh dk ç'u gS & bl okLrfodrk ds eísutj fd çk.k] [kir ,oa okLrfod vfHkj{kk i.kkZ :i ls gksfYMax dEiuh }kjk fu;af=r dh tkrh gS] vr% bldh vkarfjd fu;a=.k ç.kkyh dh mi;Drrk ij fVIi.kh djus esa ge vleFkZ gSA

vkarfjd fu;a=.k Á.kkyh dh detkjh esa lq/kkj ds fy, Áca/ku dks yxkrkj foQyrk ij lq/kkjkRed dkjZokbZ djuk vko';d gSA

(v) (क) हमारे द्वारा प्रयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत संदर्भित किन्हीं संविदाओं या व्यवस्थाओं का विवरण नहीं है, जिनकी इस धारा के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में प्रविष्टि करना ज़रूरी है।

अतः टिप्पणी करने का प्रश्न नहीं उठता कि ऐसी संविदाओं या व्यवस्थाओं के अनुसरण में किए गए संव्यवहार, उन कीमतों पर किए गए थे, जो संगत समय पर वर्तमान बाज़ार भाव को देखते हुए उचित हैं।

(vi) कंपनी ने जनता से कोई भी जमा स्वीकार नहीं किया है, जिस पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क, 58कक के उपबंध या कोई अन्य सुसंगत उपबंध तथा कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 1975 लागू होते हैं।

(vii) gekjh jk; esa vfèkd tkf[ke okys ukt+d {ks=ksa] çeq[k çpkyukRed foHkkxksa] fctusl {ks=ksa@LFkkuksa@LVs'kuksa vkSj vU; foHkkxksa ds foLrkj lfgr le; ij fjiksfVZax vkSj fjiksVksZa dk 'khÄz vuqikyu djds vkarfjd ys[kkijh{kk dk;Z dks vkSj lqn`<+ cukus dh vko';drk gS] ftlls çdk;ksZa dks vkSj vfèkd çHkkoh rFkk dkjksckj ds vkdkj vkSj Lo:i ds vuq:i cuk;k tk ldsA

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (घ) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार ने लागत रिकार्डों का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है।

(ix) (क) कंपनी के रिकॉर्डों तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, uhps mfYyf[kr dks NksM+dj] कंपनी भविष्य निधि, आयकर, संपत्ति कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क और कंपनी पर लागू होने वाली अन्य वास्तविक सांविधिक देय राशियों सहित, अविवादित सांविधिक देय राशियां उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा करने में सामान्यतः नियमित है।

lzksr ij dkVs x, vk;dj dh dVkSrh ,oa tek vkSj cdk;k 'ks"k ds feyku ds chp lefpr lkeatL; rFkk cfg;ksa esa Hkqxrku ds vkèkkj ij 0;; fjdkWMZ dk ifj.kke] cfg;ksa esa 0;; dk o"kZ ds var esa fjdkWMZ u gksus ds dkj.k] ge foyac lfgr] ;fn dksbZ gks] fdlh çdkj dh fVIi.kh djus dh fLFkfr esa ugÈ gSaA

lsxg.k nkok dh xbZ buiqV ØsfMV vkSj lsok dj dh vnk;xh vkSj cdk;k 'ks"k ds feyku ds chp lefpr lkeatL; rFkk o"kZ ds var esa cfg;ksa esa jktLo fjdkWMZ dk ÁHkko u gksus ds dkj.k] ge foyac lfgr] ;fn dksbZ gks] fdlh çdkj dh fVIi.kh djus dh fLFkfr esa ugha gSaA

fons'kh LVs'kuksa ij lkfofèkd nsa;rk,a] ;fn dksbZ gks] ds le; ij tek djus ds ckjs esa ge fVIi.kh djus esa vleFkZ gSa] D;ksafd lacafèkr fjdkWMZ LVs'ku ij j[kk tkrk gSA

सक्षम प्राधिकारी के अंतिम निर्णय के लंबित रहते एवं हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा से संबंधित विधि के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होते।

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त के संबंध में कोई भी देय अविवादित राशि, जिस दिन वे देय हों, 31 मार्च, 2013 को छः महीनों से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं है।

(ख) कंपनी के रिकार्डों तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नलिखित के अलावा किसी विवाद के कारण आयकर, संपत्ति कर, सेवा कर, उपकर अथवा अन्य सांविधिक देयताओं से संबंधित कोई राशि बकाया नहीं है।

Ø-la-	lafofèk dk uke	jkf'k fefy;u #i, esa	çdkj vkSj Qksje] tgka fookn yafcr gS
1.	सीमा शुल्क	8.8	सीमा शुल्क आयुक्त
2.	सेवा कर	363.3	सेसटाट
3.	आयकर अधिनियम के अनुसार स्रोत पर काटा गया कर	29.1	आयकर आयुक्त (अपील)
4.	आयकर अधिनियम	6.4	आयकर आयुक्त (अपील)

(x) वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की संचित हानि (आस्थगित कर देयता सहित) इसके निवल मूल्य के पचास प्रतिशत से अधिक बढ़ी है। हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानि पाई गई है तथा इसके ठीक पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानि हुई थी। प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के अनुसार सतत सरोकार के अनुमानों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(xi) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं या बैंकों को देय राशियों के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है।

(xii) हमारे द्वारा की गई रिकॉर्डों की जांच तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों एवं अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर सिक्युरिटी के आधार पर कोई ऋण और अग्रिम नहीं दिया है।

(xiii) हमारी राय में, कंपनी, चिट फंड या निधि/म्युच्युअल बेनिफिट फंड/सोसाइटी नहीं है। अतः आदेश के खंड 4 (xiii) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होते।

(xiv) हमारी राय में, कंपनी, शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य निवेशों का लेन–देन या सौदा नहीं करती है। तदनुसार, आदेश के खंड 4 (xiv) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होते।

(xv) वर्ष के दौरान, कंपनी ने दूसरों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

(xvi) हमारी राय में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, मियादी ऋण उन प्रयोजनों हेतु लिए गए, जिन प्रयोजनों के लिए आवेदित किए गए थे।

(xvii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के तुलन–पत्र और नकदी प्रवाह की समग्र जांच करने पर हम रिपोर्ट देते हैं कि लघु अवधि आधार पर ली गई निधियों का प्रयोग दीर्घ अवधि निवेश के लिए नहीं किया गया।

(xviii) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल पार्टियों और कंपनियों को शेयरों का कोई अधिमान्य आबंटन नहीं किया है।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कुल रु.950 मिलियन के अरक्षित डिबेंचरों के संबंध में प्रतिभूतियां या प्रभार निर्मित नहीं किए हैं।

(xx) कंपनी ने कोई पब्लिक इश्यू जारी नहीं किया है, अतः राशि के अंतिम उपयोग को प्रकट करने का प्रश्न नहीं उठता।

(xxi) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट देते हैं कि वर्ष के दौरान, कंपनी पर या कंपनी द्वारा कोई बड़ी धोखाधड़ी की घटना न तो पाई गई है और न ही सूचित की गई है :

flÄoh] vkrjdj ,.M dGdj
के लिए और उनकी ओर से
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.–110265 डबल्यू

हस्ता./–
lunh y[kkdkj lgkl 'kkg
भागीदार
सदस्यता सं. एफ–040872

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 17 फरवरी 2014

foRrh; o"k 2012&13 d fy, lkfofèkd y[kkijh{kdk dh fjikV ij icèku d mRrj

Ø-l-	y[kkijh{kk fVIif.k;k	icèku d mRrj
1	हमने ,vj bfM;k pkVl fyfeVM ¼,vkblh,y½ ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 ekp 2013 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र और उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश एवं अन्य स्पष्टीकरणात्मक जानकारी शामिल है।	यह कथन सही है ।
2	foRrh; fooj.kk d fy, icèku dh ftEenkjh % इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की ज़िम्मेदारी प्रबंधन की है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के संबंध में निगमित कार्य मंत्रालय के तारीख 13 सितम्बर 2013 के सामान्य परिपत्र 15/2013 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 ("अधिनियम") की धारा 211 की उप–धारा (3ग) में संदर्भित लेखाकरण मानकों के अनुसरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण दर्शाते हैं। इन दायित्वों में वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की डिज़ाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण शामिल है, जो सही और निष्पक्ष विवरण दर्शाते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण तथ्यपरक गलत विवरण नहीं है।	यह कथन सही है ।
3	y[kkijh{kdk dh ftEenkjh % इन वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर राय प्रकट करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुसरण में की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा इस प्रकार योजनाबद्ध और कार्यबद्ध करें कि इस आशय का उचित आश्वासन मिल जाए कि वित्तीय विवरणों में कोई तथ्यपरक गलत विवरण नहीं है। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और खुलासों के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय विवरणों के तथ्यपरक गलत विवरण की जोखिमों के निर्धारण सहित चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर हैं, चाहे वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हैं। ऐसे जोखिम मूल्यांकन में लेखापरीक्षक उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा सही प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के बारे में विचार करता है, न कि एंटिटी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता पर राय व्यक्त करता है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण आकलनों की युक्तिसंगतता के साथ–साथ प्रस्तुत समग्र वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी vgZd y[kkijh{kk e O;Dr jk; के लिए आधार उपलब्ध कराने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण पर्याप्त तथा उपयुक्त है।	यह कथन सही है ।
4	;kX; jk; dk vkèkkj %	
	1. ukV l- 49 % vpy ifjlifRr;k ij eY;gkl d lcèk e & ,vjØk¶V rFkk ,vjÝe midj.kk ,o fLE;yVjk ij eY;gkl d Ákoèkku dh i)fr o"k 2007&08 e foeku dh vuekfur vk;q dk fiNy o"kk e 17 o"k ekuu dh rqyuk e 20 o"k rd ekudj ifjofrr dh xbZ gA blds ifj.kkeLo:i ifjlifRr;k dh vuekfur vk;q mPprj gbZ vkj blds QyLo:i o"k dk eY;gkl dk Ákoèkku #-377-76 fefy;u ¼fiNy o"k #-357-98 fefy;u½ derj gvkA o"k dh gkfu ml lhek rd de crkbZ xbA lfpr gkfu #-1]737-97 fefy;u ¼fiNy o"k #-1]366-14 fefy;u½ dh lhek rd de crkbZ xbA ifj.kkeLo:i] vpy ifjlifRr;k dk Hkh #-1]751-38 fefy;u ¼fiNy o"k #-1]375-86 fefy;u½ rd dh lhek rd vfèkd crk;k x;k rFkk vkjf{kr iath dk #-13-41 fefy;u ¼fiNy o"k #-9-72 fefy;u½ rd dh lhek rd vfèkd crk;k x;kA	इस मामले को सीएलबी के समक्ष अनुमति के लिए रखा गया था तथा सीएलबी को विनिर्माता से प्रमाण–पत्र चाहिए था कि बोइंग 737–800 बेड़े की आयु अन्य प्रकार के विमानों की तुलना में किस प्रकार बेहतर है। सीएलबी की अपेक्षानुसार कंपनी ने अब बोइंग से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया है कि बोइंग 737–800 विमान की आयु 20 वर्ष से अधिक है तथा मामला दुबारा सीएलबी के समक्ष अनुमति के लिए रखा जाएगा।

Ø-l-	y[kkijh{kk fVIif.k;k	iceku dk mRrj
	2- ukV l- 26] 33 ¼³½ rFkk 33 ¼p½ % ejEer ;kX; iqtk ¼Á;kT; rFkk vuÁ;kT; ejEer iqrh{kkjr½ dh y[kkdj.k uhfr e ifjorlu d lcèk e] ftldk [kpl LØii t d le; n'kk;k tk,xk rFkk ftl ;gk tkjh djus d le; [kir d fy, ÁHkkfjr fd;k x;k Fkk] d ckj e ykHk vkj gkfu y[k d fooj.k e #-137-9 fefy;u dh jkf'k ØfMV dh xbl g] tk okil bUoUVjh e ykbl xbl g] ftl igy [kir d fy, ÁHkkfjr fd;k Fkk] ftld ifj.kkeLo:i ml lhek rd gkfu dk de n'kk;k x;k gA ;g jkf'k uohure Hkkfjr vkSlr nj d vkèkkj ij fudkyh xbl g] tk y[kkdj.k ekud&2 d vuqlkj ugh g vkj bld dkj.k vk, vrj dk irk ugh yxk;k tk ldk gA	वर्ष 2012 के दौरान, कंपनी ने इन्वेंटरी नियंत्रण की रैम्को प्रणाली में स्थानांतरण किया है, जो विमान इन्वेंटरी के लिए इन्वेंटरी प्रबंधन की एकीकृत प्रणाली उपलब्ध कराती है। होल्डिंग कंपनी द्वारा अपनाई जा रही नीति के अनुरूप बनाने के लिए लेखाकरण नीति में परिवर्तन किए गए हैं। लेखापरीक्षकों द्वारा मरम्मत योग्य मदों के संबंध में संदर्भित लेखाकरण नीति में परिवर्तन के बारे में, जिसे केवल स्क्रैपेज के समय खपत के लिए प्रभारित किया जाएगा तथा तब तक केवल मरम्मत लागत को लाभ और हानि लेखे में डेबिट किया जाएगा। मरम्मत योग्य मदों की आयु कंपनी के प्रचालन चक्र से अधिक है तथा उनका तब तक पुनः उपयोग किया जा सकेगा, जब तक कि उनकी मरम्मत का खर्च किफायती है।
	3- ukV l- 33 ¼N½ ,o 33 ¼M½ % #-349-4 fefy;u dh jkf'k d lcèk e] iqjkuh bUoUVjh Á.kkyh l ubl bUoUVjh Á.kkyh e LFkkukrj.k d le; ek=k vkj eY; lèkkj d dkj.k bUoUVjh e okil yku l #-183-4 fefy;u fuoy #- 166-0 fefy;u dk Ákoèkku ?kVk;k x;k g] ftlls ml gn rd gkfu dk de djd n'kk;k x;k gA bu enk dk eY;kdu v|ru Hkkfjr vkSlr ij rFkk bUoUVfj;k ij y[kkdj.k ekud&2 dk Ákoèkku Hkh dqiuh }kjk viukbl xbl y[kkdu uhfr d vuqlkj ugh g] ftld vuqlkj bUoUVfj;k dk eY;kdu U;wure ykxr ;k ÁkIr gkus okyk fuoy eY; ij fd;k tkrk gA bu bUoUVfj;k d vfre eY; ij bud Li"V ÁHkko dk irk ugh yxk;k x;k gA dquh u ukV e ;FkkmfYyf[kr y[kk e bud fy, #-183-4 fefy;u dk rnFk Ákoèkku fd;k gA ge i;kIrrk ;k ,l eY; lèkkj d fy, y[kk e fd, x, vU;Fkk Ákoèkku d fy, dkbl jk; ugh cuk ik, gA	होल्डिंग कंपनी द्वारा अपनाई जा रही पद्धति के अनुसार नई रैम्को प्रणाली में लेखाकरण पद्धति को एकीकृत किया गया है। नई प्रणाली में स्थानांतरण के कारण इन्वेंटरियों के मूल्यों में वृद्धि हुई है, क्योंकि पहले खपत के रूप में प्रभारित मरम्मत योग्य पुर्ज़ों की संख्या को अब इन्वेंटरी के रूप में लेखांकित किया जाता है। साथ ही, इनमें से कई मदें स्थानांतरण के समय अनुप्रयोज्य स्वरूप की थीं (परंतु आंतरिक तथा बाह्य दोनों स्तर पर मरम्मत करने योग्य थीं) तथा इनका स्थानांतरण भारित औसत आधार पर पूर्व परंपरागत प्रणाली में उपलब्ध मूल्यों अथवा रैम्को प्रणाली द्वारा कैटलॉग कीमत (2004–2014) के आधार पर किया गया है। अतः प्रबंधन की राय है कि लेखों में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं और अधिकता/कमी, यदि कोई हो, को समायोजन के वर्ष में दर्शाया जाएगा।
	4- ukV l- 33 ¼>½ % [kqy dk;l vkn'kk d lcèk e ejEer d fy, tkjh [kpl ;kX;@[kir ;kX; dh bUoUVjh ij #-78-5 fefy;u d rnFk Ákoèkku d lcèk e] ,l [kqy dk;l vkn'kk d fy, i;kIrrk vFkok y[kk e fd, x, Ákoèkku d fy, ge jk; ugh cuk ik, gA	खुले कार्य आदेशों के संबंध में प्रबंधन ने इंजीनियरी विभाग को 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अंत तक इन आदेशों को पुनःनिर्धारित करने तथा पूर्ण हुए अथवा पूर्ण होने वाले ऐसे कार्य आदेशों को लेखांकित करने के लिए पहले ही अनुदेश जारी किए हैं। प्रबंधन की राय में किए गए प्रावधान पर्याप्त हैं।
	5- ukV l- 33 ¼V½ % bUoUVjh ij #-53-9 fefy;u d vÁpyu Ákoèkku d lcèk e bu enk d ylcr lekèkku rFkk igpku dh nf"V l ,l vÁpyu d fy, i;kIrrk vFkok y[kk e fd, x, Ákoèkku d fy, ge jk; ugh cuk ik, gA	कंपनी की नीति के अनुसार अप्रचलन के लिए प्रावधान किए गए हैं।
	6- ukV l- 68 % fcy miyCèk u gkus d dkj.k dfri; [kpk e #-10-00 fefy;u d rnFk Ákoèkku d lcèk e & vi;kIr tkudkjh d ennut j] i;kIrrk vFkok vU;Fkk y[kk e fd, x, Ákoèkku d fy, ge dkbl jk; ugh cuk ik,A y[kk@ foRrh; fooj.kk ij Li"V foRrh; ÁHkko dk irk ugh yxk;k tk ldrk gA	यह देखा गया है कि स्टेशनों को विभिन्न सेवा उपलब्धकर्ताओं से इनवॉइस समय पर प्राप्त नहीं हो रहे हैं, इसलिए वे उसी वित्तीय वर्ष के भीतर ऐसे इनवॉइसों को लेखांकित नहीं कर पा रहे हैं। पूर्व अवधि की मद के रूप में ऐसे व्यय की बुकिंग से बचने के लिए, जो आयकर अधिनियम के अनुसार अनुमत नहीं है, अनुमानित मूल्य पर रु.10.00 मिलियन का प्रावधान किया गया है।

Ø-l-	ys[kkijh{kk fVIif.k;k	izca/ku dk mRrj
	7- ukV l- 66 % vkj{k.k Á.kkyh esa dfri; cXl rFkk iz.kkyh@LFkkukarj.k ys[kkijh{kk dks cxSj MkVk ubZ vkj{k.k Á.kkyh esa LFkkukarfjr fd;k x;k] ftlds ifj.kkeLo:i jktLo lxzg.k] lO;ogkj 'kqYd lxzg.k rFkk ,tsaV vkfn }kjk ØfMV dh lhek ls vf/kd mi;ksfxrk vkfn esa deh gqbZA gesa nh xbZ lwpuk ds vuqlkj fjiksVZ dh rkjh[k rd rFkk Nkuchu ds ySfcr jgrs cx vc Hkh cuk gqvk gS] tks iz.kkyh =qfV gS vkSj foRrh; fooj.kksa ij mlds Li"V ÁHkko dk irk ugha yxk;k tk ldrk gSA gkykafd] #-121-0 fefy;u dh vfHkfu/kkZfjr gkfu ds fy, Áko/kku fd;k x;k@dh olwyh fjdkMZ dh xbZA vr% ge ,slh vfpfUgr enksa] ;fn dksbZ gks] ds fy, ys[kksa esa fd, x, Ákof/kkuksa dh i;kZIrrk vFkok olwyh ds ckjs esa dksbZ jk; ugha cuk ik,A	कंपनी ने 01 अप्रैल 2012 से नई आरक्षण प्रणाली अपनाई है। नई आरक्षण प्रणाली में प्रारंभिक समस्याएं थीं, जिन्हें प्रबंधन लगातार सेवा उपलब्धकर्ता के समक्ष रख रहा है। लेखापरीक्षक द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार, बग का हल नहीं निकाला गया है, तथापि सेवा उपलब्धकर्ता के समक्ष मामले को रखने पर उन्होंने एक स्क्रिप्ट विकसित की है, जो हर घंटे चलाई जाती है तथा उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस स्क्रिप्ट के कारण कम वसूली की कोई संभावना नहीं है। प्रबंधन वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान स्थानांतरण/प्रणाली लेखापरीक्षा की आवश्यकता की भी समीक्षा करेगा।
	;kX; jk; % ;kX; jk; iSjkxzkQ ds fy, vk/kkj esa of.kZr ekeyksa ds ÁHkko dks NksM+dj] gekjh jk; esa vkSj gekjh loksZRre tkudkjh rFkk gesa fn, x, Li"Vhdj.kksa ds vuqlkj foRrh; fooj.k vf/kfu;e esa ;Fkk vis{kr rjhds ls vko';d lwpuk nh xbZ gS vkSj Hkkjr esa lkekU;r% Lohdk;Z ys[kkdj.k fl)karksa ds vuq:i lgh vkSj Li"V tkudkjh ÁLrqr dh xbZ gS % ¼d½ rqyu&i= ds ekeys esa] 31 ekpZ 2013 dks daiuh ds fØ;kdykiksa dh fLFkfr dk(¼[k½ ykHk vkSj gkfu fooj.k ds ekeys esa] mlh rkjh[k dks lekIr o"kZ ds fy, gkfu dk(vkSj ¼x½ udnh Áokg fooj.k ds ekeys esa] mlh rkjh[k dks lekIr o"kZ ds fy, udnh Áokg dkA	इसे नोट किया गया।
	Ekkeys ij cy nsuk % हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं –	
	1. नोट सं. 40 : वर्ष के दौरान क्रियान्वित नई लेखाकरण प्रणाली सैप के आधार पर इस रिपोर्ट में दर्शाए गए वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। स्थानांतरण लेखापरीक्षा की प्रक्रिया नहीं की गई है और लेखापरीक्षा के लंबित रहते सैप आंकड़ा आधार में यथासमाविष्ट अधिशेषों पर विश्वास किया गया है। लेखों/वित्तीय विवरणों पर स्पष्ट वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।	वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान स्थानांतरण लेखापरीक्षा की जाएगी।
	2. नोट सं. 39 : नकद आधार पर लेखांकन की गई कतिपय मदों के संबंध में लेखों/वित्तीय विवरणों पर स्पष्ट वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।	कर्मचारियों के कतिपय दावों की प्रतिपूर्ति के संबंध में अपनाई गई पद्धति के अनुसार नकद आधार पर उन्हें लेखांकित किया जाता है। प्रबंधन की राय में इसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।
	3. नोट सं. 38 : अपने विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रों/स्थानों/स्टेशनों पर आंतरिक नियंत्रणों के कार्यान्वयन की आवश्यकता तथा लंबित प्रणाली/स्थानांतरण लेखापरीक्षा के संबंध में लेखों/वित्तीय विवरणों पर स्पष्ट वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।	इस मामले को आंतरिक लेखापरीक्षकों के समक्ष रखा जाएगा तथा तदनुसार आंतरिक नियंत्रण और अधिक सुदृढ़ किए जाएंगे।
	4. नोट सं. 37 : जोख़िम आधारित नाज़ुक क्षेत्रों, प्रमुख प्रचालनात्मक विभागों, व्यवसाय क्षेत्रों/स्थानों/स्टेशनों तथा अन्य विभागों, समय पर रिपोर्टिंग और रिपोर्टों के शीघ्रता से अनुपालन के दायरे का विस्तार करके आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य को और सुदृढ़ बनाने, जिससे प्रकार्यों को और अधिक प्रभावी तथा कंपनी के आकार और उसके कारोबार के स्वरूप के अनुरूप बनाने संबंधी लेखों/वित्तीय विवरणों पर स्पष्ट वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।	वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान कंपनी ने आंतरिक लेखापरीक्षकों को छह विशेष समीक्षाएं करने का कार्य सौंपा था तथा इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान भी प्रबंधन आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्य को सुदृढ़ बनाने के लिए और अधिक क्षेत्रों को शामिल करने की संभावना का भी पता लगाएगा।

Ø-l-	y[kkijh{kk fVIif.k;k	icaku dk mRrj
	5. नोट सं. 42, 43, 44 तथा 54 में सूचित किए गए अनुसार कतिपय स्टेशनों पर अंतर–कंपनी/अन्य परिसंपत्तियों/देयता खातों में विभिन्न अधिशेषों में डेबिट/क्रेडिट को अनुरूप बनाने सहित पुष्टिकरण एवं समाधान तथा मध्यवर्ती खातों के लंबित समाधान के संबंध में वित्तीय विवरणों पर ऐसे अधिशेषों के समाधान/पुष्टिकरण से उत्पन्न होने वाले समायोजन के प्रभाव पर टिप्पणी करने में हम असमर्थ हैं। लेखों/वित्तीय विवरणों पर स्पष्ट वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।	वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान, 01 जनवरी, 2013 से सैप में लेखांकन गतिविधि के स्थानांतरण के कारण लेखांकन में विलंब हुआ। प्रबंधन आगामी वर्ष के दौरान इन पहलुओं का हल निकालने का प्रयास करेगा।
	6. नोट सं. 45–विदेशी स्टेशनों के बारे में : विदेशी स्टेशनों/कंपनी की शाखाओं के दौरे नहीं किए जा सके। ये दौरे इन स्टेशनों/शाखाओं में रखे गए मूल रिकॉर्डों की लेखापरीक्षा करने तथा आंतरिक नियंत्रणों की जांच करने की दृष्टि से किए जाते हैं। अतः लेखों की हमारी लेखापरीक्षा कथित परिसीमा के अधीन तथा कतिपय विदेशी स्टेशनों के बारे में है, जिनके स्थानिक रूप से कुछ रिकॉर्ड प्रस्तुत किए गए थे, जो हमारे समक्ष प्रस्तुत रिकॉर्डों की जांच तक प्रतिबंधित थे। हमारे द्वारा जिन अन्य विदेशी स्टेशनों का दौरा नहीं किया गया है, उनकी लेखापरीक्षा अभी बाकी है।	हालांकि, लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों द्वारा विदेश स्थित स्टेशनों का दौरा नहीं किया गया है, परंतु सभी प्रमुख स्टेशनों के लेखा प्रबंधकों को सभी करारों की प्रतियों सहित लेखापरीक्षकों द्वारा चुने गए महीनों के वाउचरों के साथ भारत स्थित मुख्यालय में बुलाया गया था। तथापि, लेखापरीक्षकों द्वारा इंगित किए गए अनुसार विदेश स्थित स्टेशनों का दौरा करने के मामले की समीक्षा प्रबंधन द्वारा की जाएगी।
	7. नोट सं. 50 : परिसंपत्तियों की हानि का गैर–मूल्यांकन, यदि कोई है, के बारे में है।	चूंकि, कंपनी के पास विमानों का नया बेड़ा है, इसलिए इस पहलू पर निकट भविष्य में विचार किया जाएगा।
	8. नोट सं. 62 : इस वास्तविकता के न रहते हुए कि कंपनी का निवल मूल्य पूर्णतः समाप्त हो गया है, कंपनी के वित्तीय विवरण सतत सरोकार के आधार पर तैयार किए गए हैं। इस विषयगत आधार की उपयुक्तता कंपनी की प्रचालनात्मक और वित्तीय निष्पादन में सुधार की क्षमता पर आधारित है।	वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी होल्डिंग कंपनी के साथ राजस्व भागीदारी की समीक्षा की है तथा राजस्व भागीदारी को 25% से घटाकर 12.5% किया गया है, इसलिए आने वाले वित्तीय वर्षों के दौरान ईबीडीआईटीए में उल्लेखनीय सुधार होगा तथा साथ ही किए गए विभिन्न उपायों के कारण भी कंपनी की प्रचालनात्मक तथा वित्तीय स्थिति भविष्य में काफी हद तक सुधरेगी। अतः लेखों को 'सतत सरोकार' आधार पर तैयार किया जा रहा है।
	9. नोट सं. 24 तथा 67, जिसमें सेवा कर, स्रोत पर काटे गए कर के रूप में बकाया देय, यदि कोई हों, के लिए ब्याज और दंड का प्रावधान न करने के संबंध में अनिश्चितता का विवरण है।	प्रबंधन ने विवेकानुसार बाह्य वाणिज्यिक उधारी पर अदा किए गए विभिन्न शुल्कों पर सेवा कर, अंतर्देशीय उड़ानों पर खपत हुए एटीएफ पर सीमा–शुल्क के संबंध में सीमा–शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से प्राप्त नोटिसों तथा आयकर विभाग से प्राप्त नोटिसों के संबंध में प्रासंगिक देयता को प्रकट किया है। तेल कंपनियों को देय वित्तीय लागत के बारे में हम सूचित करना चाहेंगे कि यह तथ्यपरक विवरण है, क्योंकि तेल कंपनियों को देय वित्तीय लागत कंपनी को दी गई कार्यशील–पूंजी की उनकी लागत को दर्शाती है, जो मुख्यतः ब्याज की प्रतिपूर्ति के स्वरूप में है। इसलिए उसे वित्तीय लागत के रूप में लिया गया है।
	10. नोट सं. 28 : सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग का बकाया, जिसकी पहचान की जानी है तथा देय ब्याज, यदि कोई है, के बारे में है।	यह कथन सही है।
	11. नोट सं. 34, 35 तथा 51 तथा अन्य मामलों में, जहां कहीं कंपनी ने होल्डिंग कंपनी के साथ संव्यवहार किया है तथा ऐसे संव्यवहार, जहां घनिष्ठ संबंध को निर्धारित नहीं किया गया है।	होल्डिंग कंपनी के साथ जहां तक संव्यवहार के बारे में घनिष्ठ संबंध हैं, कंपनी के सलाहकार के साथ परामर्श करके संबंधित विधि के उपबंधों की अनुप्रयोज्यता के बारे में प्रबंधन द्वारा ध्यान दिया जाएगा।

Ø-l-	y[kkijh{kk fVIif.k;k	iceku d mRrj
	12. नोट सं. 65 : आरक्षण प्रणाली से रिपोर्ट समय पर न आने के संबंध में, राजस्व मिलान का कार्य जिस एजेंसी को दिया गया था, उसने सही एवं पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, जिससे कंपनी प्रमुख लेखा–बहियों में अपेक्षित लेखाकरण प्रविष्टियां; कुल राजस्व बुकिंग विक्रय तथा प्राप्य लेखा, वेब विक्रय का लेखाकरण, विभिन्न बैंक संग्रहण लेखों में प्रविष्टियां आदि नहीं कर सकी।	यह कथन सही है।
	13. नोट 33 (ध) : पुनःवर्गीकरण के संबंध में, वर्ष के दौरान इन्वेंटरी में शामिल कतिपय मदों के रैम्को में स्थानांतरण के अनुसरण में पिछले वर्ष तक रोटेबल्स तथा इसके विपरीत माना गया है। तदनुसार, इन्वेंटरी से रोटेबल्स के लिए रु.44.4 मिलियन की राशि चिन्हित की गई है तथा रु.11.5 मिलियन की राशि के रोटेबल्स को इन्वेंटरी के रूप में चिन्हित किया गया है। क्रय लागत/डबल्यूडीवी का मदवार स्पष्ट विवरण उपलब्ध न होने के कारण, इस प्रकार की लेखाकरण कार्रवाई के लिए मूल्यों को अनुमान पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर लिया गया है। तथापि, उक्त मदों को चिन्हित किया गया है और वर्ष के दौरान आवश्यक लेखाकरण प्रभाव नहीं दिए गए हैं।	यह कथन सही है।
	इन मामलों के बारे में हमारी राय योग्य नहीं है। vU; fofèkd rFkk fofu;ked vko';drkvksa ij fjikVZ & 1. हमारी राय में, अधिनियम की धारा 227 की उप–धारा (4क) के अधीन भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (''आदेश'' के साथ) द्वारा यथापेक्षित तथा कंपनी की बहियों एवं रिकॉर्डों की ऐसी जांच, जैसाकि हमने उचित समझा है, के आधार पर तथा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हम कंपनी पर लागू प्रयोज्य सीमा तक आदेश के पैरा 4 तथा 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण अनुलग्नक में इसके साथ संलग्न कर रहे हैं।	यह कथन सही है।
	2. अधिनियम की धारा 227(3) की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि : ¼d½ ;kX; jk; iSjk rFkk ekeys ij cy nsus iSjkxzkQ ds fy, vkèkkj esa mfYyf[kr ekeys esa] tSlkfd lfpr fd;k x;k g] dks NksM+dj] geus o lHkh lpuk,i vkSj Li"Vhdj.k Áklr dj fy, g] tks gekjh lokZsRre tkudkjh vkSj fo'okl ds vuqlkj ys[kkijh{kk ds Á;kstu ds fy, vko';d FkhA ¼[k½ ;kX; jk; iSjk rFkk ekeys ij cy nsus iSjkxzkQ ds fy, vkèkkj esa mfYyf[kr ekeys esa] tSlkfd lfpr fd;k x;k g] dks NksM+dj] gekjh jk; esa tgka rd bu cfg;ksa dh gekjh tkp ls Árhr gksrk g] dEiuh us fofèk }kjk ;Fkkisf{kr ys[kk&cfg;ka j[kh gSa rFkk gekjh ys[kkijh{kk ds Á;kstu ds fy, mu LFkkuksa lfgr] tgka dk geus nkSjk ugha fd;k g] 0;olk; {ks=ksa@LVs'kuksa@LFkkuksa ls mfpr lpuk@i;kIr fooj.k ÁkIr gq, gSaA ¼x½ इस रिपोर्ट में शामिल तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा–बहियों तथा हमारे द्वारा दौरा न किए गए व्यवसाय क्षेत्रों/स्टेशनों से प्राप्त पर्याप्त विवरण से मेल खाते हैं। ¼?k½ ;kX; jk; iSjk rFkk ekeys ij cy nsus iSjkxzkQ ds fy, vkèkkj esa mfYyf[kr ekeys esa lfpr fd, x, vuqlkj] dks NksM+dj] gekjh jk; esa] rqyu&i=] ykHk vkSj gkfu fooj.k rFkk udnh Áokg fooj.k dEiuh vfèkfu;e 2013 dh èkkjk 133 ds lacèk esa fuxfer dk;Z e=ky; ds rkjh[k 13 flrEcj 2013 ds lkekU; ifji= la- 15@2013 ds lkFk ifBr dEiuh vfèkfu;e] 1956 dh èkkjk 211 dh mi&èkkjk ¼3x½ esa lanfHkZr ys[kkdj.k ekudksa dk vuqikyu djrs gSaA ¼3½ अधिनियम की धारा 617 में यथापरिभाषित कंपनी को सरकारी कंपनी होने के कारण, विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी तारीख 22 मार्च 2002 के परिपत्र सं. 2/5/2001/सीवी.वी सामान्य परिपत्र सं. 8/2002 द्वारा जारी उक्त अधिनियम की धारा 274(1)(छ) के प्रावधान को लागू करने से उसे छूट प्राप्त है।	यह कथन सही है।

Ø-l-	y[kkijh{kk fVIif.k;k	icaèku dk mRrj
	¼p½ चूंकि केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441क के अधीन भुगतान की जाने वाली उपकर की दर के बारे में न तो कोई अधिसूचना जारी की है और न ही ऐसे उपकर का किस प्रकार से भुगतान किया जाना है, के बारे में कथित धारा के अंतर्गत कोई नियम जारी किए हैं, अतः कंपनी द्वारा कोई उपकर देय नहीं है।	
	y[kkijh{kdk dh fjikVZ dk vuqyXud ¼31 ekpZ 2013 dks lekIr o"kZ ds foRrh; fooj.kksa ij gekjh le fnukad dh fjikVZ ds iSjkxzkQ 3 esa lanfHkZr½	
i	(क) dEiuh }kjk vuqjf{kr jkVcYl lfgr LFkk;h ifjlaifRr;ksa ls lacaf/kr fjdkMZ dk i.kZ fooj.k] ifjek.kkRed fooj.k rFkk muds LFkku ds ckjs esa v|ru djus dh ÁfØ;k py jgh gSA dEiuh us LFkk;h ifjlaifRr;ksa ds jftLVj esa dfri; LFkkuksa ij ifjlaifRr;ksa ds mfpr eW; dk vHkh rd v|ru ugha fd;k gS rFkk ;g lqfpr fd;k x;k gS fd ;g dk;Z ÁfØ;k/khu gSA foeku jkVcYl ds LFkk;h ifjlaifRr jftLVj rFkk foRrh; fjdkMksa lfgr vU; LFkk;h ifjlaifRr;ksa dk lek/kku ÁfØ;k/khu crk;k x;k gSA	यह कथन सही है।
	(ख) कंपनी की अचल परिसंपत्तियों का बारी–बारी से वास्तविक सत्यापन करने का कार्यक्रम है, ताकि हर परिसंपत्ति का दो वर्ष में एक बार सत्यापन किया जा सके, जो हमारी राय में पर्याप्त है। ,slk n[kk x;k gS fd o"kZ ds nkSjku dksbZ okLrfod lR;kiu ugha fd;k x;k gSA vr% ge blds irk yxkus esa vleFkZ gSa fd okLrfod lR;kiu esa dksbZ egRoiw.kZ folaxfr gSA	कंपनी की निर्धारित नीति के अनुसार प्रबंधन अचल परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन करने की समीक्षा करेगा।
	(ग) वर्ष के दौरान, कंपनी ने कतिपय वाहनों का निपटान किया है। हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी यह राय है कि वाहनों की बिक्री का परिणाम कंपनी की सतत सरोकार स्थिति को प्रभावित नहीं करता है।	यह कथन सही है।
ii	(क) होल्डिंग कंपनी (एअर इंडिया लिमिटेड) द्वारा इन्वेंटरी का स्टॉक रखा गया है और उसे उनके द्वारा प्रमाणित किया जाता है तथा बिना सत्यापन के सही माना जाता है।	यह कथन सही है।
	(ख) होल्डिंग कंपनी (एअर इंडिया लिमिटेड) द्वारा यथाप्रमाणित, प्रबंधन द्वारा अपनाई गई इन्वेंटरी के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रक्रिया कंपनी के आकार और इसके कारोबार के स्वरूप के संबंध में युक्तिसंगत एवं पर्याप्त है। हमने एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा दिए गए प्रमाण–पत्र पर विश्वास किया है।	यह कथन सही है।
	(ग) होल्डिंग कंपनी (एअर इंडिया लिमिटेड) द्वारा यथाप्रमाणित तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इन्वेंटरी का रिकॉर्ड एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा रखा जाता है और इसे एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रमाणित भी किया गया है, सत्यापन करने पर प्रत्यक्ष स्टॉक एवं बही रिकॉर्डों में पाई गई विसंगतियों की जांच होल्डिंग कंपनी द्वारा की गई है। हमने एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा दिए गए प्रमाण–पत्र पर विश्वास किया है।	यह कथन सही है।
iii	(क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को कंपनी ने कोई रक्षित या अरक्षित ऋण नहीं दिए हैं। तदनुसार, उपखंड (ख), (ग) तथा (घ) लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
	(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कंपनी ने कोई रक्षित या अरक्षित ऋण नहीं लिए हैं। तदनुसार, उपखंड (च) एवं (छ) लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।

Ø-l-	y[kkijh{kk fVIif.k;k	izcaèku dk mRrj
	(ग) कंपनी ने होल्डिंग कंपनी मैसर्स एअर इंडिया लिमिटेड में चालू खाता अनुरक्षित किया है, जिसमें वर्ष के दौरान अंतर कंपनी संव्यवहार के लिए नियमित रूप से निधि अदा की जाती है और प्राप्त की जाती है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यह चालू खाता ऋण स्वरूप नहीं है, जैसाकि नोट सं. 31 में उल्लेख किया गया है। वर्ष के अंत में इस खाते में जमा शेष रु.14,071.70 मिलियन है (पिछले वर्ष का जमा शेष रु.9,302.8 मिलियन है)। वर्ष के दौरान अधिकतम शेष रु.14,071.7 मिलियन है (पिछले वर्ष का जमा शेष रु.9,302.8 मिलियन है)।	यह कथन सही है।
iv	हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, अचल परिसंपत्तियों एवं सामग्री और सेवाओं की बिक्री के लिए कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय के स्वरूप के अनुसार आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया का निर्धारण, उसे अपनाना और उसे सुदृढ़ करना आवश्यक है। *tgka rd bUosUVjh dk ç'u gS & bl okLrfodrk dks eísutj fd çkI.k] [kir ,oa okLrfod vfHkj{k i.k :i ls gkfFkMx dhuh }kjk fu;f=r dh tkrh gS] vr% blds vkrfjd fu;=.k ç.kkyh dh mi;Drrk ij fVIi.kh djus e gem vleFkZ gSA* vkrfjd fu;=.k Á.kkyh dh detksjh eas lèkkj dk fy, Ácaèku dks yxkrkj foQyrk ij lèkkjkRed dkjokbZ djuk vko';d gSA	यह कथन सही है। प्रबंधन द्वारा सभी प्रमुख भारतीय स्टेशनों पर आवश्यक जनशक्ति की भरती संबंधी प्रक्रिया की जा रही है तथा प्रबंधन की ठोस राय है कि कंपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की स्थिति में होगी।
v	हमारे द्वारा प्रयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत संदर्भित किन्हीं संविदाओं या व्यवस्थाओं का विवरण नहीं है, जिनकी इस धारा के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में प्रविष्टि करना ज़रूरी है। अतः टिप्पणी करने का प्रश्न नहीं उठता कि ऐसी संविदाओं या व्यवस्थाओं के अनुसरण में किए गए संव्यवहार, उन कीमतों पर किए गए थे, जो संगत समय पर वर्तमान बाज़ार भाव को देखते हुए उचित हैं।	यह कथन सही है।
vi	कंपनी ने जनता से कोई भी जमा स्वीकार नहीं किया है, जिस पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क, 58कक के उपबंध या कोई अन्य सुसंगत उपबंध तथा कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 1975 लागू होते हैं।	यह कथन सही है।
vii	gekjh jk; esa] vfèkd tkf[ke okys uktqd {ks=kas] çeq[k çpkyukRed foHkkxksa] fcØh u l {ks=ksa@LFkkuksa@LVs'kuksa vkj vU; foHkkxksa ds foLrkj lfgr le; ij fjikfVZx vkj fjikVksa dk 'kh?kz vuqikyu djds vkrfjd y[kkijh{kk dk;Z dks vkj lqn<+ cukus dh vko';drk gS] ftlls çdk;kZ dk vkj vfèkd çHkkoh rFkk dqiuh ds vkdkj vkj dkjckj ds Lo:i ds vuq:i cuk;k tk ldsA	कंपनी की पद्धति के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षकों को महत्वपूर्ण समीक्षाओं का कार्य सौंपा जाता है तथा कंपनी का यह प्रयास होगा कि कंपनी के और अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों की समीक्षाओं को शामिल किया जाए। सैप प्रणाली के कार्यान्वित होने से प्रबंधन की राय है कि कंपनी समय पर रिपोर्टों को तैयार करवाने की स्थिति में होगी।
viii	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (घ) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार ने लागत रिकार्डों का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है।	यह कथन सही है।

Ø-l-	y[kkijh{kk fVIif.k;k	iceku dk mRrj
ix	कंपनी के रिकार्डों तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नलिखित के अलावा किसी विवाद के कारण आयकर, संपत्ति कर, सेवा कर, उपकर अथवा अन्य सांविधिक देयताओं से संबंधित कोई राशि बकाया नहीं है। Ø-l- / lafofèk dk uke / jkf'k fefy;u #i, e / çdkj vkj Qkje] tgk fookn yafcr g 1. / सीमा शुल्क / 8.8 / सीमा शुल्क आयुक्त 2. / सेवा कर / 363.3 / सेसटाट 3. / स्रोत पर काटा गया कर / 29.1 / आयकर आयुक्त (अपील) 4. / आयकर / 6.4 / आयकर आयुक्त (अपील)	इन मामलों पर कंपनी के कर सलाहकारों द्वारा पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। तथापि, विवेकानुसार कंपनी ने इन्हें 'प्रासंगिक देयताओं' के रूप में पर्याप्त रूप से प्रकट किया है।
x	वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की संचित हानि (आस्थगित कर देयता सहित) इसके निवल मूल्य के पचास प्रतिशत से अधिक बढ़ी है। हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानि पाई गई है तथा इसके ठीक पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानि हुई थी। प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के अनुसार सतत सरोकार के अनुमानों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।	यह कथन सही है।
xi	हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं या बैंकों को देय राशियों के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है।	यह कथन सही है।
xii	हमारे द्वारा की गई रिकॉर्डों की जांच तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों एवं अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर सिक्युरिटी के आधार पर कोई ऋण और अग्रिम नहीं दिया है।	यह कथन सही है।
xiii	हमारी राय में, कंपनी, चिट फंड या निधि/म्युच्युअल बेनिफिट फंड/सोसाइटी नहीं है। अतः आदेश के खंड 4 (xiii) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होते।	यह कथन सही है।
xiv	हमारी राय में, कंपनी, शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य निवेशों का लेन–देन या सौदा नहीं करती है। तदनुसार, आदेश के खंड 4 (xiv) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होते।	यह कथन सही है।
xv	वर्ष के दौरान, कंपनी ने दूसरों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।	यह कथन सही है।
xvi	हमारी राय में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, मियादी ऋण उन प्रयोजनों हेतु लिए गए, जिन प्रयोजनों के लिए आवेदित किए गए थे।	यह कथन सही है।
xvii	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के तुलन–पत्र और नकदी प्रवाह की समग्र जांच करने पर हम रिपोर्ट देते हैं कि लघु अवधि आधार पर ली गई निधियों का प्रयोग दीर्घ अवधि निवेश के लिए नहीं किया गया।	यह कथन सही है।
xviii	हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल पार्टियों और कंपनियों को शेयरों का कोई अधिमान्य आबंटन नहीं किया है।	यह कथन सही है।
xix	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कुल रु.950 मिलियन के अरक्षित डिबेंचरों के संबंध में प्रतिभूतियां या प्रभार निर्मित नहीं किए हैं।	यह कथन सही है।
xx	कंपनी ने कोई पब्लिक इश्यू जारी नहीं किया है, अतः राशि के अंतिम उपयोग को प्रकट करने का प्रश्न नहीं उठता।	यह कथन सही है।
xxi	निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट देते हैं कि वर्ष के दौरान, कंपनी पर या कंपनी द्वारा कोई बड़ी धोखाधड़ी की घटना न तो पाई गई है और न ही सूचित की गई है।	यह कथन सही है।

31 ekpZ 2013 dh fLFkfr dk vuqlkj rqyu&i=

¼#i, fefy;u esa½

fooj.k	ukWV la-	31 ekpZ] 2013 dks		31 मार्च, 2012 को	
I. bfDoVh vkSj nkf;Rk,a					
'ks;j/kkjdksa dh fuf/k;ka					
क) शेयर पूंजी	2	**300.0**		300.0	
ख) आरक्षित निधियां और अधिशेष	3	**(20,231.3)**		(16,698.8)	
			(19,931.3)		(16,398.8)
xSj orZeku nkf;Rk,a					
क) दीर्घावधि उधार	4	**21,643.7**		23,057.9	
ख) आस्थगित कर देयता (निवल)	52	**-**		-	
ग) दीर्घावधि प्रावधान	6	**62.3**		37.8	
			21,706.0		23,095.7
orZeku nkf;Rk,a					
क) अल्पावधि उधार	7	**10,585.7**		10,517.5	
ख) व्यापार देयताएं	5	**6,186.2**		5,177.0	
ग) अन्य वर्तमान देयताएं	5	**20,516.2**		14,930.9	
घ) अल्पावधि प्रावधान	6	**1.8**		1.5	
			37,289.9		30,626.9
dqy			**39,064.6**		37,323.8
II. ifjlEifRr;ka					
xSj&orZeku ifjlEifRr;ka					
क) अचल परिसंपत्तियां	8				
i) मूर्त परिसंपत्तियां		**34,135.6**		34,762.8	
ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		**8.9**		0.4	
iii) चालू पूंजीगत कार्य		**-**		4.8	
iv) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		**-**		-	
		34,144.5		34,768.0	
ख) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	9	**314.2**		1,180.8	
			34,458.7		35,948.8
orZeku ifjlEifRr;ka					
क) इन्वेंटरी	12	**848.7**		535.3	
ख) व्यापार से प्राप्य	10	**413.8**		475.9	
ग) नकदी और बैंक शेष	13	**144.1**		292.0	
घ) अल्पावधि ऋण और अग्रिम	9	**3,198.9**		71.4	
ङ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	11	**0.4**		0.4	
			4,605.9		1,375.0
dqy			**39,064.6**		37,323.8
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1				
टिप्पणियां वित्तीय विवरण का अभिन्न भाग निर्मित करती हैं।	24–69				

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरण का अभिन्न भाग हैं।
यह तुलन–पत्र इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट से संदर्भित है।

fl?koh] vkrqjdj ,.M dEiuh
के लिए और उनकी ओर से
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.–110265डबल्यू

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
lunhi y[kksVk lgk; 'kkg
भागीदार
सदस्यता सं. एफ 040872

हस्ता./–
jksfgr uUnu
अध्यक्ष

हस्ता./–
MkW- 'kQkyh tquS.k
निदेशक

हस्ता./–
vfnrh [kkMdj
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 17 फरवरी 2014

31 ekpZ 2013 dks lekIr o"kZ dk ykHk vkSj gkfu fooj.k

¼#i, fefy;u esa½

	fooj.k	ukV lañ	2012&13		2011–12	
I.	jktLo					
	1. प्रचालनों से राजस्व	14				
	i) अनुसूचित यातायात सेवाएं		15,532.0		13,578.2	
	ii) गैर–अनुसूचित यातायात सेवाएं		-	15,532.0	-	13,578.2
	2. हैंडलिंग, सर्विसिंग और प्रासंगिक सेवाएं	15		76.8		199.9
	izpkyu jktLo			15,608.8		13,778.1
II.	3. अन्य आय (निवल)	16		1.6		31.2
III.	dqy jktLo **(I+II)**			15,610.4		13,809.3
IV.	O;;					
	1. विमान ईंधन और तेल			8,801.1		9,473.5
	2. प्रचालन व्यय	17		3,846.3		3,875.5
	3. कर्मचारी हितलाभ व्यय	18		1,455.5		930.6
	4. वित्त लागत	19		2,559.8		2,795.3
	5. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	20		2,136.1		2,049.1
	6. अन्य व्यय	21		616.8		402.0
	7. पूर्वावधि समायोजन (निवल)	22		36.5		308.3
	dqy O;;			19,452.1		19,834.3
V.	fof'k"V vkSj vlk/kkj.k enksa rFkk dj iwoZ ykHk@¼gkfu½ **(III+IV)**			(3,841.7)		(6,025.0)
VI.	vioknkRed en	23		330.1		-
VII.	vlk/kkj.k enksa vkSj dj iwoZ ykHk@¼gkfu½ **(V+VI)**			(3,511.6)		(6,025.0)
VIII.	vlk/kkj.k en ¼fuoy½			-		-
IX.	dj iwoZ ykHk@¼gkfu½ **(VII+VIII)**			(3,511.6)		(6,025.0)
X.	dj O;; ½			-		-
XI.	o"kZ dh fy, dj i'pkr ykHk@¼gkfu½ **(IX-X)**			(3,511.6)		(6,025.0)
XII.	izfr 'ks;j vtZu 10@&#i, izR;sd & ewy vkSj ruqÑr	56		(1,170.50)		(2,008.34)
	महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1				
	टिप्पणियां वित्तीय विवरण का अभिन्न भाग निर्मित करती हैं।	24–69				

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरण का अभिन्न भाग हैं।
यह लाभ और हानि विवरण इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट से संदर्भित है।

fl?koh] vkrqjdj ,.M dEiuh
के लिए और उनकी ओर से
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.–110265डबल्यू

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
lunhi y[kksdj lgk; 'kkg
भागीदार
सदस्यता सं. एफ 040872

हस्ता./–
jksfgr uUnu
अध्यक्ष

हस्ता./–
Mk- 'kQkyh tqu tk
निदेशक

हस्ता./–
vfnrh [kUMsdj
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 17 फरवरी 2014

31 ekpl 2013 dk lekIr o"k dk udnh iokg fooj.k

¼#i, fefy;u e½

fooj.k	2012&13		2011–12	
d- Ápkyuxr xfrfof/k;ksa ls udnh iokg %				
djk/kku iwoZ fuoy ykHk@¼&½ gkfu		(3,511.6)		(6,025.0)
निम्नलिखित के लिए समायोजन :				
मूल्यह्रास	2,136.1		2,049.1	
वित्त लागत	2,491.6		2,669.8	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	0.0		13.8	
बैंक और अन्य जमा पर ब्याज	(1.6)		(1.8)	
		4,626.2		4,730.9
fuoy dk;Z'khy iwath esa vrj ls igys		1,114.6		(1,294.2)
vfèk'ks"k udnh@deh ¼&½				
dk;Z'khy iwath esa ifjorZu				
(–) व्यापार प्राप्य में वृद्धि/कमी	196.9		(90.6)	
(–) ऋणों और अग्रिमों में वृद्धि/कमी – दीर्घावधि	855.6		(31.2)	
(–) ऋणों और अग्रिमों में वृद्धि/कमी – अल्पावधि	(3,074.8)		(12.5)	
(–) अन्य परिसंपत्तियों में वृद्धि/कमी	(0.0)		(0.1)	
(–) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में वृद्धि/कमी	-		(218.3)	
(–) इन्वेंटरी में वृद्धि/कमी	(313.4)		(99.9)	
वर्तमान देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(–) कमी				
दीर्घावधि प्रावधान	26.3		5.4	
व्यापार देयताएं	1,729.2		1,891.2	
अन्य वर्तमान देयताएं	5,110.8		5,439.9	
अल्पावधि प्रावधान	(1.5)		1.0	
		4,529.2		6,884.9
Ápkyu ls fuoy udnh ¼&½ cfgokZg@varokZg		5,643.8		5,590.7
[k- fuos'k lacaèkh xfrfof/k;ksa ls udnh Áokg				
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(6.8)		(78.8)	
अमूर्त परिसंपत्तियां	(8.9)		(5.3)	
चालू पूंजीगत कार्य का पूंजीकरण	4.8		3.0	
अचल परिसंपत्तियों से प्राप्ति	-		-	
बैंक और अन्य जमा पर प्राप्त ब्याज	1.6		1.8	
fuos'k lacaèkh xfrfof/k;ksa ls fuoy udnh ¼&½ cfgokZg@varokZg		(9.2)		(79.4)
x- foRriks"k.k xfrfof/k;ksa ls udnh Áokg %				
वित्त लागत	(2,491.6)		(2,544.2)	
पूर्ववर्ती वर्ष के अधिक कर का प्रतिलेखन	-		-	
विमान ऋण का भुगतान	(3,358.9)		(3,174.3)	
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी (–) बहिर्वाह/अंतर्वाह		(5,850.5)		(5,718.4)
कार्यशील पूंजी ऋण पर विदेशी मुद्रा का प्रभाव		(68.2)		
नकदी और नकदी समानकों में निवल वृद्धि/(–) कमी		(147.8)		(207.1)
जोड़ें : वर्ष के आरंभ में नकदी		291.9		499.0
o"kZ ds var esa udnh		144.1		291.9

1. 'नकदी प्रवाह विवरण' में लेखा मानक 3 (एएस–3) में दी गई 'अप्रत्यक्ष पद्धति' के तहत नकदी प्रवाह विवरण तैयार किया गया है तथा यह प्रचालन, निवेश तथा वित्तीय गतिविधियों में नकदी प्रवाह को दर्शाता है।
2. नकदी और नकदी समानकों में रु.10.6 मिलियन की सावधि जमा शामिल है (पिछले वर्ष रु.8.9 मिलियन), जो धारणाधिकार के कारण मुफ्त उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं थी।

fl?koh] vxzoky ,.M dEiuh
के लिए और उनकी ओर से
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.–110265डबल्यू

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
lqnhi yk[kksfV;k lgk; 'kkg
भागीदार
सदस्यता सं. एफ 040872

हस्ता./–
jksfgr uUnu
अध्यक्ष

हस्ता./–
Mk- 'kQhy t¨u tk
निदेशक

हस्ता./–
vfnrh [kk.Mdj
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 17 फरवरी 2014

31 ekpZ 2013 dks lekIr o"kZ ds foÙkh; fooj.kksa dk Hkkx fufeZr djus okyh fVIif.k;k

ukV ^^1^^ % egRoiw.kZ ys[kkdj.k uhfr;k%

i. ys[kkdj.k ifjikVh :

ये लेखे विशिष्ट रूप से किए गए उल्लेख को छोड़कर सतत सरोकार संकल्पना के अनुसार मूल लागत परिपाटी के अधीन उपचय के आधार पर तैयार किए गए हैं और सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211(3ग) में संदर्भित लेखाकरण मानकों के अनुपालन में हैं।

ii. vkdyuksa dk ç;ksx :

सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए मैनेजमेंट के आकलन और पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है, जो परिसंपत्तियों एवं देयताओं की प्रतिवेदित राशि को प्रभावित करती है और प्रासंगिक देयताओं को वित्तीय विवरणों की तारीख पर और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, विशेष रूप से यातायात राजस्व, देयताओं, मूल्यह्रास, अप्रचलन, अशोध्य ऋण एवं अग्रिम और प्रासंगिक देयताओं के लिए प्रावधान आदि जैसी प्रमुख मदों के संबंध में आय और व्यय की प्रतिवेदित राशि प्रकट करती है। वास्तविक परिणामों एवं आकलनों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें परिणाम मालूम/मैटीरियलाइज़ होते हैं।

iii. vpy ifjlaifRr;ka vkSj eY;gkl :

(क) अचल परिसंपत्तियां मूल लागत पर दर्शाई जाती हैं।

(ख) (i) विमान–बेड़े एवं उपस्कर का क्रय मूल्य पर उल्लेख किया जाता है, जहां कहीं लागू हो, ब्याज सहित अन्य प्रासंगिक खर्चों को भी पहली वाणिज्यिक उड़ान की तारीख तक पूंजीकृत किया जाता है।

(ii) विमान रोटेबल्स सहित अन्य परिसंपत्तियों को पूंजीकृत किया जाता है और उनका मूल लागत पर उल्लेख किया जाता है।

(ग) पट्टे के विमान और उपस्कर, जिनके संबंध में मूल रूप से सभी जोख़िमों और स्वामित्व के लाभ को कंपनी में अंतरित किया जाता है, उन्हें वित्त पट्टा माना जाता है और पूंजीकृत किया जाता है।

(घ) निर्माताओं/विक्रेताओं द्वारा अनुमत क्रेडिट की समीक्षा और मूल्यांकन कंपनी द्वारा किया जाता है तथा प्रत्यक्ष रूप से चिन्हित क्रेडिट परिसंपत्ति की लागत में समायोजित की जाती है। प्रचालनात्मक समर्थन के स्वरूप की अन्य क्रेडिट, लाभ एवं हानि लेखे में क्रेडिट की जाती है।

(ङ) निम्न के अतिरिक्त,अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में विहित तरीके से स्ट्रेट लाइन पद्धति से किया जाता है :

(i) नई पीढ़ी के 737–800 विमानों का 20 वर्षों में ब्लॉक मूल्य के 95% तक मूल्यह्रास किया जाता है।

(ii) विमान से संबंधित 'एअरफ्रेम उपस्कर–रोटेबल्स' तथा 'एरो इंजन उपस्कर–रोटेबल्स' का मूल्यह्रास भी आधार मूल्य के 95% तक, बेड़े की शेष औसत उपयोगी अवधि के बाद किया जाता है (737–800 विमान की अनुमानित आयु 20 वर्ष है)।

(iii) अन्य अचल परिसंपत्तियों और रोटेबल्स के परिवर्धन पर मूल्यह्रास का प्रावधान पूंजीकरण के वर्ष में पूरे वर्ष के लिए किया जाता है तथा निपटान के वर्ष में किसी प्रकार के मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया जाता।

(च) प्रत्येक मामले में जहां परिसंपत्तियों का मूल्य रु.5,000/– से अधिक न हो, उन्हें खरीद के वर्ष में पूर्ण रूप से मूल्यह्रासित किया जाता है।

(छ) अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन अनुमानित उपयोगी आयु पर किया जाता है।

(ज) मूल्यह्रास के योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के संबंध में विदेशी मुद्रा के दीर्घावधि ऋण पर विनिमय अंतर संबंधित परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवन और जिस वर्ष में ऐसा विनिमय अंतर हो, उसके सहित मूल्यह्रासित किया जाता है।

iv. ifjlaifRr;ksa dh {kfr :

क्षति के किसी प्रकार का सुनिश्चय करने के लिए तुलन–पत्र की प्रत्येक तारीख पर अचल परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य की समीक्षा की जाती है।

यदि अचल परिसंपत्ति का वर्तमान मूल्य अपनी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाता है, तो उसे लाभ और हानि लेखे में क्षति माना जाता है और अचल परिसंपत्तियों को उनकी वसूली योग्य राशि के अनुसार लिखा जाता है।

v. bUoVjh :

i) इन्वेंटरी का मूल्यांकन उसकी लागत पर या निवल वसूल किए जाने योग्य मूल्य (एनआरवी) में से जो भी कम हो, पर किया जाता है। भारित औसत सूत्र का प्रयोग करते हुए लागत का निर्धारण किया जाता है।

ii) मरम्मत किए जाने वाले पुर्ज़े या अतिरिक्त पुर्ज़े (सेवा में और मरम्मत के लिए बेकार पड़े पुर्ज़े) वे पुर्ज़े होते हैं जिनका आर्थिक जीवन प्रचालन चक्र से अधिक होता है और मरम्मत के बाद जिनका फिर से उपयोग किया जा सकता है तथा स्क्रैप के समय उन्हें निकाल दिया जाता है, तथापि, वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में उन्हें वर्गीकृत किया जाता है, जो यहां प्रारंभिक निर्गम के समय खपत में प्रभारित की जाती हैं। ऐसे पुर्ज़ों की मरम्मत की लागत को जब कभी खर्च होता है, तो सतत रूप से प्रभारित किया जाता है।

iii) जब कार्य आदेश समाप्त हो जाता है, तो मरम्मत योग्य मरम्मत किए जाने वाले पुर्ज़ों को छोड़कर, पहली बार जारी करते समय खर्च योग्य/खपत योग्य पुर्ज़ों को प्रभारित किया जाता है। वर्ष के अंत में मरम्मत योग्य पुर्ज़ों की बहाली के लिए अपेक्षित खर्च/खपत की अनुमानित लागत खुले कार्य आदेश के संबंध में उपलब्ध कराई जाती है।

iv) विमान के भंडार और अतिरिक्त पुर्ज़ों के लिए अप्रचलित पुर्ज़ों के रूप में प्रावधान :

(क) (ख) और (ग) को छोड़कर 5 वर्षों से अधिक अवधि की न चलने वाली इन्वेंटरी के लिए प्रावधान किया जाता है (प्राप्त होने वाले निवल मूल्य के 5% पर)।

(ख) जब तक दूसरे विमानों में पुर्ज़ों का उपयोग नहीं किया जा सके तब तक विमान के बेड़े के लिए, जो प्रचलन में न हो, उनके लिए पूरा (निवल अनुमानित प्राप्त होने वाला मूल्य) प्रावधान किया जाता है।

(ग) वर्ष के अंत में पूरी की हुई पट्टा अवधि की तुलना में कुल पट्टा अवधि के आधार पर ड्राई/वेटलीज़ के विमानों के संबंध में अनन्य रूप से इन्वेंटरियों के बारे में प्रचलन में न होने के लिए प्रावधान किया जाता है।

v) पांच वर्षों से अधिक अवधि के लिए अचल इन्वेंटरी के संबंध में ग़ैर–विमान भंडारों एवं पुर्ज़ों के लिए अप्रचलन का प्रावधान किया जाता है।

vi. v'kkè; _.kk d fy, ikoèkku %

उन ऋणों को छोड़कर, जिनकी वसूली की आशा हो, सरकार/सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित ऋणों के लिए प्रावधान किया जाता है, यदि वे तीन वर्ष से अधिक पुराने हों । अन्य सभी ऋणों के लिए प्रावधान किया जाता है, यदि वे तीन वर्ष से अधिक पुराने हों या विशेष रूप से अशोध्य माने जाते हैं।

vii. fon'kh eæk e ifj.kfr :

(क) orZeku ifjlifRr;k vkj orZeku ns;rk,i %

विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की वर्तमान परिसंपत्तियां और वर्तमान देयताओं का संतुलन वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर्स संघ द्वारा प्रचालित वर्ष में विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और विनिमय दरों में उतार–चढ़ाव से होने वाले लाभ/हानि को लाभ और हानि लेखे में दर्शाया जाता है।

(ख) fon'kh eæk _.k %

वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा ऋण (परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु लिए गए ऋण सहित) के बकाया शेष को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर्स संघ की दर पर परिवर्तित किया जाता है।

कंपनी ने दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के रिपोर्टिंग पर होने वाले विनिमय अंतरों की गणना के लिए भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 2009 को अधिसूचित लेखाकरण मानक 11 (एएस 11) के संबंध में कंपनी (लेखाकरण मानक) संशोधन नियम, 2009 के अनुरूप चुना है । तदनुसार कंपनी के विदेशी मुद्रा ऋण पर विनिमय अंतर का प्रभाव, जहां तक यह ह्रासयोग्य पूंजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित है, परिसंपत्तियों में जोड़कर या उनकी लागत से घटाकर कंपनी के विदेशी मुद्रा ऋण की गणना की जाती है और अन्य मामलों में ''विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा'' में अंतरण द्वारा दीर्घावधि मौद्रिक मदों की शेष अवधि के लिए या 31 मार्च, 2011 में से जो भी पहले हो, के लिए ऋण परिशोधन किया जाता है।

(ग) jktLo vkj 0;; ifjorZu %

(i) आयटा द्वारा प्रकाशित विनिमय दरों के आधार पर, विनिमय दरें वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा राजस्व और व्यय संव्यवहारों के परिवर्तन के लिए स्थापित हैं तथा विनिमय अंतर लाभ और हानि लेखे में अंतरित किए जाते हैं।

(ii) संव्यवहारों के लिए एअरलाइनों के साथ इंटरलाइन समायोजन संबंधित महीने के लिए आयटा द्वारा प्रकाशित विनिमय दर पर किया जाता है।

viii. jktLo dk ekU;rk :

(क) यात्री राजस्व उड़ान के आधार पर दर्शाया जाता है। वर्ष के अंत में अग्रिम, यात्री बिक्री का मूल्य अग्रिम बिक्री के रूप में मूल्यांकित किया जाता है। तत्पश्चात धन–वापसी/दावा न किए गए टिकटों को धन–वापसी/रद्दकरण वर्ष में दर्शाया जाता है।

(ख) हैंडलिंग प्रभारों को निवल सेवा कर के रूप में दर्शाया जाता है।

(ग) पूल राजस्व संबंधित एअरलाइनों के साथ की गई व्यवस्था के अनुसार प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(घ) सेवाओं को प्रदान की गई वास्तविक सेवाओं के लिए लेखांकित किया जाता है।

ix. çpkyu iÍk :

(क) पट्टे, जहां परिसंपत्तियों को खरीद के विकल्प के बिना अधिग्रहित किया जाता है, उन्हें प्रचालन पट्टा माना जाता है और वर्ष के लिए देय पट्टे का किराया लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है।

(ख) अनुरक्षण आरक्षित के कारण पट्टाधारकों को किया गया अंशदान, जिसके लिए पट्टा अवधि में अनुरक्षण बढ़ने की संभावना हो, को पूर्वदत्त व्यय के रूप में माना गया है। ये अंशदान जब कभी अनुरक्षण व्यय हुआ है अथवा पट्टा अवधि की समाप्ति पर दर्शाए गए हैं।

x. _.k 0;;:

(क) जो ऋण व्यय, पूंजीगत कार्य सहित अधिग्रहण, निर्माण अथवा अर्हक परिसंपत्तियों के उत्पादन में सीधे खर्च होते हों, उन्हें उस समय तक पूंजीकृत किया गया है, जब तक परिसंपत्तियां इसके प्रत्याशित उपयोग के लिए तैयार न हो जाएं।

(ख) उपर्युक्त उल्लिखित के अलावा, ऋण व्यय को अवधि व्यय के रूप में माना गया है।

xi. lsokfuofRr fgrykHk:

(क) अल्पावधि कर्मचारी हितलाभों को वर्ष के लाभ और हानि लेखे में बिना छूट की राशि पर खर्च के रूप में दिखाया गया है, जब संबंधित सेवा प्रदान की गई हो।

(ख) सेवानिवृत्ति हितलाभों को कर्मचारी के सेवा प्रदान करने वाले वर्ष में लाभ और हानि लेखे में व्यय के रूप में दिखाया गया है। दीर्घावधि हितलाभों के कारण अनुमानित दायित्व छूट, दर के रूप में सरकारी बॉण्डों पर प्रतिफल का प्रयोग करके वर्तमान मूल्य से छूट दी गई है।

(ग) सेवानिवृत्ति और अन्य दीर्घावधि हितलाभों के संबंध में बीमांकक लाभ और हानि को लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया गया है।

xii. vU; nk;rk, :

ऐसी देयताएं, जो तीन वर्ष से अधिक पुरानी हैं, उनके बारे में यदि निश्चित रूप से ज्ञात हो कि वे भविष्य में देय हैं, तो उन्हें छोड़कर अन्य देयताएं परावर्तित की जाती हैं।

xiii. vk; ij dj :

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, वर्तमान कर के लिए प्रावधान किया जाता है।

तुलन–पत्र की तारीख को कर दरों और लागू विधियों या लागू होने वाली विधियों का प्रयोग करके बही खाते और कर योग्य लाभ के बीच समय अंतर के आधार पर आस्थगित कर को मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है और अग्रानीत किया जाता है, जहां तक भविष्य में ऐसी परिसंपत्तियों की उगाही की युक्तिसंगत निश्चितता हो।

xiv. çkoèkku ,oa çklfxd nk;rk,a

वर्तमान संभावित दायित्वों के संबंध में लेखों में प्रावधान को स्वीकार किया गया है, जिसकी राशि विश्वसनीय रूप से आंकी जा सकती है।

प्रासंगिक देयताओं का प्रावधान नहीं किया जाता है और इनका लेखों की टिप्पणियों के रूप में उल्लेख किया जाता है। प्रासंगिक देयताएं संभावित दायित्वों के संबंध में प्रकट की जाती हैं, जो पिछली घटनाओं के कारण होती हैं, किंतु उनकी मौजूदगी एक या एक से अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं के घटित होने या घटित न होने के कारण पुष्ट होती है, जो कंपनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होती।

xv. iokZofèk en :

एक या एक से अधिक पूर्वावधि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में हुई गलतियों एवं चूकों के परिणामस्वरूप वर्तमान अवधि में होने वाले आय एवं व्यय को पूर्वावधि मदें माना जाता है और इन्हें वित्तीय विवरणों में अलग से दर्शाया जाता है।

xvi. iwoZnÙkr O;;@O;; dk nkf;Ro :

पूर्वदत्त व्यय/व्यय के दायित्व को निम्न तरह दर्शाया गया है :

क) विदेशी स्टेशन – हर मामले में रु.50,000/– और उससे अधिक

ख) घरेलू स्टेशन – हर मामले में रु.10,000/– और उससे अधिक

xvii. udnh çokg fooj.k :

नकदी प्रवाह परोक्ष पद्धति का प्रयोग करते हुए सूचित किए जाते हैं, जिससे ग़ैर–नकदी स्वरूप के सामान के लेन–देन और विगत और भावी नकद रसीदों या भुगतानों के कोई आस्थगन या उपचय के लिए कर पूर्व लाभ समायोजित किया जाता है। कंपनी के नियमित प्रचालन, वित्तीय और निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह अलग किए जाते हैं।

ukV ^^2** % 'k;j iwth

¼#i, fefy;u e½

fooj.k	31 ekp] 2013 dk	31 मार्च, 2012 को
ikfêkÑr प्रत्येक रु.100/– के 3.0 मिलियन इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष : प्रत्येक रु.100/– के 3.0 मिलियन इक्विटी शेयर)	**300.0**	300.0
dqy	**300.0**	300.0
fuxfer] vfHknRr vkj i.kr% inRr 'k;j प्रत्येक रु.100/– के 3.0 मिलियन इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष : प्रत्येक रु.100/– के 3.0 मिलियन इक्विटी शेयर) (संपूर्ण शेयर पूंजी कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड, जिसे पहले नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और उसके नामितियों द्वारा धारित है)	**300.0**	300.0
dqy	**300.0**	300.0

2-1 bfDoVh 'k;j iwth dk 5% ls vfèkd 'k;j èkkj.k vkj gkfYMx & vYVheV gkfYMx dEiuh }kjk èkkfjr 'k;j %

'k;jèkkjdk dk uke	31 ekp] 2013 dk		31 मार्च, 2012 को	
	'k;jk dh l[;k	èkkfjrk %	शेयरों की संख्या	धारिता %
एअर इंडिया लिमिटेड (नामिती शेयर धारकों द्वारा धारित शेयरों सहित)	3-0 fefy;u	100-0	3.0 मिलियन	100.0

2-2 कंपनी के पास प्रत्येक रु.100/– प्रति शेयर सममूल्य वाले तथा मतदान एवं लाभांश का समान अधिकार वाले केवल एक ही श्रेणी के शेयर हैं।

2-3 कंपनी ने ठेके के अनुसरण में नकदी में भुगतान प्राप्त किए बिना कोई शेयर जारी नहीं किए हैं।

2-4 रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ तथा अंत में बकाया शेयरों की संख्या का समाधान नीचे दिया गया है :

fooj.k	¼'k;jk dh l[;k fefy;u e½		¼'k;j eY; #i, fefy;u e½	
	2012&13	2011–12	2012&13	2011–12
bfDoVh 'k;j ¼vfdr eY; iR;d #-100@&½ अवधि के आरंभ में जोडें : अवधि के दौरान आबंटित	**3.0** -	3.0 -	**300.0** -	300.0 -
अवधि के अंत में	**3.0**	3.0	**300.0**	**300.0**

2-5 आरक्षित निधि अथवा अधिशेष के पूंजीकरण पर पिछले पांच वर्षों के दौरान कोई बोनस शेयर नहीं जारी किए गए हैं।

2-6 पिछले पांच वर्षों में कोई शेयर्स वापस नहीं खरीदे गए हैं।

ukV ^^3** % vkjf{kr fufèk;k vkj vfèk'k"k

¼#i, fefy;u e½

fooj.k	31 ekp] 2013 dk	31 मार्च, 2012 को
1. iwthxr vkjf{kr fufèk;k %		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार शेष	**385.3**	406.2
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन	**-**	-
घटाएं : मूल्यह्रास में कमी के कारण लाभ और हानि विवरण में अंतरण (नोट 20 देखें)	**(20.9)**	(20.9)
vfre 'k"k	**364.4**	385.3
2. ykHk vkj gkfu fooj.k ea vfèk'k"k@¼?kkVk½		
पिछले वित्तीय विवरणों के अनुसार शेष	**(17,084.2)**	(11,059.1)
वर्ष के लिए हानि	**(3,511.5)**	(6,025.0)
ykHk vkj gkfu fooj.k ea fuoy ?kkVk	**(20,595.7)**	(17,084.1)
dqy ¼1$2½	**(20,231.3)**	(16,698.8)

3-1 बोइंग से प्राप्त बी737 सिम्युलेटर की लागत अचल परिसंपत्तियों में शामिल है, जिसे पूंजीगत आरक्षित निधि में जमा किया गया है। जमा राशि पर प्रावधान कराया गया यथानुपात मूल्यह्रास, पूंजीगत आरक्षित निधि में प्रभारित किया गया है।

ukV ^^4^^ % nh?kkofèk mèkkj

¼#i, fefy;u e½

fooj.k	xSj&orZeku		orZeku	
	31 ekp] 2013 dk	31 मार्च, 2012 को	31 ekp] 2013 dk	31 मार्च, 2012 को
I. ckW.M@fMcpj lsa %	**950.0**	950.0	**-**	-
II. fe;knh _.k %				
क) बैंकों से (रक्षित)	**2,500.0**	2,500.0	**-**	-
III. foRr iV~Vs dh ckè;rk,a	**18,193.7**	19,607.9	**2,728.4**	3,150.5
dqy	**21,643.7**	23,057.9	**2,728.4**	3,150.5

4-1 ckW.M @ fMcpj lsa

रु.1 मिलियन अंकित मूल्य के 950 मोचनीय अरक्षित, अपरिवर्तनीय डिबेंचर (पिछले वर्ष : 950 डिबेंचर) भारत सरकार द्वारा गारंटित हैं। डिबेंचर 26 मार्च, 2020 को मोचनीय हैं। गैर–परिवर्तनीय डिबेंचरों की परिपक्वता संबंधी संक्षिप्त विवरण और ब्याज की दर निम्नवत है :

¼#i, fefy;u e½ ¼#i, fefy;u e½

C;kt nj	fuEu rkjh[k rd ns;	iquHkZxrku dk idkj	ifrHkwfr	'k"k fd'rks dh l[;k
9.38%	26 मार्च, 2020	बुलेट	भारत सरकार की गारंटी	लागू नहीं

4-2 एअर इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) द्वारा दी गई कॉर्पोरेट गारंटी के बदले इंडियन ओवरसीज़ बैंक से रु.2,500.0 मिलियन (पिछले वर्ष रु.2,500.0 मिलियन) का मियादी ऋण लिया गया और एअर इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) के स्वामित्व वाले ए320 विमान (वीटी–ईएसएच) की भुगतान शर्तों सहित संपार्श्विक प्रतिभूति – बुलेट भुगतान 30 मार्च, 2015 को देय है, यानि पहले संवितरण के पांच वर्ष बाद।

4-3 रु.20,922.1 मिलियन (पिछले वर्ष रु.22,758.4 मिलियन) की वित्तीय पट्टा बाध्यताएं भारत सरकार द्वारा रु.20,922.1 मिलियन (पिछले वर्ष रु.22,758.4 मिलियन) की सीमा तक गारंटित है।

_.k dk uke	C;kt dh nj	ifrHkfr	'ks"k fd'rksa dh la[;k 31-3-2013 dks	1&5 o"kksa esa ns; jkf'k	5 o"kksa ds ckn ns; jkf'k	dqy ns; jkf'k
एक्ज़िम टीआर I	2.46% से 2.73% के बीच की श्रेणी के प्रत्येक ऋण के लिए नियत	परिसंपत्ति आधारित वित्त ढांचा तथा भारत सरकार की गारंटी	126	8,898.8	2,098.9	**10,997.7**
एक्ज़िम टीआर II	लिबॉर –0.05/0.75		61	3,400.8	1,919.0	**5,319.8**
एक्ज़िम टीआर III	लिबॉर + 0.93		35	2,508.7	2,095.9	**4,604.6**
				14,808.3	**6,113.8**	**20,922.1**

4-4 दीर्घावधि उधार की वर्तमान परिपक्वता 'अन्य वर्तमान देयताएं' शीर्ष के अंतर्गत समूहित की गई है। (नोट 5 देखें।)

ukV ^^5** % ns;rk,a

¼#i, fefy;u esa½

fooj.k	vU; orZeku ns;rk,a	
	31 ekpZ 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
O;kikj ns;rk,a (एमएसएमई के बारे में नोट सं. 28 देखें)	**6,186.2**	5,177.0
¼d½	**6,186.2**	5,177.0
vU; ns;rk,a		
क) वित्त पट्टा बाध्यताओं की वर्तमान परिपक्वता	**2,728.4**	3,150.5
ख) प्रोद्भूत ब्याज परंतु उधार पर देय नहीं	**348.1**	188.0
ग) अग्रिम बिक्री (निवल) [यात्री/कार्गो]	**2,946.3**	1,868.7
घ) ग्राहकों से अग्रिम (निवल)	**178.4**	6.2
ड.) अन्य देयताएं (निवल)		
i) एअर इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) को देय	**14,063.6**	9,302.8
ii) अन्य	**251.4**	414.7
¼[k½	**20,516.2**	14,930.9
dqy ¼d$[k½	**26,702.4**	20,107.9

5-1 व्यापार देयताओं में खरीदे गए सामान, प्राप्त सेवाओं और अन्य व्यय के लिए देयताएं शामिल हैं।

5-2 अन्य में सांविधिक देयताएं शामिल हैं।

ukV ^^6** % Ákoèkku

¼#i, fefy;u e½

fooj.k	nh?kkZofèk Ákoèkku		vYikofèk Ákoèkku	
	31 ekp] 2013 dk	31 मार्च, 2012 को	31 ekp] 2013 dk	31 मार्च, 2012 को
depkjh fgr ykHkk d fy, ikoèkku %				
क) उपदान	**42.2**	25.5	**0.8**	0.6
ख) छुट्टी नकदीकरण	**20.1**	12.3	**1.0**	0.9
dy	**62.3**	37.8	**1.8**	1.5

ukV ^^7** % vYikofèk mèkkj

¼#i, fefy;u e½

	fooj.k	31 ekp] 2013 dk	31 मार्च, 2012 को
I	ekx ij ifr lm; _.k %		
	क) विदेशी मुद्रा में बैंकों से (अरक्षित)	**1,085.7**	1,017.5
	ख) बैंकों से (अरक्षित)	**9,500.0**	9,500.0
	dy	**10,585.7**	10,517.5

ukV ^^8^^ % vpy ifjlaifRr;ka

¼#i, fefy;u esa½

Ø- l-	fooj.k	ldy Cykd				eY;gkl				fuoy Cykd	
		1 अप्रैल, 2012 को	ifjo/kZu	dVkSfr;k@ lek;kstu	31 ekpZ 2013 dks	1 अप्रैल, 2012 को	o"kZ dk fy,	dVkSfr;k@ lek;kstu	31 ekpZ 2013 rd dqy	31 ekpZ 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
	ewrZ ifjlaifRr;ka %										
d-	foeku&cM+k ,oa jkWVcYl										
1.	एअरफ्रेम स्वामित्व वाले और स्वयंचालित	24,694.0	953.5	-	**25,647.5**	4,625.0	1,245.2	-	**5,870.2**	**19,777.3**	20,069.0
2.	एरो इंजन और पॉवर प्लांट स्वामित्व वाले और स्वयंचालित	16,074.1	569.1	-	**16,643.2**	3,038.6	806.6	-	**3,845.2**	**12,798.0**	13,035.5
3.	सिम्युलेटर और लिंक ट्रेनर्स	440.0	-	-	**440.0**	54.7	20.9	-	**75.6**	**364.4**	385.3
4.	एअरफ्रेम रोटेबल्स	1,408.6	-	-	**1,408.6**	348.7	66.9	(15.1)	**400.5**	**1008.1**	152.5
5.	एरो इंजन रोटेबल्स	180.8	-	-	**180.8**	35.8	8.6	15.1	**59.5**	**121.3**	1,052.3
	mi tksM+ ^^d**	42,797.5	1,522.6	-	**44,320.1**	8,102.8	2,148.2	-	**10,251.0**	**34,069.1**	34,694.6
[k-	okgu										
1.	वाहन	9.1	-	-	**9.1**	4.2	1.0	-	**5.2**	**3.9**	4.8
	mi tksM+ ^^[k**	9.1	-	-	**9.1**	4.2	1.0	-	**5.2**	**3.9**	4.8
x-	vU; vpy ifjlaifRr;ka										
1.	वर्कशॉप उपस्कर, उपकरण, मशीनरी और संयंत्र	33.5	3.2	-	**36.7**	4.6	2.3	-	**6.9**	**29.8**	29.0
2.	भू सहायता और रैंप उपस्कर	22.3	-	-	**22.3**	6.5	1.6	-	**8.1**	**14.2**	15.8
3.	फर्नीचर और फिक्सचर	5.0	2.0	-	**7.0**	1.6	0.4	-	**2.0**	**5.0**	3.3
4.	इलैक्ट्रिक फिटिंग्स और इंस्टॉलेशन	0.1	-	-	**0.1**	-	-	-	**-**	**0.1**	-
5.	कम्प्यूटर प्रणाली	16.8	0.1	-	**16.9**	9.3	2.6	-	**11.9**	**5.0**	7.6
6.	कार्यालय उपयंत्र और उपस्कर	8.7	1.4	-	**10.1**	1.1	0.5	-	**1.6**	**8.5**	7.7
	mi tksM+ ^^x**	86.4	6.7	-	**93.1**	23.1	7.4	-	**30.5**	**62.6**	63.4
	dqy ewrZ ifjlaifRr;ka	42,893.0	1,529.3	**-**	**44,422.3**	8,130.1	2,156.6	**-**	**10,286.7**	**34,135.6**	34,762.8
	vewrZ ifjlaifRr;ka%										
d-	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	0.5	8.9	-	**9.4**	0.1	0.4	-	**0.5**	**8.9**	0.4
	dqy ifjlaifRr;ka	42,893.5	1,538.2	**-**	**44,431.7**	8,130.2	2,157.0	**-**	**10,287.2**	**34,144.5**	(34,763.2)
	पिछले वर्ष	39,819.2	3,092.3	18.1	**42,893.4**	6,064.5	2,070.0	4.3	**8,130.2**		
	चालू पूंजीगत कार्य									**-**	-
	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां									**-**	4.8
	dqy ;ksx									**34,144.5**	34,768.0

8-1 ''विमान बेड़े और रोटेबल्स'' में परिवर्धन और कटौती में विदेशी मुद्रा में अंतर्हित ऋण पर विनिमय दर में उतार–चढ़ाव शामिल है : परिवर्धन रु. 1,522.6 मिलियन (पिछले वर्ष रु.3,013.0 मिलियन)

8-2 विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में रैडिक्स से नई आरक्षण प्रणाली के प्रापण के लिए रु.शून्य मिलियन (पिछले वर्ष : रु.4.8 मिलियन) अग्रिम के रूप में शामिल है।

8-3 वित्तीय पट्टे पर अधिग्रहित किए गए विमान–बेड़े और रोटेबल्स में शामिल हैं 17 विमान (पिछले वर्ष 17 विमान) बी737–800 विमान (पंजीकरण सं. वीटी–एएक्सएच, एएक्सआई, एएक्सजे, एएक्सएम, एएक्सएन, एएक्सपी, एएक्सक्यू, एएक्सआर, एएक्सटी, एएक्सयू, एएक्सडबल्यू, एएक्सएक्स, एएक्सज़ेड, एवाईए, एवाईबी, एवाईसी तथा एवाईडी) हैं और वे एसपीवी कंपनी के नाम पर जारी रहेंगे, जिसका हिताधिकारी स्वामित्व एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड के पास है। सकल ब्लॉक : रु.25,647.5 मिलियन (पिछले वर्ष रु.24,694.0 मिलियन), मूल्यह्रास : रु.5,870.2 मिलियन (पिछले वर्ष रु. 4,625.0 मिलियन), निवल ब्लॉक रु.19,777.3 मिलियन (पिछले वर्ष रु.20,069.0 मिलियन)। भविष्य में पट्टा किराया दायित्व कुल रु.22,758.4 मिलियन होगा (पिछले वर्ष रु.20,922.1 मिलियन), जिसके लिए वर्ष के अंत में भावी पट्टा दायित्व के शेष में सममूल्य राशि का दायित्व शामिल किया गया है।

8-4 वर्कशॉप उपस्कर के सकल ब्लॉक और निवल ब्लॉक में कुल मिलाकर रु.शून्य मिलियन (पिछले वर्ष रु.13.4 मिलियन) के उपस्कर शामिल हैं, जिसके लिए डीजीसीए का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।

8-5 वर्ष के दौरान सिम्युलेटर पर रु.20.9 मिलियन (पिछले वर्ष रु.20.9 मिलियन) के मूल्यह्रास को सिम्युलेटर के पूंजीकरण के लिए निर्मित पूंजीगत आरक्षित निधियों से समायोजित किया गया।

ukV ^^9** % _.k vkj vfxe

¼#i, fefy;u e½

foojk.k	nh?kkZofèk _.k vkj vfxe		vYikofèk _.k vkj vfxe	
	31 ekpZ] 2013 dk	31 मार्च, 2012 को	31 ekpZ] 2013 dk	31 मार्च, 2012 को
iwWthxr iwathxr tek %				
अरक्षित, शोध्य माने गए	**246.9**	259.4	**-**	-
संदिग्ध	**-**	-	**-**	-
	246.9	259.4	**-**	-
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**-**	-	**-**	-
¼d½	**246.9**	259.4	**-**	-
lc) ikfVZ;ks dks vfxze*				
अरक्षित, शोध्य माने गए	**0.8**	-	**-**	0.7
संदिग्ध	**-**	-	**-**	-
	0.8	-	**-**	0.7
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**-**	-	**-**	-
¼[k½	**0.8**	-	**-**	0.7
udn ;k oLrqvks esa olwyu ;kX; vfxze				
अरक्षित, शोध्य माने गए	**-**	-	**2,316.1**	33.5
संदिग्ध	**-**	-	**-**	-
	-	-	**2,316.1**	33.5
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**-**	-	**-**	-
¼x½	**-**	-	**2,316.1**	33.5
deZpkfj;ks dks _.k vkj vfxze				
अरक्षित, शोध्य माने गए	**-**	-	**3.0**	2.8
संदिग्ध	**-**	-	**-**	-
	-	-	**3.0**	2.8
घटाएं : संदिग्ध कर्मचारी अग्रिमों के लिए प्रावधान	**-**	-	**-**	-
¼?k½	**-**	-	**3.0**	2.8
vU; _.k vkj vfxze				
पूर्वदत्त व्यय	**-**	722.0	**879.8**	34.4
सांविधिक/सरकारी प्राधिकारियों के पास शेष	**66.5**	199.4	**-**	-
¼3½	**66.5**	921.4	**879.8**	34.4
dqy ¼d$[k$x$?k$3½	**314.2**	1,180.8	**3,198.9**	71.4

ukV ^^10** % or|eku 0;kikj ls ikI;

¼#i, fefy;u e½

fooj.k	or|eku ikI;	
	31 ekp] 2013 dk	31 मार्च, 2012 को
Hkxrku dh fu;r rkjh[k ls N% ekg ls vf/kd		
vof/k dk fy, cdk;k %		
रक्षित, शोध्य माने गए	-	-
अरक्षित, शोध्य माने गए	-	199.0
संदिग्ध	-	-
	-	199.0
घटाएं : संदिग्ध प्राप्य के लिए प्रावधान	-	-
¼d½	-	199.0
vU; ikI; %		
रक्षित, शोध्य माने गए	**391.4**	213.8
अरक्षित, शोध्य माने गए	**22.4**	63.1
संदिग्ध	**57.8**	-
	471.6	276.9
घटाएं : संदिग्ध प्राप्य के लिए प्रावधान	**(57.8)**	-
¼[k½	**413.8**	276.9
dy ¼d$[k½	**413.8**	475.9

ukV ^^11** % vU; or|eku ifjlifRr;k

¼#i, fefy;u e½

	fooj.k	vU; or|eku ifjlifÙk;k	
		31 ekp] 2013 dk	31 मार्च, 2012 को
1-	ikn~Hkr C;kt %		
	i) मियादी जमा	**0.4**	0.4
	dy	**0.4**	0.4

ukV ^^12** % bUoVjh t ¼Ácèku }kjk tSlk yh xbZ] eY;kfdr vkj Áekf.kr dh xb½

¼#i, fefy;u e½

fooj.k	31 ekp] 2013 dk	31 मार्च, 2012 को
भंडार और अतिरिक्त पुर्ज़े	**1,159.8**	530.5
खुले औज़ार	**-**	-
	1,159.8	530.5
घटाएं : अप्रचलन के लिए प्रावधान/इन्वेंटरी समाधान	**(315.9)**	-
	843.9	530.5
मार्गस्थ सामग्री	**4.8**	4.8
dy	**848.7**	535.3

ukV ^^13** % udnh vkSj cSad 'ks"k

¼#i, fefy;u esa½

	fooj.k	31 ekpZ 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
	udnh vkSj udnh lekud %		
1.	cSadksa esa 'ks"k %		
	क) चालू खाते में	**104.3**	224.1
2.	हाथ में चेक, ड्राफ्ट	**27.9**	55.7
3.	हाथ में नकदी (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)	**1.3**	3.3
	¼d½	**133.5**	283.1
	vU; cSad 'ks"k		
	मार्जिन धन जमा (तीन महीनों से अधिक परंतु बारह महीनों से कम) (भारतीय स्टेट बैंक के पास गारंटी/साख पत्र के बदले में धारणाधिकार के तहत)	**10.6**	8.9
	¼[k½	**10.6**	**8.9**
	dqy ¼d$[k½	**144.1**	292.0

ukV ^^14** % ;krk;kr jktLo

¼#i, fefy;u esa½

	fooj.k	2012-13	2011-12
	vuqlwfpr lsok,a %		
1.	यात्री	**17,481.7**	17,731.2
2.	अतिरिक्त सामान	**193.1**	178.3
3.	डाक	**0.5**	2.2
4.	कार्गो	**75.6**	192.6
		17,750.9	18,104.3
	?kVk,a % ,vj bafM;k fyfeVsM ¼gkfYMax daiuh½ dks lkSaik jktLo lk>snkjh	**(2,218.9)**	(4,526.1)
	dqy	**15,532.0**	13,578.2

ukV ^^15** % gSaMfyax] lfoZflax vkSj iklafxd jktLo

¼#i, fefy;u esa½

	fooj.k	2012&13	2011–12
1.	हैंडलिंग और सर्विसिंग	**36.1**	50.3
2.	विनिर्माताओं की क्रेडिट	**-**	-
3.	प्रासंगिक	**40.7**	149.6
	dqy	**76.8**	199.9

ukV ^^16** % vU; jktLo %

¼#i, fefy;u esa½

	fooj.k	2012&13	2011–12
1.	ब्याज से आय : बैंक जमा	**1.6**	1.8
2.	बट्टे खाते में डाला गया जमा शेष	**-**	29.4
	dqy	**1.6**	31.2

ukV ^^17** % ipkyu O;;

¼#i, fefy;u e½

	fooj.k	2012&13	2011–12
1.	बीमा	**147.4**	151.8
2.	सामग्री की खपत – विमान	**294.4**	118.0
3.	बाहरी मरम्मत – विमान	**210.5**	176.0
4.	नेवीगेशन, लैंडिंग, हाउसिंग और पार्किंग	**862.4**	984.3
5.	किराए पर विमान	**780.2**	700.7
6.	हैंडलिंग प्रभार	**1,097.4**	1,313.9
7.	यात्री सुविधाएं	**253.0**	286.6
8.	बुकिंग एजेंसी कमीशन	**177.0**	125.1
9.	संचार प्रभार		
	i) आरक्षण प्रणाली	**20.7**	15.9
	ii) अन्य	**3.3**	3.2
	dqy	**3,846.3**	3,875.5

ukV ^^18** % deZpkjh fgrykHk O;;

¼#i, fefy;u e½

	fooj.k	2012&13	2011–12
1.	वेतन, मज़दूरी और बोनस	**938.9**	816.3
2.	क्रू भत्ते	**491.4**	92.1
3.	भविष्य निधि व अन्य निधियों में अंशदान	**22.3**	12.7
4.	कर्मचारी कल्याण व्यय	**2.8**	9.5
5.	उपदान के लिए प्रावधान	**0.1**	-
6.	छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	**-**	-
7.	सेवानिवृत्ति हितलाभ के लिए प्रावधान	**-**	-
	dqy	**1,455.5**	930.6

ukV ^^19** % foRr ykxr

¼#i, fefy;u e½

	fooj.k	2012&13	2011–12
1.	ब्याज पर :		
	क) डिबेंचर	**89.1**	89.1
	ख) विमान ऋण	**589.7**	599.6
	ग) अन्य ऋण	**1,638.0**	1,733.8
		2,316.8	2,422.5
2.	अन्य उधार लागत	**16.9**	129.3
3.	विदेशी मुद्रा संव्यवहार और रूपांतरण पर लागू निवल लाभ/हानि	**68.2**	125.6
4.	ईंधन कंपनियों को विलंबित भुगतान प्रभार	**157.9**	117.9
	dqy	**2,559.80**	2,795.30

ukV ^^20** % eY;gkl vkj ifj'kkèku 0;;

¼#i, fefy;u e½

	fooj.k	2012&13	2011–12
1.	मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास	**2,156.6**	2,069.9
2.	अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	**0.4**	0.1
	¼d½	**2,157.0**	2,070.0
	घटाएं : पूंजीगत आरक्षित निधियों से प्रतिपूर्ति (नोट 3 देखें)	**(20.9)**	(20.9)
	¼[k½	**(20.9)**	(20.9)
	dqy ¼d&[k½	**2,136.1**	2,049.1

ukV ^^21** % vU; 0;;

¼#i, fefy;u e½

	fooj.k	2012&13	2011–12
1.	यात्रा व्यय		
	i) क्रू	**186.7**	231.4
	ii) अन्य	**29.3**	42.1
2.	किराया	**4.9**	8.2
3.	दरें और कर	**0.1**	-
4.	निम्नलिखित की मरम्मत पर :		
	i) भवन	**0.1**	0.4
	ii) अन्य	**3.1**	4.1
5.	परिवहन का किराया	**31.5**	29.6
6.	इलैक्ट्रिसिटी एण्ड हीटिंग चार्जेस	**9.5**	7.7
7.	जल प्रभार	**0.1**	0.1
8.	प्रचार एवं बिक्री संवर्धन	**4.6**	1.3
9.	मुद्रण और लेखन–सामग्री	**1.8**	2.2
10.	विधि संबंधी प्रभार	**0.2**	0.1
11.	लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक और व्यय	**0.4**	0.4
12.	अशोध्य एवं संदिग्ध प्राप्य और अग्रिमों के लिए प्रावधान	**57.8**	-
13.	अप्रचलन के लिए प्रावधान (निवल)	**53.9**	-
14.	विनिमय विभिन्नता (निवल)	**39.1**	2.5
15.	बिक्री / हटा दी गई परिसंपत्तियों (निवल) पर हानि	**-**	13.8
16.	विविध व्यय	**193.7**	58.1
	dqy	**616.8**	402.0

ukV ^^22** % iokofèk lek;kstu ¼fuoy½

¼#i, fefy;u esa½

fooj.k	2012&13	2011–12
jktLo 'kh"kZ %		
1. यात्री राजस्व	**(4.4)**	2.9
2. अन्य	**(1.7)**	-
¼d½	**(6.1)**	2.9
O;; 'kh"kZ %		
1. हैंडलिंग प्रभार	**(5.1)**	9.2
2. भंडार और उपस्कर	**1.5**	-
3. यात्री सुविधाएं	**19.3**	2.1
4. क्रू होटल व्यय	**-**	7.1
5. प्रचार	**0.2**	0.9
6. तेल कंपनियों को विलंबित भुगतान प्रभार	**-**	257.8
7. परिवहन का किराया	**0.7**	-
8. वेतन/कर्मचारी कल्याण व्यय	**0.7**	2.1
9. लैंडिंग, पार्किंग और नेवीगेशन	**17.0**	14.5
10. व्यावसायिक और परामर्श	**1.0**	2.4
11. किराया, दर और कर	**0.2**	-
12. विनिमय अंतर	**-**	5.4
13. कम्प्यूटर आरक्षण पर व्यय	**2.8**	3.2
14. अन्य (निवल)	**4.3**	0.7
¼[k½	**42.6**	305.4
dqy ¼d$[k½	**36.5**	308.3

ukV ^^23** % vioknkRed enk

¼#i, fefy;u esa½

fooj.k	2012&13	2011–12
1. इन्वेंटरी स्थानांतरण अधिशेष/प्रतिलिखित	**487.3**	-
घटाएं : इन्वेंटरी समाधान के लिए प्रावधान	**(183.4)**	-
	303.90	-
2. आगे प्रावधान ज़रूरी नहीं	**26.2**	-
dqy	**330.1**	-

foRrh; fooj.kksa ij uksV %

24- çklafxd ns;rk,a :

¼d½ कंपनी को विदेशी वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) ऋणों, (बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के अधीन) पट्टे वाले विमानों के प्रबंधन, अनुरक्षण और मरम्मत सेवा पर तथा अनिवासी सेवा उपलब्धकर्ताओं से सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में अदा किए गए विभिन्न शुल्कों पर सेवा कर की प्रयोज्यता के बारे में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय से कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2005 से वर्ष 2013 की अवधि के लिए सेवा कर की देयता रु.363.3 मिलियन (पिछले वर्ष रु.289.5 मिलियन) है, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि कंपनी ने सेवा कर की प्रयोज्यता में छूट के लिए मामला मंत्रालय को भेजा है। कंपनी ने इस मामले को सेवा कर विभाग के सामने भी प्रस्तुत किया है। ब्याज और दण्ड के रूप में देयता का विचार नहीं किया गया है, क्योंकि कारण बताओ नोटिस में उसे प्रभारित नहीं किया गया है/उसकी मांग नहीं की गई है।

¼[k½ कंपनी को अंतर्देशीय उड़ानों पर ईंधन की खपत के संबंध में शुल्क की प्रयोज्यता के लिए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभागों से भी पिछले वर्षों में नोटिसें प्राप्त हुई हैं। तथापि, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कोई अतिरिक्त नोटिसें प्राप्त नहीं हुई हैं। कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्षों में अपनाई गई पद्धति के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान रु.8.8 मिलियन (पिछले वर्ष रु.8.8 मिलियन) के दावों का लेखांकन नहीं किया है, क्योंकि वे अपील के अधीन हैं।

¼x½ कंपनी को आयकर विभाग से वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के लिए टीडीएस के संबंध में रु.29.1 मिलियन (पिछले वर्ष शून्य) की डिमांड नोटिस प्राप्त हुई है। कंपनी ने आयकर विभाग द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है।

¼Ä½ कंपनी को वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए रु.6.4 मिलियन (पिछले वर्ष शून्य) राशि के संबंध में आयकर विभाग से एक डिमांड नोटिस प्राप्त हुई है। कंपनी ने आयकर विभाग द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है।

¼³½ विभिन्न एअरपोर्ट प्राधिकरणों के साथ मिलान के लंबित रहते देय विलंबित भुगतान प्रभारों की राशि, यदि कोई हो, का प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि राशि का पता नहीं लग सका है।

¼p½ एक्ज़िम ट्रैंच II ऋण के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी साख पत्र रु.651.4 मिलियन (पिछले वर्ष रु.610.5 मिलियन) की बकाया राशि के बारे में है।

¼N½ ट्रैंच III ऋण के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी विदेशी बैंक गारंटी रु.239.89 मिलियन है (पिछले वर्ष रु.228.9 मिलियन)।

¼t½ कंपनी ने संविदा के आधार पर अनेक स्टाफ नियोजित किए हैं, इसलिए समाप्त न हुई संविदा अवधि की सीमा तक प्रासंगिक देयता है। इसकी राशि अभिनिश्चित नहीं की जा सकती।

25- iwathxr çfrc)rk,a :

क) विमान परियोजनाएं :

पूंजीगत लेखे पर निष्पादित की जाने वाली संविदाओं की अनुमानित राशि के बारे में पूंजीगत प्रतिबद्धताएं (अग्रिमों की निवल) रु.566.7 मिलियन (पिछले वर्ष रु.531.1 मिलियन) है यानी एक अतिरिक्त इंजन की लागत।

ख) खरीदे जा रहे उपस्करों के संबंध में तिरुवनंतपुरम हैंगर परियोजना के बारे में पूंजीगत प्रतिबद्धताएं रु.शून्य है (पिछले वर्ष रु.10.5 मिलियन)।

26- ys[kkadu uhfr esa ifjorZu %

मरम्मत योग्य मदों के संबंध में लेखांकन नीति में वर्ष 2012–13 के दौरान परिवर्तन हुआ है, जहां ऐसी मदों को स्क्रैप के समय दर्शाया गया है और वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें यहां प्रारंभिक निर्गम के समय खपत के रूप में प्रभारित किया गया है। ऐसे परिवर्तन के परिणामस्वरूप, पिछले वर्ष से अग्रेनीत इन्वेंटरी मूल्यों तथा मात्रा के अलावा वर्ष के दौरान लेखों पर निम्न प्रभाव हैं :

i. बेकार पड़ी मदों की इन्वेंटरी (मरम्मत के लिए प्रतीक्षारत) रु.133.9 मिलियन है, जो इससे पहले खपत में प्रभारित की गई थी, उसे इन्वेंटरी में फिर से लाया गया है।

ii. उपयोज्य मदों की इन्वेंटरी, जिनका मूल्य रु.4 मिलियन है और जो मरम्मत योग्य थीं और जिन्हें इसके पहले खपत में प्रभारित किया गया था, को अद्यतन उपलब्ध भारित औसत पर वर्तमान इन्वेंटरी में शामिल किया गया है।

iii. उपर्युक्त कुल रु.137.9 मिलियन की राशि अपवादात्मक मद के रूप में लाभ और हानि विवरण में जमा की गई है।

27- lsokfuofRr fgrykHk%

क) परिभाषित अंशदान योजनाएं, जैसे भविष्य निधि के अंशदान को निम्न तरह से लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है :

भविष्य निधि रु.22.3 मिलियन (पिछले वर्ष रु.11.98 मिलियन)

ख) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी संशोधित लेखाकरण मानक 15 के अनुसार कंपनी, स्वतंत्र बीमांककों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर तुलन–पत्र की तारीख को, उपदान और छुट्टी नकदीकरण के रूप में सेवानिवृत्ति हितलाभ भी प्रदान करती है। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार निवल देयता निम्नानुसार है :

i) छुट्टी नकदीकरण रु.21.1 मिलियन (पिछले वर्ष रु.13.2 मिलियन) (अनिधियित)

ii) परिभाषित हितलाभ योजना – उपदान (अनिधियित)

	fooj.k	31-03-2013 dk	31.03.2012 को
क)	हितलाभ दायित्व में परिवर्तन		
	वर्ष के आरंभ में देयता	26-0	21.7
	ब्याज लागत	&	–
	वर्तमान सेवा लागत	&	–
	प्रदत्त हितलाभ	&	–
	दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	17-0	4.3
	वर्ष के अंत में देयता	43-0	260
ख)	योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य		
	वर्ष के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य	&	–
	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	&	–
	अंशदान	&	–
	प्रदत्त हितलाभ	&	–
	योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	&	–
	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य	&	–
	योजना परिसंपत्तियों पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	&	–
ग)	योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक प्रतिफल	&	–
	योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रतिफल	&	–
	योजना परिसंपत्ति पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	&	–
	योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक प्रतिफल	&	–
घ)	तुलन पत्र में मान्य की गई राशि	&	–
	वर्ष के अंत में देयता	43-0	26.0
	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य	&	–
	अंतर	&	–
	तुलन पत्र में मान्य की गई राशि	43-0	26.0
ङ)	लाभ और हानि लेखे में मान्य व्यय	&	–
	वर्तमान सेवा लागत	&	–
	ब्याज लागत	&	–
	योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रतिफल	&	–
	मान्य किया जाने वाला निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	17-0	4.0
	लाभ और हानि लेखे में मान्य व्यय	43-0	4.0

	fooj.k	31-03-2013 dk	31.03.2012 को
च)	तुलन पत्र समाधान प्रारंभिक निवल देयता उपरोक्त व्यय नियोक्ता का अंशदान	 26-0 17-0 &	 21.7 4.0 –
	अंतिम निवल देयता	43-0	26.0
छ)	वर्ष के लिए बीमांकिक पूर्वानुमान छूट दर योजना परिसंपत्ति पर प्रतिफल की दर वेतन वृद्धि	 8-00% & 5-00%	 8.75% – 5.00%

28- सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्यम (एमएसएमई) अधिनियम, 2006 के अधीन विलंबित भुगतान पर ब्याज के अंतर्गत यथापरिभाषित आपूर्तिकारों की स्थिति की सूचना के अभाव में, विलंबित भुगतानों पर ब्याज सहित अप्रदत्त राशि के लिए प्रकटन, ऐसे आपूर्तिकारों के लिए यदि कोई हो, लेखों में नहीं दर्शाया गया है।

29- 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष में प्रत्येक रु.10 लाख के अंकित मूल्य के कुल रु.95 करोड़ के निजी रूप से रेट किए हुए, सूचीबद्ध, अरक्षित, करयोग्य, मोचनीय, अपरिवर्तनीय 950 डिबेंचर्स जारी किए गए थे। इन बॉण्डों को भारत सरकार की गारंटी है। बॉण्ड निर्गम को क्रिसिल द्वारा एएए (एसओ) तथा फिच रेटिंग द्वारा एएए (आईएनडी) (एसओ) (ईएक्सपी) रेट किया गया है।

ये डिबेंचर 26 मार्च, 2020 को सममूल्य आधार पर मोचनीय हैं। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 117ग के अंतर्गत यथा अपेक्षित मोचन आरक्षिति निर्मित नहीं की गई है, चूंकि कोई लाभ नहीं हुआ है।

30- वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने विभिन्न हैंडलिंग सेवाओं के लिए एअर इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) को बिल भेजा है। इस तरह बिल की गई राशि को हैंडलिंग राजस्व के रूप में माना गया है एवं इस पर आई लागत स्टाफ लागत के नामे डाली गई है।

31- हालांकि, कंपनी ने विभिन्न भारतीय/विदेशी स्थानों में स्वतंत्र बैंक खाते खोले हैं, फिर भी कंपनी के लिए और उसकी ओर से एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा और एअर इंडिया लिमिटेड के लिए एवं उसकी ओर से कंपनी द्वारा भी कुछ संव्यवहार किए जाते हैं। कुछ स्टेशनों पर कंपनी की ओर से एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा खर्च/वसूली की जाती है और इसे एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर चालू खाते के माध्यम से संचालित किया जाता है।

32- कुछ स्टेशनों पर कार्गो, डाक और अतिरिक्त सामान से संबंधित राजस्व कंपनी की ओर से एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा नियंत्रित और मॉनीटर किया जाता है और उसे एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर लेखाकृत किया जाता है।

33- bUoSVjh vkj jkVcYl %

क. भंडारों, विमानों आदि का प्रापण एअर इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) द्वारा नियंत्रित और मॉनीटर किया जाता है।

ख. वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान इन्वेंटरियों का शेष, जो यहां ओएसिस/मैक्सी मर्लिन सिस्टम में अनुरक्षित किए जाते थे, उन्हें रेम्को द्वारा विकसित ईआरपी पैकेज में स्थानांतरित कर दिया गया, जो अब संपूर्ण कंपनी की एकीकृत विमान इन्वेंटरी अनुरक्षित करते हैं। इन्वेंटरी पैकेज रेम्को द्वारा कंपनी के लिए कस्टम निर्मित है, जो आवश्यक रूप से संगठन में प्रचलित इन्वेंटरी प्रणालियों पर बेहतर नियंत्रण उपलब्ध कराता है और कंपनी द्वारा धारित विभिन्न इन्वेंटरियों में ऑनलाइन और वास्तविक समय पहुंच उपलब्ध कराता है, जिससे विभिन्न लोकेशनों पर इन्वेंटरी धारण करने की लागत कम होती है। इन्वेंटरी की सभी मदें चाहे वे वेअरहाउस में पड़ी हों या दुकान में पड़ी हों या खुले कार्य आदेशों के लिए कार्यस्थल पर पड़ी हों या मरम्मत करने वाली एजेंसियों के पास पड़ी हों, सभी को इन्वेंटरी में लिया गया है। संपूर्ण इन्वेंटरी आंकड़ा आधार को दस्तावेज़ी रूप देना और इसे रेम्को प्रणाली में स्थानांतरित करना भी बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पूर्व प्रणाली इन्वेंटरी की उपलब्धता या खपत या संचलन के संबंध में नियमित रूप से पर्याप्त सूचना नहीं उपलब्ध करा पाती थी, जिसके कारण रेम्को प्रणाली में स्थानांतरित करने के लिए मात्रा और मूल्य के संबंध में दस्तावेज़ी आधार मुख्य रूप से इन्वेंटरी में शामिल करने के लिए बेकार पड़ी मदों की इन्वेंटरी के मामले में उपलब्ध नहीं थे।

ग. स्थानांतरण की प्रक्रिया के दौरान संपूर्ण इन्वेंटरी, जो विभिन्न लोकेशनों पर अनुरक्षित की गई थी और जिनके रिकॉर्ड विभिन्न रूपों में रखे गए थे अर्थात् मैक्सी मर्लिन में और मैनुअल रूप में, उन्हें एक साथ रखा गया तथा इन मात्राओं को आबंटित किया गया। रेम्को परियोजना दल द्वारा उपलब्ध कराए गए मूल्य और इन्वेंटरी के आदिशेष 28 मई 2012 से रेम्को प्रणाली में स्थानांतरित किए गए।

घ. इन्वेंटरी के भाग के रूप में कंपनी मरम्मत की जाने वाली मदों की कतिपय मात्रा वहन करती है। मरम्मत योग्य मद को उस मद के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका आर्थिक जीवन कंपनी के प्रचालन चक्र से अधिक हो (एक वर्ष) तथा मरम्मत के बाद इनहाउस या मरम्मत एजेंसी के बाहर या ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) द्वारा फिर से प्रयुक्त की जा सके। एक्सपेंडेबल वे मदे हैं, जो प्रारंभिक निर्गम के समय दर्शाई जाती हैं। अन्य प्रमुख एअरलाइनों द्वारा अपनाई गई प्रणाली के अनुसार मरम्मत योग्य मदों का मूल्य निर्गम के समय प्रभारित नहीं किया जाता है और कुछ समय पर ऋण मुक्त किया जाता है।

ङ. चूंकि रेम्को में शेष के स्थानांतरण के समय बेकार पड़ी इन्वेंटरी के संबंध में वर्ष के दौरान वापस ली गई प्रयोज्य भारित औसत लागत उपलब्ध नहीं हुई, अतः इन मामलों में अद्यतन उपलब्ध भारित औसत दरों के अनुसार मूल्य लिए गए हैं, जो कुल रु.133.9 मिलियन हैं, जिन्हें मूल्यांकन के लिए माना गया है।

च. चूंकि रेम्को में शेष के स्थानांतरण के समय उपयोज्य इन्वेंटरी के संबंध में वर्ष के दौरान वापस ली गई प्रयोज्य भारित औसत लागत उपलब्ध नहीं हुई, अतः इन मामलों में अद्यतन उपलब्ध भारित औसत दरों के अनुसार मूल्य लिए गए हैं, जो कुल रु.4 मिलियन हैं, जिन्हें मूल्यांकन के लिए माना गया है।

छ. वर्ष के दौरान वापस ली गई संवर्धित इन्वेंटरियों पर कंपनी ने मूल्य सुधार और मात्रा अंतर के प्रति उपयोज्य मदों के लिए शेष के स्थानांतरण के बाद रु.183.4 मिलियन का प्रावधान किया है।

ज. परियोजना दल द्वारा ''साइन ऑफ रिपोर्ट'' और विभिन्न लोकेशनों से प्राप्त मूल्यों और मात्रा के आंकड़ों के आधार पर शेष स्थानांतरित किए गए हैं। समय और जनशक्ति की कमी के कारण सभी मदों की वास्तविक जांच नहीं की जा सकी है। प्रबंधन द्वारा किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से स्थानांतरण लेखापरीक्षा की प्रक्रिया संचालित की जाएगी और विसंगतियां, यदि कोई हों, तो इन्वेंटरी मिलान के लिए निर्मित प्रावधान पर उन्हें समायोजित किया जाएगा।

झ. वर्ष के अंत में खुले कार्य आदेशों के संबंध में मरम्मतों के लिए एक्सपेंडेबल्स/खपत से संबंधित रु.144.8 मिलियन की इन्वेंटरी में से रु.78.5 मिलियन का तदर्थ प्रावधान किया गया है। पूर्ण किए गए कार्यों के संबंध में खुले कार्य आदेशों का मूल्यांकन प्रणाली की कमी के कारण, जिसे 31 मार्च 2013 तक बंद नहीं किया जा सका, उसे किया जा रहा है और यथासमय आवश्यक लेखांकन कार्रवाई की जाएगी।

ञ. मरम्मत के लिए पड़ी बेकार मदों के संबंध में 31 मार्च 2013 तक कंपनी की इन्वेंटरी रु.169.9 मिलियन है, जो इनहाउस या मरम्मत एजेंसी द्वारा मरम्मत की जा सकती है या जिसे स्क्रैप के रूप में माना जा सकता है, लेकिन 31 मार्च 2013 तक मूल्यांकन नहीं किया गया था। हालांकि इस संबंध में लेखांकन नीति के अनुसार मरम्मत खर्च को खर्च की गई सीमा तक लेखांकित किया गया है, अतः इस संबंध में खुले कार्य आदेशों के लिए लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वर्ष के अंत में ऐसी मदों के संबंध में अनुमानित मरम्मत के लिए लेखों में प्रावधान नहीं किया गया है।

ट. बोइंग 737–800 विमान–बेड़े की इन्वेंटरी के संबंध में लेखों में रु.53.9 मिलियन का अप्रचलन प्रावधान किया गया है।

ठ. सैप और रेम्को के बीच अंतराफलक अभी भी स्थिर किया जाना शेष है, अतः रेम्को से प्राप्त भंडारण लेखांकन आंकड़ों को सैप में सारांश स्तर की प्रविष्टियों के माध्यम से प्रविष्ट किया जा रहा है। रेम्को आंकड़ा आधार के साथ लेखा–बहियों के अनुसार इन्वेंटरी का अंतिम शेष मिलाया जा रहा है और ऐसे मिलान के पश्चात आवश्यक समायोजन किया जाएगा। अंतराफलक में विलंब मुख्य रूप से एमआरओ अनुप्रयोगों के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त रेम्को सिस्टम की दृष्टि में लेखांकन के ठीक स्वरूप को अंतिम रूप देने के कारण है।

ड. स्थानांतरण और लेखांकन नीति में परिवर्तन के परिणामस्वरूप इन्वेंटरी मूल्यों में वृद्धि के कारण रु.487.3 मिलियन की कुल क्रेडिट पर मूल्यांकन अंतरों के लिए प्रावधान और शेष सुधार राशि के लिए तदर्थ प्रावधान रु.183.4 मिलियन का किया गया है, जिसे रु.303.9 मिलियन की निवल राशि लाभ और हानि विवरण में अपवादात्मक मदों के रूप में जमा की गई है, जो वर्ष की हानि में कमी है।

ढ. रेम्को को स्थानांतरित इन्वेंटरियों का कुल मूल्य 31 मार्च, 2013 को रु.1,114.1 मिलियन है। मर्लिन से अभी भी स्थानांतरित की जाने वाली इन्वेंटरियों का कुल मूल्य 31 मार्च, 2013 को रु.31.8 मिलियन है।

ण. मिलान/पहचान के लंबित होते हुए कंपनी की राय है कि ये प्रावधान मूल्यांकन में किसी अंतर, मात्रा में किसी अंतर और जहां कहीं लागू हो, मरम्मत लागत के लिए पर्याप्त होंगे, क्योंकि इनका इस समय पता लगाना संभव नहीं है। कंपनी वित्तीय वर्ष 2013–14 में इन अंतरों को दर्शाएगी और लेखा–बहियों में किसी अधिकता या कमी के प्रावधान को उपयुक्त रूप से हल किया जाएगा।

त. कंपनी ने स्टैण्डबाय उपकरणों/मशीनरी के पुर्ज़ों/बीमा वाले पुर्ज़ों को इन्वेंटरी के भाग के रूप में पारित करना जारी रखा है, क्योंकि ये मदें विमान में संशोधन और अनुरक्षण कार्य दोनों के लिए भी प्रयुक्त की जा सकती हैं। साथ ही, बाहरी मरम्मत कार्यों के लिए भी प्रयुक्त की जा सकती हैं।

थ. प्राप्त सभी सामग्री के लिए सामग्री/व्यय का दायित्व रेम्को निर्मित आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2013 को ग्रांस एण्ड स्टोर–इन–ट्रांज़िट विवरण में उपलब्ध मूल्यों के अनुसार कराया गया है। रेम्को आंकड़ा आधार के बाहर अनुसंधान एवं विकास अनुभाग/सीमा शुल्क/गहरे समुद्र में प्राप्त मदों के लिए उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर प्रावधान किया गया है। ग्रांस और रेम्को आंकड़ा आधार के बाहर ग्रांस की तैयारी में विलंब की प्रणाली और उस पर परिणामस्वरूप प्रभाव उपयुक्त स्तर पर दायित्व की मान्यता की समीक्षा की जा रही है।

द. सैप में स्थानांतरित रोटेबल्स के मूल्य समेकित ब्लॉक आधार पर उपलब्ध हैं। रेम्को/सैप में स्थानांतरण के बाद रोटेबलों का मदवार विवरण रेम्को द्वारा निर्मित आंकड़े के अनुसार तैयार किया जा रहा है। रेम्को सॉफ्टवेयर से निर्मित रोटेबलों के मदवार विवरणों की वित्तीय अभिलेखों से तुलना की जा रही है। रेम्को निर्मित आंकड़े के साथ वित्तीय अभिलेखों के अनुसार आंकड़ों का आवश्यक मिलान यथासमय किया जाएगा और तत्पश्चात उस संबंध में आवश्यक लेखांकन समायोजन किया जाएगा।

ध. रेम्को में स्थानांतरण के बाद के वर्ष में पिछले वर्ष तक इन्वेंटरी में समाविष्ट कतिपय मदों का पुनःवर्गीकरण किया गया, जिन्हें रोटेबल माना गया और इसके विपरीत तदनुसार इन्वेंटरी से रोटेबल में रु.44.4 मिलियन की राशि चिन्हित की गई तथा रु.11.5 मिलियन के रोटेबलों को इन्वेंटरी के रूप में चिन्हित किया गया। क्रय कीमत/डबल्यूडीवी का स्पष्ट विवरण मदवार उपलब्ध नहीं है। अतः अनुमानित आधार पर उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित लेखांकन कार्रवाई की गई है। वर्ष 2013–14 में पूंजीकरण/अपूंजीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

34- एअर इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) एवं एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार, एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड की निर्धारित सेवाओं से अर्जित राजस्व एअर इंडिया लिमिटेड और एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड के बीच क्रमशः 12.50% एवं 87.50% के अनुपात में शेयर किया गया है (पिछले वर्ष क्रमशः 25% एवं 75%)।

35- एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड एवं एअर इंडिया लिमिटेड के बीच अंडरटेकिंग के अनुसरण में तथा वाणिज्यिक निर्णयों के अनुसार 31 मार्च 2007 तक एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड द्वारा सामान्य सुविधाओं तथा सेवाओं की लागत को शेयर किया जाना था। तथापि, एअर इंडिया लिमिटेड से प्राप्त अभ्यावेदन के अनुसार, सामान्य सुविधाओं तथा सेवाओं के लिए इस तरह की कोई लागत एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड को आबंटित नहीं की गई। तथापि, चरणबद्ध तरीके से, जिन स्टेशनों से केवल एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें प्रचालित होती हैं, उन स्टेशनों का संपूर्ण व्यय एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड के नामे डाला जाता है। हालांकि चरणबद्ध तरीके से उन स्टेशनों के लिए जहां केवल एअर इंडिया एक्सप्रेस उड़ानें प्रचालन में हैं, वहां स्टेशन का पूरा खर्च एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड के नामे डाला जाता है। इसके अलावा, इस वर्ष एअर इंडिया लिमिटेड ने कंपनी में प्रतिनियुक्त जनशक्ति के लिए रु.581.8 मिलियन की राशि प्रभारित की है।

36- वर्ष 2010–11 के दौरान, एअर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई से मंगलुरू की बी737–800 उड़ान आईएक्स–812 (वीटीएएक्सवी) 22 मई 2010 को दुर्घटनाग्रस्त हुई। यह दुर्घटना मंगलुरू एअरपोर्ट पर विमान के उतरने के बाद रनवे से बाहर जाने के कारण हुई। विमान में 160 यात्री और 6 क्रू सदस्य थे। आठ यात्री बच गए। दुर्घटना में 158 यात्रियों का निधन हो गया।

केरल हाई कोर्ट की डिवीज़न बैंच के निर्णय के अनुसार दो वर्षों की समाप्ति से पूर्व सीमा अवधि (अर्थात् 22 मई, 2012) में सभी 160 मामलों (अर्थात् 152 मृत और 8 घायल मामले) हम लोगों द्वारा निपटाए गए, जिसके लिए कुल रु.1,157.4 मिलियन खर्च हुए। 160 मामलों में से 130 मामले हम लोगों द्वारा पूर्ण और अंतिम आधार पर निपटाए गए और 30 मामले ''प्राप्ति आधार'' अर्थात् बिना पूर्ण रिलीज़ और डिस्चार्ज दस्तावेज़ के हस्ताक्षर पर निपटाए गए। कंपनी द्वारा संवितरित की जाने वाली राशि की प्रतिपूर्ति बीमा कंपनी द्वारा की जा रही है और संपूर्ण विधिक देयता दावे बीमा कंपनी द्वारा पूर्ण रूप से कवर किए गए हैं। अतः लेखों में दायित्व के प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है।

37- आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य को अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों, प्रमुख प्रचालनात्मक विभागों, बिज़नेस क्षेत्रों/स्थानों/स्टेशनों और अन्य विभागों के विस्तार सहित समय पर रिपोर्टिंग तथा रिपोर्टों का शीघ्र अनुपालन करते हुए सुदृढ़ बनाने की

प्रक्रिया चल रही है, ताकि प्रकार्य को अधिक प्रभावी तथा कंपनी कारोबार के आकार और स्वरूप के अनुरूप बनाया जा सके।

38. किए गए संव्यवहार के बारे में प्रमुख प्रचालनात्मक विभागों/बिज़नेस क्षेत्रों/स्थानों/स्टेशनों और अन्य विभागों में स्थित आंतरिक नियंत्रणों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया चल रही है।

39- चिकित्सा, शिक्षा और बिना वेतन के अन्य अवकाश, आपूर्तिकारों/अन्य पक्षकारों से ब्याज के दावे से संबंधित प्रतिपूर्ति के दावों को अनिश्चितता के कारण नकद आधार पर लेखांकित किया गया है। कर्मचारियों के अन्य दावों को, खोए हुए बैगेजों के दावों को संगत रूप से नकद आधार पर दर्शाया गया है।

40- वर्ष के दौरान कंपनी ने तीन नई प्रणालियों में स्थानांतरण किया है, जैसे लेखा के लिए सैप, आरक्षण प्रणाली और इन्वेंटरी प्रबंधन के लिए रेम्को। कंपनी अभी भी आंतरिक नियंत्रणों के क्रियान्वयन एवं सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया चला रही है और सिस्टम/ स्थानांतरण की लेखापरीक्षा कर रही है। हालांकि नई प्रणालियां, प्रणाली की लेखापरीक्षा किए बिना क्रियान्वित की जा रही हैं और स्थानांतरण की लेखापरीक्षा के बिना आंकड़े स्थानांतरित किए जा रहे हैं, लेकिन प्रबंधन की राय में उनका प्रभाव नगण्य होगा।

41- सैप के पूर्ण क्रियान्वयन के लंबित रहते परियोजना लागत एअर इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) द्वारा विभाजित नहीं की गई है।

42- कंपनी ने अधिकतर प्रमुख प्राप्य राशियों तथा देय राशियों के लिए शेष की पुष्टि की है तथा इस बारे में पार्टियों से शेष राशियों की पुष्टि करने का निवेदन किया गया है। तथापि, कई मामलों में पार्टियों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। जहां कहीं पार्टियों द्वारा शेष राशियों के बारे में पुष्टि की गई है, उस पर सहमति नहीं है। समाधान की प्रक्रिया जारी है और परिणामी समायोजन के प्रभाव का अब तक पता नहीं लगाया जा सका है।

43- सतत रूप से अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार, पुराने देनदारों की अवधि बीजक की नियत तारीख पर आधारित होती है। कुछ मामलों में बेजोड़/पहचानी गई जमा को बकाया देनदार के लिए नहीं लिया गया है और देनदारों के खाते में शेष के समाधान का कार्य चल रहा है। देनदारों की अवधि पर उपर्युक्त का परिणाम कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुसार, जैसाकि संगणित करने पर देय है, निश्चित नहीं किया जा सकता है।

44- कंपनियों के समूह के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय तेल कंपनियों के पास शेष राशि की पुष्टि हुई है, तथापि कंपनी के लिए पुष्टिकरण और समाधान प्रक्रियाधीन है।

45- लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान संबंधित स्थानों पर चुनिंदा विदेशी स्टेशनों की लेखापरीक्षा करने का निर्णय मूलतः लिया गया था। तथापि, लागत में कटौती करने की दृष्टि से विदेशी स्टेशनों से संबंधित रिकॉर्ड, जहां तक संभव हो, प्रमुख विदेशी स्टेशनों के लिए स्थानीय तौर पर उपलब्ध कराया गया था। प्रबंधन के अनुसार इन स्टेशनों के बाकी रिकॉर्ड का, यदि कोई हो, कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है।

46- कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441क के अनुसार टर्नओवर पर देय 'उपकर' की अवधि और लागू दर को विनिर्दिष्ट करने वाली भारत सरकार की संबंधित अधिसूचना उपलब्ध न होने के कारण यह निश्चित नहीं किया जा सका है और इसलिए प्रावधान नहीं किया गया है।

47- lxeasV fjiksfVZax%

i) लेखाकरण मानक–17 के अनुसार, कंपनी एयरलाइन संबंधी व्यवसाय में लगी है, जो इसका प्रारंभिक व्यवसाय सैगमेंट है और इसलिए सैगमेंट परिणामों पर कोई चर्चा नहीं की गई। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर अर्जित सकल राजस्व का विवरण (जिस क्षेत्र में बिक्री हुई उस क्षेत्र में राजस्व के आबंटन द्वारा निकाला गया) नीचे दिया गया है :

¼#i, fefy;u esa½

fooj.k		orZeku o"kZ	पिछले वर्ष
क)	खाड़ी	9]221-6	10,035.5
ख)	दक्षिण पूर्व एशिया	959-7	1,482.6
ग)	भारत	7]300-1	6,213.1
	dqy	17]481-4	17,731.2

ii) कंपनी की मुख्य राजस्व अर्जन परिसंपत्ति विमान बेड़े हैं, जिन्हें लचीला रूख अपनाते हुए अपने विश्वव्यापी रूट नेटवर्क पर डिप्लॉय किया गया है। परिसंपत्तियों एवं देयताओं के भौगोलिक विवरणों के आबंटन का कोई उपयुक्त आधार नहीं है, परिणामस्वरूप क्षेत्रवार परिसंपत्तियों एवं देयताओं का विवरण प्रकट नहीं किया गया है।

iii) प्रति वर्ष निदेशकों की रिपोर्ट के साथ पठित वार्षिक लेखों की प्रस्तुति, उद्यम के निष्पादन की बेहतर समझ, जोख़िम एवं प्रतिफल का बेहतर मूल्यांकन कराती है एवं कंपनी की समग्र गतिविधियों के बारे में अधिक संसूचित निर्णय उपलब्ध कराती है।

48- iVV%

i) foRrh; iVV% %

वित्तीय पट्टे के अंतर्गत अधिग्रहित विमान–बेड़े और उपस्कर को वैसे ही माना गया है, जैसे उन्हें पूर्णतया खरीदा गया हो। पट्टे पर ली गई इन परिसंपत्तियों की लागत रु.40,939.1 मिलियन है (पिछले वर्ष रु.39,416.5 मिलियन)। 31 मार्च 2013 को भावी पट्टा दायित्व रु.20,922.1 मिलियन है (पिछले वर्ष रु.22,758.4 मिलियन)।

31 मार्च 2012 को देय कुल न्यूनतम पट्टे भुगतान का ब्रेक–अप और उनका तदनुरूप वर्तमान मूल्य निम्न है :

¼#i, fefy;u e½

विवरण	31 ekp] 2013 dk	31 मार्च, 2012 को
क) न्यूनतम पट्टे भुगतान का बकाया शेष और उस पर ब्याज		
– एक वर्ष से पहले	3]131-4	3,588.4
– एक वर्ष के बाद, लेकिन 5 वर्ष से पहले	13]079-0	12,045.4
– पांच वर्ष के बाद	6]246-1	9,000.5
d|y	22]456-5	24,634.3
ख) उपर्युक्त (क) का वर्तमान मूल्य		
– एक वर्ष से पहले	2]728-4	3,150.5
– एक वर्ष के बाद, लेकिन 5 वर्ष से पहले	12]079-9	10,874.4
– पांच वर्ष के बाद	6]113-8	8,733.5
d|y	20]922-1	22,758.4
ग) वित्त प्रभार	1]534-4	1,875.9

ii) çpkyu iVV% %

¼d½ foeku %

कंपनी ने रद्द न होने वाले पट्टे पर विमान लिए हैं । 31 मार्च 2013 को भावी न्यूनतम पट्टा किराया भुगतान निम्नानुसार है :

31 मार्च 2013 को भावी न्यूनतम पट्टा किराया भुगतान के कारण देयताएं निम्नानुसार हैं :

¼#i, fefy;u e½

	or|eku o"k	पिछले वर्ष
एक वर्ष के भीतर देय	773-5	732.8
एक वर्ष के बाद, लेकिन तीन वर्ष से पहले देय	52-7	774.4
	826-2	1,507.2

तथापि, अवधि से पूर्व पट्टा समाप्त करने पर बची हुई अवधि के लिए शेष पट्टे किराए का भुगतान पट्टा समाप्ति पर करना होगा।

लाभ और हानि लेखे में मान्यता प्राप्त पट्टा किराया रु.780.2 मिलियन (पिछले वर्ष रु.700.7 मिलियन) है। जिस हद तक अनुरक्षण आरक्षिति के अंशदान को प्रयुक्त नहीं किया गया उसे लाभ और हानि लेखे रु.92.5 मिलियन (पिछले वर्ष रु.46.9 मिलियन) की मान्यता दी गई।

पट्टा करार की शर्तों के अनुसार, होल्डिंग कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड ने विमानों के पट्टे के संबंध में कंपनी की ओर से निगमित गारंटी दी है।

¼[k½ xSj&foeku %

31 मार्च, 2013 को भावी न्यूनतम पट्टा किराया भुगतान के कारण देयताएं निम्नानुसार हैं :

¼#i, fefy;u esa½

	orZeku o"kZ	पिछले वर्ष
एक वर्ष के भीतर देय	'kwU;	6.03
एक वर्ष के बाद,लेकिन पांच वर्ष से पहले देय	'kwU;	0.59
	'kwU;	6.62

तथापि, अवधि पूर्व पट्टा समाप्त होने पर शेष अवधि का शेष पट्टा किराया व्यष्टि कॉन्ट्रैक्ट में निर्दिष्ट नोटिस अवधि के अनुसार देय होगा।

iii½ foRr iV~Vs dh fy, O;oLFkk %

पूंजीकृत विमानों (737–800) की सुपुर्दगी एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड को दिसम्बर, 2006 से दिसम्बर, 2009 तक की गई। वित्तीय संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए गए 85% विमान वित्तपोषण पैकेज अमेरिकी एक्ज़िम द्वारा गारंटित किए गए, जिसे अमेरिकी एक्ज़िम के पक्ष में भारत सरकार की गारंटी के माध्यम से गारंटित किया गया। शेष 15% की व्यवस्था वाणिज्यिक ऋण के माध्यम से की गई। अमेरिकी एग्ज़िम की वित्तपोषण व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी को विशेष कार्य वाहन कंपनी (एसपीवी कंपनी) निर्मित करनी होगी, जो कर मुक्त अधिकार क्षेत्र में स्थित होगी और परिसंपत्तियों की मालिक होगी। अतः एक द्विस्तरीय संरचना निर्मित की गई, जिसके द्वारा मुख्य पट्टाकर्ता (एसपीवी कंपनी) डेलावेर में स्थित थी, जो विमान को एक आइरिश एसपीवी (संव्यवहार को कर मुक्त बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई) को पट्टे पर देगी। चूंकि, भारत सरकार की गारंटी के समायोजन के मुद्दे में काफी समय लग गया, अतः इस बीच कंपनी को एक अस्थायी वित्तपोषण व्यवस्था के माध्यम से अपनी बहियों में विमान की सुपुर्दगी की प्रविष्टि करनी पड़ी। जब अमेरिकी एक्ज़िम द्वारा गारंटित ऋण मौजूद था, तो यह निर्णय लिया गया कि डेलावेर स्थित एसपीवी कंपनी को परिसंपत्तियां अंतरित करके सुपुर्द किए गए सभी विमानों को उस बिंदु तक बेड़े में शामिल किया जाए तथा उसे आइरिश एसपीवी के माध्यम से पुनः पट्टे पर लिया जाए। अतः इस तरह एसपीवी कंपनी को वास्तविक बिक्री नहीं की गई है बल्कि अमेरिकी एक्ज़िम के माध्यम से गारंटित वित्तीय व्यवस्था की औपचारिकताओं को पूरा करने और उनका अनुपालन करने के लिए ऐसा करना पड़ा। एसपीवी कंपनियों की स्थापना सहित विमान के अधिग्रहण से संबंधित सारी लागत बहियों में पूंजीकृत की गई है, क्योंकि यह विमान के अधिग्रहण से संबंधित है। पट्टे को वित्तीय पट्टे के रूप में निर्मित किया गया है, ताकि विमान का स्वामित्व पट्टा अवधि के अंत में एआईसीएल को दिया जा सके। इसी बीच अर्थात् उस समय से, जब से परिसंपत्ति प्रारंभ में अपनी बहियों में कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गई, एसपीवी कंपनी को अंतरित परिसंपत्ति की तारीख तक मूल धन और ब्याज के रूप में कतिपय किश्तों का भुगतान किया जाना था, जिसका भुगतान किया गया। अतः इस संव्यवहार में कंपनी को कोई क्षति हानि नहीं हुई।

49- vpy ifjlEifRr;ksa dk ewY;gkl

पूर्ववर्ती वर्षों में विमान की अनुमानित आयु 17 वर्ष के बदले में 20 वर्ष मानते हुए विमानों तथा एअरफ्रेम उपस्करों (737–800) पर मूल्यह्रास के प्रावधान की पद्धति में वर्ष 2007–08 में परिवर्तन किया गया है। यह मामला सीएलबी की अनुमति के लिए उठाया गया है और सीएलबी निर्माता से एक प्रमाण–पत्र चाहती है कि बोइंग 737–800 बेड़े का जीवन अन्य प्रकार विमानों की तुलना में बेहतर कैसे है। सीएलबी द्वारा यथावांछित कंपनी ने अब बोइंग से एक प्रमाण–पत्र प्राप्त किया है कि 737–800 विमान का जीवन 20 वर्ष से अधिक है और यह मामला सीएलबी के साथ उनकी अनुमति के लिए फिर से उठाया जाएगा।

17 वर्षों और 20 वर्षों के लिए ऐसी अचल परिसंपत्तियों पर परिकलित मूल्यह्रास विवरण निम्न है :

¼#i, fefy;u esa½

fooj.k	ewY;gkl ij izHkko	
	foRrh; o"kZ 2012&13	वित्तीय वर्ष 2011–12
20 वर्ष	2072-7	1986.9
17 वर्ष	2429-8	2344.9
अंतर	357-1	358.0

50- परिसंपत्तियों की क्षति के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि क्षति के मूल्यांकन का कार्य लंबित है।

51- lc) ikVÊ l0;ogkj:

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक 18 (एएस18) 'संबद्ध पार्टी प्रकटन' द्वारा यथा आवश्यक प्रकटन निम्न है :

d- संबद्ध पार्टी :

नियंत्रण किसके पास है : एअर इंडिया लिमिटेड, 100% होल्डिंग कंपनी

i)	श्री रोहित नन्दन	अध्यक्ष	
ii)	श्री एल. राजा शेखर रेड्डी	निदेशक	17 दिसम्बर, 2012 तक
iii)	डॉ. शेफाली जुनेजा	निदेशक	18 दिसम्बर, 2012 से
iv)	श्री सैयद नासिर अली	निदेशक	21 मार्च, 2013 तक
v)	श्रीमती पूजा जिंदल	निदेशक	22 मार्च, 2013 से
vi)	श्री एस. वेंकट	निदेशक	
vii)	एसीएम (सेवानिवृत्त) फली एच. मेजर	निदेशक	

[k- संबद्ध पार्टी संव्यवहार :

i. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई संव्यवहार नहीं हुआ है।

ii. एअर इंडिया लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी के साथ संव्यवहार का प्रकटन जैसे एयरलाइन के सामान्य कार्य व्यवसाय के दौरान, एयरलाइन से संबंधित सेवाओं का प्रकटन करना एएस 18 में उपलब्ध कराई गई छूट के अनुसार आवश्यक नहीं है।

x- वर्ष के अंत में, कंपनी के निदेशकों अथवा अधिकारियों या उनके रिश्तेदारों के साथ ऋण अथवा जमा के कोई भी ऐसे संव्यवहार बाकी नहीं थे, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन लेखों में बताया जाना अपेक्षित है।

52- vkLFkfxr dj ifjlaifRr@¼ns;rk½ fuEukuqlkj gS :

(प्रबंधन द्वारा निर्धारित)

¼#i, fefy;u esa½

	31 ekpZ 2013 dks	31 मार्च, 2012 को
vkLFkfxr dj ns;rk % ¼MhVh,y½		
i) मूल्यह्रास	10]275-0	10,092.0
vkLFkfxr dj ifjlaifRr;ka % ¼MhVh,½		
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अस्वीकृत (निवल)	9-0	46.0
हानि	10]266-0	10,046.0
कुल डीटीए	10]275-0	10,092.0
निवल डीटीए / (डीटीएल)	&	–

ukV %

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आस्थगित कर देयता के बीच प्रत्यक्ष संबंध होने के कारण ऐसे मूल्यह्रास के अंतर से होने वाली कर हानि की हद तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को वास्तविक रूप से निश्चित करने के लिए बही में कर की आस्थगित कर देयता में अंतर और मूल्यह्रास पर विचार किया गया है। अतः मूल्यह्रास अंतर से होने वाली आस्थगित कर देयता की हद तक कर हानि के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी गई है।

53- अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार, सावधानी के रूप में कंपनी ने 31 मार्च, 2013 तक lsuoV क्रेडिट को प्रभारित किया है। तथापि, वर्ष 2012–13 में दावा की गई सेनवेट क्रेडिट की सीमा तक की राशि को लेखा–बहियों में रखा गया है और शेष राशि को निकाल दिया गया है। यह इस तथ्य के कारण हुआ कि सेवा कर अधिनियम में संशोधन के कारण, किफायती श्रेणी

की यात्रा पर भी सेवा कर वसूला गया। उपर्युक्त के होते हुए भी, कंपनी के पास भावी उत्पादन सेवा कर भुगतान के लिए सीबीईसी के तारीख 21 नवम्बर, 2008 के परिपत्र सं. फाइल सं. 137/72/2008–सीएक्स.4 के तहत दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार संचित luoV क्रेडिट के दावे का अधिकार सुरक्षित है।

54- निम्नलिखित शेष का पुष्टिकरण और समाधान तथा बहियों के लिए समायोजन करना आवश्यक है :

¼#i, fefy;u e½

y[kk dkM	lf{kIr uke	Ukkeh 'k"k	tek 'k"k
1109001000	एपी देयताएं	79.3	0.0
1109003045	अचिन्हित जमा	0.0	7.0
1110003151	टीडीएस 194 समाशोधन लेखा (पुराना)	34.0	0.0
2211006030	बाह्यस्टेशन क्रय – भारत	4.8	0.0
2214001070	इंटर कंपनी–एअर इंडिया और एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड	0.0	2515.0
2214005010	टीडीएस–भारत	66.5	0.0
2214002280	इंटर स्टेशन लेखा	27.1	0.0
2214003500	सेवा कर निर्विष्ट (अंतरिम)	22.5	0.0
2214005075	194 आई टीडीएस प्रमाण–पत्र प्राप्य	0.0	0.1
1110003110	टीडीएस 194 सी – देय	0.0	7.9
1110003115	टीडीएस 194 आई – देय	0.0	15.7
1110003125	टीडीएस 194 जे – देय	0.0	17.4
1110003130	कमीशन पर टीडीएस	0.0	0.2
2214003540	सेवा कर अंतरिम निर्विष्ट आधारभूत	223.7	0.0
2214003541	सेवा कर अंतरिम निर्विष्ट शिक्षा उपकर	2.9	0.0
2214003542	सेवा कर अंतरिम निर्विष्ट उच्च शिक्षा उपकर	1.4	0.0
2214003570	सेवा कर सहित डेपो (ईसीबी)	15.0	0.0
	dqy ;ksx	477-2	2563-3

ऐसे समाधान/पुष्टिकरण, यदि कोई हों, पर लाभ और हानि लेखों पर प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है। तथापि, प्रबंधन ऐसी शेष राशियों के पुष्टिकरण/समाधान की प्राप्ति पर किसी वास्तविक समायोजन की आशा नहीं करता।

55- lkr ij dkVk x;k vk;dj & Hkkjr ¼2214005010½

यह लेखा, आयकर प्राधिकारियों से प्रतिदेय रु.6.63 करोड़ का शेष प्रदर्शित करता है। तथापि, उपलब्ध निर्धारण आदेशों के अनुसार, आयकर प्राधिकारियों ने शून्य धनवापसी निश्चित की है। कर सलाहकारों के परामर्श से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

56- çfr 'ks;j vtZu %

fooj.k	31 ekpZ] 2013	31 मार्च, 2012
कर तथा असाधारण मदों के बाद न्यूमरेटर लाभ (हानि) के रूप में प्रयुक्त राशि (रुपए मिलियन में)	¼3]511-5½	(6,025.0)
शेयरों की संख्या	3]000]000	3,000,000
प्रति शेयर मूल और तनूकृत अर्जन (रुपए में)	¼1]170-50½	(2,008.34)

57- lkfofèkd y[kkijh{kdksa dk ikfjJfed:

वर्ष 2012–13 के लिए लेखापरीक्षा शुल्क और जेब खर्च का विवरण निम्नानुसार है :

¼#i, fefy;u e½

	2012&13	2011–12
lkfofèkd y[kkijh{kd %		
वर्ष के लिए लेखापरीक्षा शुल्क (प्रावधान)	0-32	0.32
जेब खर्च	0-03	0.03

58- मैनेजमेंट की राय में, वर्तमान परिसंपत्तियों और ऋणों व अग्रिमों का वर्ष के अंत में शेष सामान्य व्यवसाय के दौरान प्राप्त होने की आशा है एवं वर्तमान देयताएं कम से कम उस हद तक अधिक होने की आशा है, जहां तक उनका उल्लेख किया गया है।

59- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी तारीख 08 फरवरी, 2011 की अधिसूचना और कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग II के पैरा 4घ (क) से (ङ) तक और (घ) को छोड़कर में संदर्भित, सूचना न देने के संबंध में बोर्ड द्वारा दी गई सहमति के अनुसार उसे नहीं दिया गया है।

60- वर्ष के दौरान लाभांश के रूप में विदेशी मुद्रा का प्रेषण नहीं हुआ है।

61- कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के पैरा 3(iii)(ख) द्वारा यथापेक्षित उड़ानगत मदों की कुल बिक्री के विवरण नहीं दिए गए हैं, क्योंकि ऐसी मदों की कुल बिक्री गौण है।

62- lrr ljkdkj%

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी होल्डिंग कंपनी के साथ राजस्व की भागीदारी की समीक्षा की है और राजस्व की भागीदारी 25% से 12.5% घटाई है, अतः आगामी वित्तीय वर्षों में ईबीडीआईटीए में महत्वपूर्ण सुधार होगा और साथ ही किए गए विभिन्न उपायों के कारण भविष्य में कंपनी की प्रचालनात्मक और वित्तीय स्थिति में पर्याप्त रूप से सुधार होगा। अतः लेखे 'सतत सरोकार' के आधार पर तैयार किए जा रहे हैं।

63- रु.13.8 मिलियन की राशि (यूएस डॉलर 2,72,249.45) को बाहरी पार्टियों (2214002125) के पास प्रतिभूति जमा के रूप में दर्शाया गया है, जो विमान पट्टे पर देने वाली कंपनी के पास प्रतिभूति जमा की शेष राशि है, जो पट्टे पर लिए गए 2 विमान (वीटी–एएक्सबी और वीटी–एएक्ससी) के लिए है। यद्यपि ये विमान 2010–11 में पट्टा देने वालों को वापस कर दिए गए, लेकिन उक्त राशि पट्टा देने वाली कंपनी द्वारा वापस नहीं की गई है। इस राशि की वसूली में अस्पष्टता की दृष्टि से लेखा–बहियों में अशोध्य ऋण का प्रावधान किया गया है।

64- चूंकि राजस्व मिलान/लेखांकन प्रणाली किसी बाहरी एजेंसी को आउटसोर्स की गई है, अतः कंपनी के लेखे उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना/आवधिक ट्रायल शेष पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। आउटसोर्स एजेंसी के पास अपेक्षित सहायक लेजर उपलब्ध हैं। प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार (आईसीएआई) के एसए 402 के अंतर्गत यथाविहित आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर रहा है।

65- आरक्षित प्रणाली से समय से रिपोर्ट न प्राप्त होने के कारण राजस्व मिलान के लिए भाड़े पर ली गई एजेंसी सही और पूर्ण सूचना नहीं दे पाई, जिससे कंपनी लेखों की प्रमुख बहियों में अपेक्षित लेखांकन प्रविष्टियां दर्ज कर सके और कुल राजस्व बुकिंग बिक्री और प्राप्य लेखों, वेब बिक्री का लेखांकन, विभिन्न बैंक जमा खातों में प्रविष्टियों आदि का दिसम्बर, 2013 तक मिलान कर सके। यह मामला आरक्षण प्रणाली उपलब्धकर्ता के साथ उठाया जाएगा, ताकि समयबद्ध तरीके से अपेक्षित आंकड़े प्राप्त किए जा सकें।

66- ubZ vkj{k.k i.kkyh%

(क) 1 अप्रैल 2012 से आरक्षण प्रणाली को नई आरक्षण प्रणाली में स्थानांतरित किया गया है।

(ख) कैश अपफ्रंट एजेंट बनाम आरक्षण प्रणाली द्वारा की गई बिक्री के मिलान के समय ऐसा पाया गया कि एक प्रमुख एजेंट ने टिकट बेच दिए, लेकिन बिक्री की राशि आरक्षण प्रणाली (साइट्रिक्स) में डिप्लीट नहीं हुई, जिसके परिणामस्वरूप 2012–13 की अवधि के दौरान 2012 से आगे 16,366 पीएनआर आरक्षण प्रणाली में नहीं दिखाए गए, जिनका कुल मूल्य रु.89.2 मिलियन है। कंपनी ने शेष बकाए के लिए पर्याप्त प्रावधान किया है।

(ग) कंपनी ने आरक्षण प्रणाली उपलब्धकर्ता के साथ यह मामला उठाया है और आज तक वे प्रणाली में बग स्थापित नहीं कर सके।

(घ) इसी तरह 39 एजेंटों के कतिपय अन्य पीएनआर थे, जिनका कुल मूल्य रु.2.6 मिलियन है (इसमें 2012–13 के लिए रु.0.8 मिलियन है)।

(ङ) आरक्षण प्रणाली के अनुसार एजेंटों को पोर्टल में उनकी आईडी पर दिखाई क्रेडिट शेष पर यात्रा दस्तावेज़ों की बिक्री की अनुमति है। पैत्रिक एजेंट उप एजेंट या उप उप एजेंट को क्रेडिट बैलेंस स्थानांतरित कर सकता है और इसके विपरीत सामान्यतः एजेंट बिक्री नहीं कर सकता यदि पर्याप्त शेष उसकी आईडी में न हो। हालांकि वर्ष के अंत में एजेंट शेष रिपोर्ट निर्मित करते समय यह स्पष्ट किया गया कि कुछ एजेंटों के पास डेबिट बैलेंस है, जिनमें उसमें शामिल एक एजेंट के पास डेबिट बैलेंस रु.1.7 मिलियन है। संवीक्षा पर यह पाया गया कि एजेंट ने उप एजेंट के लेखे से

समय–समय पर स्थानांतरण करके अपेक्षित क्रेडिट बैलेंस निर्मित किया। जबकि उस उप एजेंट के पास कोई क्रेडिट बैलेंस नहीं था।

(च) आरक्षण प्रणाली के स्थानांतरण के प्रारंभिक चरण में बग के कारण 1 अप्रैल, 2012 के बाद बनाए गए नए एजेंटों के संबंध में संव्यवहार शुल्क नहीं लिए गए। परिणामस्वरूप अप्रैल से जून 2012 तक कंपनी को लगभग रु.27.5 मिलियन की हानि हुई (आरक्षण प्रणाली उपलब्धकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के अनुसार)।

67- bèku dïfu;k dk foyfcr Hkqxrku ij C;kt%

वर्ष के दौरान तेल कंपनियों को भुगतान किए गए विलंबित प्रभारों/देय प्रभारों के रूप में रु.157.9 मिलियन की राशि पिछले वर्षों में ''अन्य खर्च'' की तुलना में ''वित्तीय खर्च'' के अंतर्गत शामिल की गई तथा पिछले वर्ष से संबंधित प्रकटनों को तद्नुसार पुनर्समूहित किया गया है। इस संबंध में अपनाई गई पद्धति के अनुसार ऐसे भुगतान पर टीडीएस के दायित्व को मान्यता नहीं दी गई है।

68- कतिपय खर्चों/दायित्वों के लिए रु.10.00 मिलियन (पिछले वर्ष शून्य) का तदर्थ प्रावधान बकाया दायित्व में शामिल किया गया है, जिसके लिए तुलन पत्र की तारीख को बिल प्राप्त नहीं हुए हैं।

69- पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक समझा गया, वहा संकलन की व्यावहारिकता और उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन के साथ अनुकूल बनाने तथा तुलना करने के लिए पुनर्समूहित/पुनःवर्गीकृत/पुनःव्यवस्थित किया गया है।

तुलन–पत्र तथा लाभ और हानि विवरण का भाग निर्मित करने वाली अनुसूचियों तथा उपर्युक्त टिप्पणियों के लिए हस्ताक्षर।

Ç;lÄoh] vkrjdj ,o dGdj
के लिए और उनकी ओर से
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.–110265डबल्यू

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./
lunh y[kkdkj lgkl 'kkg
भागीदार
सदस्यता नं. एफ40872

हस्ता./
jkfgr uUnu
अध्यक्ष

हस्ता./–
Mk- 'kQkyh tuktk
निदेशक

हस्ता./
vfnrh [kkMdj
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 17 फरवरी 2014